खण्ड-186, अंक-7
मंगलवार, 5 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(27 अगस्त, 1957 ई0)

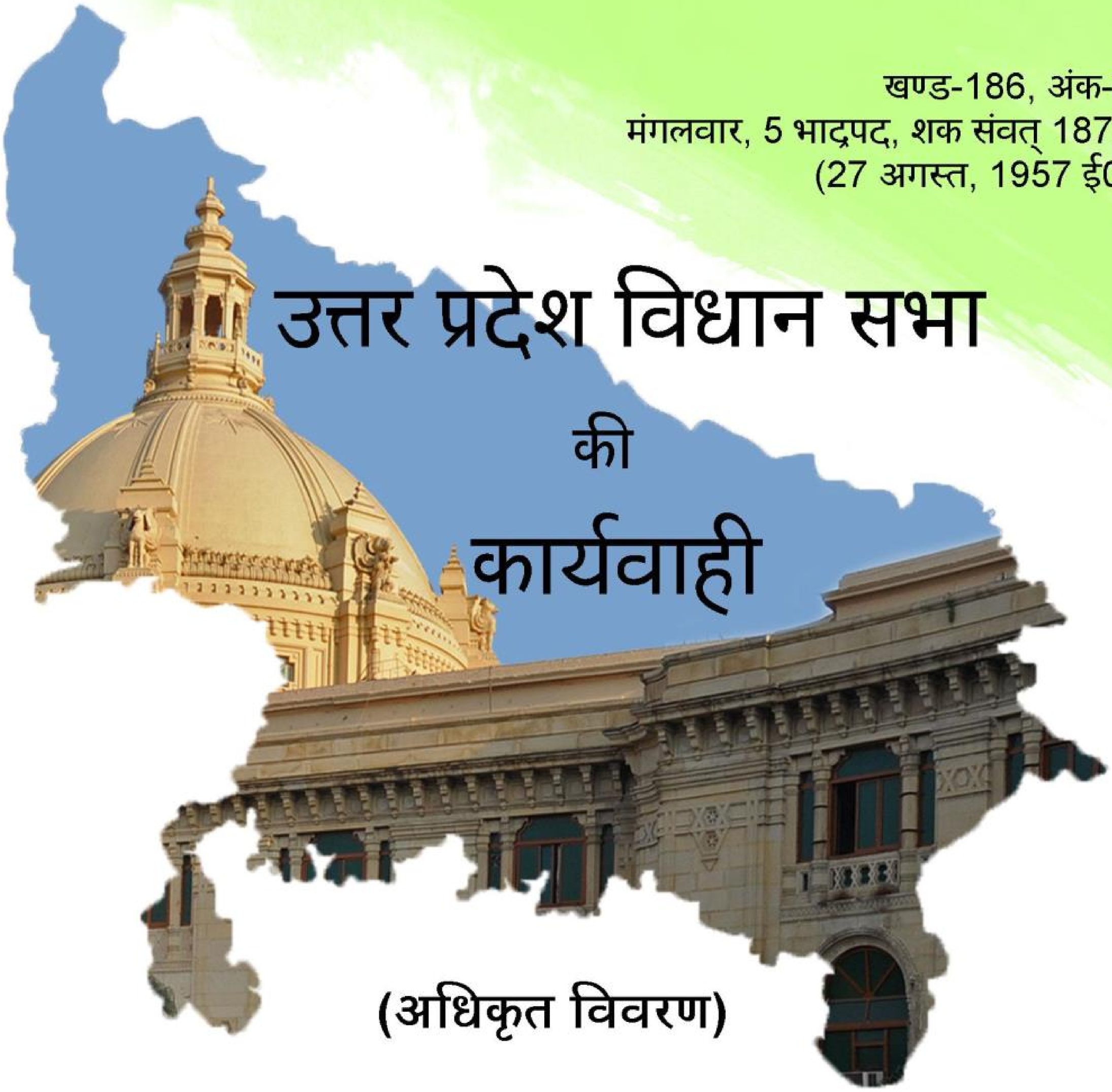

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजर्रार जाफ़री, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़त सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एम० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमण सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावतीमिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्सामद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्णजैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्रविकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामलाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरयबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री

हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २७ अगस्त, १९५७

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद नगरपालिका में चुंगी का नया शिड्यूल

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर की वापसी चुंगी हटाने से नगरपालिका को कितनी हानि उठानी पड़ेगी और उसको पूरा करने के लिये सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—इलाहाबाद नगरपालिका को वापसी रहित चुंगी प्रणाली से जो २६-१-५७ से लागू है, १ फरवरी से १५ जुलाई, १९५७ की अवधि में पूर्व वर्ष की इस अवधि के अनुपात में लगभग २ लाख ८६ हजार रुपयों की हानि हुई है। इसको पूरा करने के लिये नगरपालिका स्वयं चुंगी दर बढ़ाने के विषय पर विचार कर रही है और जब उसका प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होगा आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतलायेगी कि जिस समय यह चुंगी वापसी का मामला पेश हुआ था उसके पहिले जो शेड्यूल बनाये गये थे वह सरकार, प्रशासक और वहां के व्यापारियों की सहमति से बनाये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले जो शेड्यूल बनाये गये थे, उनके नियमों के अनुसार, छापे गये होंगे। प्रशासक ने स्वीकृति दी होगी और सरकार से भी स्वीकृति मांगी गयी होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि चुंगी वापसी के सम्बन्ध में इलाहाबाद के व्यापारियों का एक डेपुटेशन २०-८-५७ को उनसे मिला था ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि उस बातचीत में मंत्री महोदय ने जो पुराना शेड्यूल है उसको रखने के लिये आश्वासन दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि २६-१-५७ के पहले चुंगी वापसी में कितना रुपया दिया जाता था और अब जो शेड्यूल बना है उस हिसाब से कितना दिया जायगा, दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी जो शेड्यूल बना है वह फाइनल नहीं हुआ है। उस पर अभी जनता की राय ली जा रही है, व्यापारियों की भी राय ली जा रही है और उसके बाद शायद किसी स्टेज में गवर्नमेंट के सामने भी आये, तब फिर सवाल उठेगा कि उसमें अन्तिम क्या निर्णय होगा।

इलाहाबाद नगरपालिका के क्षेत्र में वृद्धि

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ा कर उसमें कौन-कौन से गांव अब तक शामिल किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इलाहाबाद नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ाने से निम्नलिखित ग्राम म्युनिसिपल सीमा के अन्तर्गत आ गये हैं—

(१) सूबेदारगंज, (२) सुलेमसराय, (३) रसूलपुर, (४) खड़िया, (५) रम्मन का पुरा (६) धुमनगंज, (७) उमरपुर नीबा, (८) हरबारा, (९) कंधईपुर, (१०) नंगी हवेली, (११) जैदीपुर, (१२) मौला का पुरा, (१३) अबूबकरपुर, (१४) मीरा पट्टी, (१५) नीम सराय, (१६) बेगमसराय, (१७) गयासुद्दीनपुर, (१८) बिचले का पुरा, (१९) मुंडेरा, (२०) मुंडेरा बाजार, (२१) जैरामपुर।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड में मिलाये गये हैं उनको भी वही सुविधा प्राप्त हो गई है जो कि इलाहाबाद के दूसरे उप-नगरों को है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो मिलाये नहीं गये हैं। मिलने के बाद में उन्हें अधिकार होगा सुविधा लेने का और वह सुविधा उनको दी जायगी।

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड को अवक्रमण का नोटिस

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने झांसी म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड करने हेतु नोटिस दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५२—६५५ पर)

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार से झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के कुछ गिरफ्तारशुदा सदस्यों पर मुकदमा चलाये जाने की इजाजत मांगी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, सरकार ने मुकदमा चलाये जाने की अनुमति दे दी है।

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास Supersession notice दिये जाने के बाद कुछ म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध गम्भीर आरोप आये हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, मामले की जांच हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड का कोई नोटिस का उत्तर आ गया है ? यदि हां, तो उसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, म्युनिसिपल बोर्ड का उत्तर आ गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है। उसके बाद रिपोर्ट आ जाने के बाद निर्णय किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी यह शिकायत ही मई, सन् १९५७ में आयी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गयी है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही आदेश हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक प्रश्न के उत्तर में वह सदन में यह कह चुके हैं कि चूंकि चुनाव का समय अब बहुत कम रह गया है, इसलिए सुपरसीड करने के सवाल को स्थगित कर दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जहां तक मुझे याद है यह तो शायद नहीं कहा गया। कहा सिर्फ यह गया था कि बहुत जल्दी नहीं है, और वह अभी विचाराधीन है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत आयी है वह जनता की तरफ से आयी है या कि चेयरमैन की तरफ से आयी है या जिलाधीश महोदय ने शिकायत की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---किस शिकायत से मतलब है ? भिन्न भिन्न शिकायतें आयी हैं। अलग अलग आयी हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---जिस शिकायत के आधार पर सुपरसीड किया जा रहा है, उस शिकायत से मतलब है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसमें ज्यादातर जनता की तरफ से शिकायत है और फिर डी० एम० से पूछा गया है।

अलीगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार के पास अलीगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध, अध्यापकों के तबादिले, एक एम० एल० ए० के साथ दुर्व्यवहार आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत आयी है ? उस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। अध्यापकों के तबादिले की बाबत शिकायत आयी है, किन्तु किसी एम० एल० ए० के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई नहीं आयी है। उक्त शिकायतों पर जांच करायी जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास अध्यापकों के तबादले के बारे में जो शिकायत आयी है वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---शिकायत इस बात की है कि बिना किसी उसूल के तबादले कर दिये जाते हैं और पार्टी का आधार रखा जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने अध्यापकों का तबादला किया गया और कितनी कितनी दूर किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न में ऐसा कोई सम्बोधन नहीं किया गया था, नहीं तो वह आंकड़े एकत्रित कर लिये जाते। इस समय यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच कब तक पूरी हो जाने की आशा है और जांच पूरी हो जाने पर जांच का क्या परिणाम निकला, इसकी सूचना सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में निवेदन है कि एक सज्जन श्री सीताराम जी ने जो शिकायत की है उसकी जांच पूरी हो चुकी है और इस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है कि जो शिकायत की है वह सही नहीं है, और दो तीन शिकायतें हैं उनके कागजात भेजे गये हैं और जुलाई, १९५७ में जो शिकायत आयी है, उसके लिए तो समय लगेगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिलाधीश द्वारा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार जांच पूरी होने पर जो जांच का नतीजा होगा उसकी सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अगर कोई माननीय सदस्य दिलचस्पी जाहिर करेंगे तो जरूर बतला दिया जायगा।

*७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[२९ अगस्त, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हरदोई जिले में सम्पूर्ण पंचायत कर की वसूली न होना

*८---श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह जानती है कि हरदोई में सन् १९४९ से आज तक पंचायत टैक्स की वसूलयाबी नहीं हो सकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह ठीक है कि हरदोई में सन् १९४९ से अब तक लगाये गये सम्पूर्ण पंचायत कर की वसूलयाबी नहीं हुई है।

*९---श्री बुलाकीराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार ग्रामीण गरीब जनता से केवल एक वर्ष का पंचायत टैक्स वसूल करके शेष टैक्स माफ करने और प्रति वर्ष पंचायत टैक्स लैन्ड रेवेन्यू की भांति लगान के साथ कलेक्शन कुर्क अमीनों द्वारा वसूल कराने का प्रबन्ध करने को सोच रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक यह टैक्स वसूल नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो पंचायतों का टैक्स है, पंचायतों के पदाधिकारी ही इसे वसूल करते हैं और सहयोग से ही वसूल करने की इसकी विधि है। अभी हाल ही में एक आदेश जरूर जारी किया गया है कि जिलाधीश भी प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक वसूली हो जाय। लिहाजा यह स्वाभाविक है कि सहयोग से जो वसूली की जाती है, उसमें देर होती है।

श्री रामदास आर्य---क्या यह सही है कि पंचायत टैक्स अधिक लगने की वजह से गरीब आदमी उस टैक्स को नहीं दे पाये, यह भी न वसूल होने का कारण है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ८-९ श्री रामदास आर्य न पूछे।

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा अधिकार तो ग्राम सभाओं को दिया गया है कि अगर किसी पर गलती से टैक्स लग गया हो, तो वहां के डी० पी० ओ० के पास प्रस्ताव बना कर भेज दें तो उसे माफ भी किया जा सकता है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि जो बकाया टैक्स पंचायतों के हैं उनकी वसूली बजाय इसके कि एक साथ की जाय, किस्तों पर वसूल करने की हिदायतें जारी की जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कभी सख्ती से वसूली नहीं की जाती है। अगर कोई किस्तों में देना चाहे तो किस्तों में भी स्वीकार किया जाता है।

*१०---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिए प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिर्जापुर नगर में पेय जल का कष्ट

*११---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय---क्या यह सही है कि मिर्जापुर नगर में पीने के पानी का बहुत कष्ट है और जो पानी पीने के लिए मिलता भी है वह बहुत गन्दा रहता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है कि पानी का विशेष कष्ट है। पानी की शुद्धता के बारे में Asstt. Director, Provl. Hygiene Institute ने कहा है कि bleaching powder के बदले chlorine इस्तेमाल की जाय। इसकी जांच हो रही है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय---क्या यह सही है कि जल के सम्बन्ध में मिर्जापुर नगरपालिका लगातार कई वर्षों से सरकार का ध्यान आकर्षित करा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मिर्जापुर नगरपालिका कुछ पहले से जरूर लिख रही थी, इस सम्बन्ध में उसको ३ लाख रुपये ऋण भी दिये गये थे, लेकिन वहां की नगरपालिका ने उसका उपयोग नहीं किया और डायरेक्टर, प्राविंशियल हाईजीन इंस्टीट्यूट का कहना है कि वहां का पानी ठीक नहीं है।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगरपालिका में वाटर ऐन्ड ड्रेनेज स्कीम का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने पहले जो निश्चय किया था उसके अनुसार ३ लाख रुपये का ऋण उसको दिया था और १ लाख वहां की नगरपालिका को स्वयं खर्च करना था। लेकिन काफी समय तक रुपया वहां रहने पर भी १ लाख रुपया नगरपालिका नहीं दे पायी, लिहाजा रुपया वापस आ गया। इसमें किस प्रकार कोई तब्दीली होनी चाहिए, इस पर अवश्य सरकार कार्यवाही करेगी।

देहातों में जन्म-मरण की सूचना देने के दायित्व में परिवर्तन

*१२---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने देहातों में जन्म-मरण की सूचना का काम चौकीदारों के बजाय ग्राम सभा के सभापतियों के सुपुर्द कर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। देहातों में जन्म-मरण की सूचना गांव सभा प्रधान को देने का दायित्व पंचायत राज नियम संख्या १४३ के अधीन कुटुम्ब के मुख्य कर्ता (the head of the family) तथा नियम सं० १४४ के अधीन उसका दायित्व चौकीदार पर है। प्रधान इस सूचना को संकलित करके जिला स्वास्थ्य अधिकारी को देते हैं।

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि ग्राम सभा के सभापतियों द्वारा सरकार के उक्त आदेश का पालन न होने के कारण देहातों में जन्म-मरण का रिकार्ड रखना बन्द हो गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि वहां के जन्म-मरण की सूचना जिला मेडिकल अफसरों को न मिलने के कारण बच्चों को चेचक का टीका लगने तथा संक्रामक रोगों को शीघ्र ही रोकने के कार्यों में बड़ी बाधा पड़ रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न ही नहीं उठता।

*१५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[वापस लिया गया।]

*१६—श्री मोहनलाल वर्मा—[१० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में मालीपुर-जलालपुर सड़क के पुनर्निर्माण की सिफारिश

*१७—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले की तहसील अकबरपुर की मालीपुर-जलालपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिये जाने के लिए जिला विकास समिति, सघन विकास क्षेत्र जलालपुर परामर्शदात्री समिति, जिलाधीश, फैजाबाद, जिला बोर्ड, फैजाबाद तथा फैजाबाद जिले के कुछ विधायकों ने सरकार से सिफारिश की है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां, फैजाबाद के जिलाधीश, नियोजन समिति तथा विधान सभा के उपाध्यक्ष ने इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुनः निर्माण की सिफारिश की है।

इलाहाबाद नगरपालिका के अस्पतालों की इमारतें

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका के अन्तर्गत कितने अस्पताल ऐसे हैं जो नगरपालिका की इमारतों में हैं और कितने ऐसे हैं जिनके लिए भवन किराये पर लिये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—इलाहाबाद नगरपालिका कुल ११ अस्पताल चलाती है जिनमें से केवल ३ अस्पताल बोर्ड की अपनी इमारतों में हैं और शेष ८ किराये पर की इमारतों में।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि जो अस्पताल किराये पर हैं उनका क्या-क्या किराया दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष—क्या आप सबका अलग-अलग पूछ रहे हैं? अगर आंकड़े हों तो मंत्री जी बतावें।

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास उसकी सूचना नहीं है।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तथा इण्डियन पार्टनरशिप ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन

*१९—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Societies Registration Act अथवा Indian Partnership Act के अन्तर्गत कितनी संस्थायें और कितने फर्म १९५५ अथवा १९५६ में रजिस्टर हुए ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—Societies Registration Act के अन्तर्गत १९५५ में ४४२ और १९५६ में ५५७ संस्थायें रजिस्टर हुयीं, और Indian Partnership Act के अन्तर्गत १९५५ में १,५६४ और १९५६ में २,२१५ फर्म्स रजिस्टर हुयीं ।

*२०—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पंजीकरण के हेतु कितना सरकारी स्टाफ काम करता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पांच लपिक ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आयी है कि इस विभाग में घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो अप्लिकेशन्स पहले आती हैं वह पहले डिस्पोज आफ नहीं होती हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय इस रजिस्ट्रार का सम्बन्ध गवर्नमेंट आफ इन्डिया से है, इसलिए इस सहकारिता मुहकमे का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या यह सत्य नहीं है कि इस पर ड्यूल कन्ट्रोल है—केन्द्रीय सरकार का भी और प्रान्तीय सरकार का भी—और आंशिक स्टाफ केन्द्रीय सरकार द्वारा रखा जाता है और आंशिक प्रान्तीय सरकार द्वारा ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह पहले एक ही दफ्तर था और रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज ही इस काम को करते थे और फिर यह दफ्तर अलग हो गया । कुछ क्लार्क्स रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के वहां चले गये । उनका बजट अभी तक हमारे बजट में शामिल है । रुपया हम देते हैं, लेकिन जो अफसर हैं, रजिस्ट्रार वहां का, वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से ताल्लुक रखता है और कंट्रोल भी दफ्तर में उसी का है । तनख्वाह देने का अधिकार हमारा जरूर है, उसकी वर्किंग पर हमारा कोई अधिकार नहीं है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस ड्यूल कंट्रोल की वजह से इस प्रदेश में रहने वाले बहुत से व्यक्तियों को बहुत कठिनाइयां हैं, केन्द्रीय सरकार से यह मांग करेगी कि या तो केन्द्रीय सरकार का ही कंट्रोल रहे या प्रदेशीय सरकार का ही कंट्रोल इस विभाग पर हो ?

श्री मोहनलाल गौतम—सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट और पार्टनरशिप ऐक्ट के सम्बन्ध में जो विचार चल रहा है उससे यह ख्याल है कि यह प्रदेशीय गवर्नमेन्ट के अधीन हो जाय ।

*२१—श्री मोहनलाल वर्मा—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२३—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४-२६—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले की टाउन एरियाज़ को सहायता न देना

*२८--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की किन-किस टाउन एरिया को सन् १९५६-५७ में क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गई और किस-किस कार्य के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव--बुलन्दशहर जिले की किसी टाउन एरिया को वित्तीय वर्ष ५६-५७ में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बुलन्दशहर के किसी टाउन एरिया ने आर्थिक सहायता की मांग की ? यदि हां, तो सरकार को देने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता है । यह पता नहीं कि मांग की है या नहीं ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी टाउन एरिया ने कुछ मांग की थी या नहीं ? एक भी मांग की गयी थी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने निवेदन कर दिया कि सूचना की आवश्यकता है, मेरे पास इत्तिला इस समय नहीं है ।

*२९-३१--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--[१० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

*३२-३३--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिले में सीमेंट की सप्लाई

*३४--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में जनवरी, सन् १९५७ से जून, १९५७ तक कितनी-कितनी बोरियां सीमेंट प्रत्येक माह में जनता को देने के लिये दिया गया ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--सूचना (तालिका १) मेज पर रख दी गयी है । तहसीलवार आंकड़े अप्रैल से जून तक दिये गये हैं । इसके पूर्व तहसीलवार बंटवारा नहीं था ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५६ पर)

*३५--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५७ से जून, १९५७ तक प्रत्येक माह में गोरखपुर जिले को कितनी कितनी बोरियां सीमेंट दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सूचना (तालिका २) मेज पर रखी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५७ पर)

श्री गौरीराम गुप्त--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरेंदा तहसील में अप्रैल, जून और जनवरी, फरवरी तथा मार्च में सीमेंट क्यों नहीं दी गई ? उसके क्या कारण हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)--जनवरी और फरवरी में तहसील के जरिये बंटवारा नहीं होता था । वहां के डी०एस०ओ० बांटते थे और जिस तहसील से मांग आती थी, उसको देते थे । अप्रैल और जून में न देने का मेरे ख्याल में यह कारण होगा कि वहां से कब मांग आई होगी या मांग नहीं आई होगी, इस तरह से होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलों में जो बंटवारा हुआ उससे जनता की कितनी प्रतिशत मांग की पूर्ति की गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो बहुत आम सवाल है। इस समय इसके सम्बन्ध में विवरण हमारे पास नहीं है ।

श्री केशवपांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह गोरखपुर गये थे तो सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में उनको शिकायतें दी गई थीं, उन्होंने उनकी जांच करायी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, शिकायतें आई थीं और उन पर हुक्म दिया गया था कि आइन्दा इस तरह की शिकायतें पैदा नहीं होनी चाहिये ।

*३६---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८---श्री जगवीरसिंह---[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९-४०---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१---श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२-४३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में बांसी-तलपुरवा-तुलसीपुर सड़कों का निर्माण

*४४---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार जिला बस्ती में बांसी-तलपुरवा व तलपुरवा-इटवा-तुलसीपुर रोड को बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---बांसी-तलपुरवा सड़क पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ हो जाने की सम्भावना है । तलपुरवा-इटवा-तुलसीपुर सड़क पर द्वितीय योजना की अवधि में ही कार्य आरम्भ हो जायगा ।

बूढ़ी राप्ती नदी के मुंहचुरवा घाट पर पीपे के पुल की निर्माण योजना

*४५---श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बूढ़ी राप्ती नदी पर मुंहचुरवा घाट पर वह पीपे का पुल बनाना चाहती है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां, इस पुल का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ।

*४६---श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस पुल के न होने से वहां की जनता का विकास रुका हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल---इस पुल के न होने से जनता को असुविधा होना तथा विकास का रुकना स्वाभाविक है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब की सीमा पर जमुना पर पुल निर्माण का विचार

*४७--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा मुजफ्फरनगर जिलों को पूर्वी पंजाब के रोहतक तथा करनाल जिलों से जोड़ने के लिये जमुना पर पुल बनाने का वह विचार रखती है या नहीं ? यदि हां, तो ऐसा पुल किस स्थान पर तथा कब तक बन कर तैयार हो सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। अभी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा पंजाब सरकारों से विचार-विनिमय हो रहा है, उनके उत्तर प्राप्त होने पर ही स्थान तथा समय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार का विचार उन्होंने केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है ? यदि हां, तो वह क्या है और यह पुल कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल--पुल कब तक बन जाने की सम्भावना है यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। जहां तक हमारे विचार का सम्बन्ध है, हम इसको बनाना चाहते हैं। इससे हमारा, पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार, तीनों का लाभ होता है। इसलिये हमारी राय है कि इसके बनाने में जो खर्च हो उसका १/३ पंजाब सरकार, १/३ केन्द्रीय सरकार और १/३ हम दें। इस तरीके से तीनों के सहयोग से हम इस पुल को बनाना चाहते हैं। जब हम तीनों एग्री कर जायेंगे तब इस पुल को बनाने का काम हाथ में लिया जायगा।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार ने एक-तिहाई खर्च देने का अपना निश्चय प्रकट कर दिया है और अब इसमें यदि कोई बाधा है तो वह क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--पंजाब सरकार ने कुछ निश्चय प्रकट तो किया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार से भी इस सिलसिले में बातचीत हो रही है।

श्री दीनदयाल शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ वादा कर लिया है ?

श्री गिरधारीलाल--अभी कोई खास वादा नहीं किया है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या यह पुल रेल-कम-रोड ब्रिज होगा ?

श्री गिरधारीलाल--यह सिर्फ रोड ब्रिज होगा।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर किस स्थान पर यह पुल बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में बता दिया गया है कि लिखा पढ़ी हो रही है कि कहां बनना है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनाने का एस्टीमेट तैयार हो गया है और अगर तैयार हो गया है तो उसमें कितना रुपया लगेगा ?

श्री गिरधारी लाल--जिसे डिटेल्ड एस्टीमेट कहते हैं वह तो अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अन्दाजा यह है कि इसमें करीब ४५ लाख रुपये खर्च होंगे।

धर्मपुर-बरहज घाट के किराये की वसूली सम्बन्धी शिकायत की जांच

*४८--श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री धर्मपुर-बरहज घाट के किराये की वसूली की शिकायत के सम्बन्ध में वर्तमान सत्र के दूसरे मंगलवार के प्रश्न संख्या ८ और ९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विषय में जो शिकायत की गयी थी उसकी जांच किस जिले के कलेक्टर से करायी गयी तथा परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---(अ) शिकायत की जांच जिलाधीश, देवरिया द्वारा कराई गई ।

(ब) जिलाधीश ने सूचित किया है कि जांच करने पर उक्त शिकायत सही नहीं पाई गयी और वह अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने इस शिकायत की जांच स्वयं की या किसी अन्य कर्मचारी से करायी ? यदि अन्य से करायी तो किससे करायी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिलाधीश देवरिया का तार इस वक्त इस सवाल का जवाब देने की वजह से आ गया है। डिटेल्ड रिपोर्ट अभी नहीं आयी है, लेकिन माननीय सदस्य की स्वयं शिकायत थी, शायद उनको पता होगा कि किसके द्वारा करायी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति से इस सम्बन्ध में कोई पूछ ताछ नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष---सिर्फ तार ही आया है उनके पास, वे सूचना चाहेंगे ।

*४९--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बिजनौर जिले में डेवलगढ़ पुल की खराब हालत

*५०--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मंडावर परगना, जिला बिजनौर में स्थित 'डेवलगढ़ पुल' की हालत खराब होने के कारण प्रतिवर्ष कितने आदमियों तथा जानवरों की जिन्दगी समाप्त हो जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---शासन के पास अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है ।

*५१--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई उपाय करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस विषय में पूछ-ताछ की जा रही है उसी के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्रीमती चन्द्रावती---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पूछ-ताछ कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--हिदायत भेजी गयी है और मैं समझता हूं कि इस महीने में यह पूछ-ताछ खत्म हो जायगी ।

गोंडा जिले में कोयले तथा सीमेंट का वितरण

*५२---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये कितना कोयला और कितना सीमेन्ट एलाट किया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कोयला	१९० बैगन
सीमेन्ट	१६१६ टन

*५३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीमेन्ट का एलाटमेन्ट करने का आधार जन संख्या होता है या क्षेत्रफल ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एलाटमेन्ट का आधार जन-संख्या, पूर्व खपत और निर्माण कार्यों की प्रगति है ।

*५४—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितना सीमेन्ट सरकारी कार्य के लिये दिया गया और कितना अर्धसरकारी कार्य के लिये तथा कितना जनता के लिये दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिले में प्राप्त सीमेन्ट का ५० प्रतिशत सरकारी कार्यों के लिए तथा ५० प्रतिशत जनता के कार्य के लिये दिया गया, इसमें अर्द्ध सरकारी कार्य भी सम्मिलित हैं ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया को ही सब से ज्यादा सीमेन्ट दे दी जाती है और जनता को बहुत कम मिलती है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह काम भी तो वे लोग जनता के हित का ही करते हैं और जितनी मांग होती है उस हिसाब से बांटा जाता है ।

श्री गंगाप्रसाद—क्या गोंडा जिले की दो नगरपालिकाओं को ही सबसे ज्यादा सीमेन्ट की जरूरत पड़ती है और जनता को नहीं मिलती ? सरकार को बार-बार लिखा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपकी ओर से सूचना हुई, प्रश्न नहीं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जिले में ५६-५७ में सीमेन्ट का कितना कोटा दिया गया और उसमें से गांव वालों को कितना दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका ब्योरा तो पूछा नहीं गया था ।

टाउन एरिया तिर्वागंज, जिला फर्रुखाबाद द्वारा लिया गया कथित ऋण

*५५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया तिर्वागंज, जिला फर्रुखाबाद ने १९५४-५५ या १९५५-५६ में कोई कर्जा लिया ? यदि हां, तो वह किस योजना के कार्यान्वित करने के लिये लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—टाउन एरिया तिर्वागंज को वित्तीय वर्ष ५४-५५ या ५५-५६ में शासन से कोई कर्जा नहीं दिया गया ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतायेगी कि टाउन एरिया के चेयरमैन ने अपनी तरफ से १५ सौ रुपया देने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट से कोई आज्ञा मांगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

*५६-५७—श्री पञ्चरराम (जिला गाजीपुर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

एन० ई० एस० ब्लाक, नौतनवा, जिला गोरखपुर की सस्ते गल्ले की दूकानें

*५८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक नौतनवा, गोरखपुर के अन्दर इस वर्ष सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खुली हैं और मई, जून, जुलाई में हर एक ने कितना गल्ला सरकारी गोदामों से उठाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एन० ई० एस० ब्लाक, नौतनवां, गोरखपुर में इस समय सस्ते गल्ले की २ दूकानें चल रही हैं। इन दूकानों द्वारा मई, जून तथा जुलाई में सरकारी गोदामों से उठाये गये गल्ले की मात्रा की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५८ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार इन दूकानदारों द्वारा जनवरी-फरवरी और मार्च महीने में उठाये गये गल्ले की तादाद बतायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। इस प्रश्न में मई, जून, जुलाई का पूछा गया था।

*५९—श्री महीलाल—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले की रुदौली-रेछघाट सड़क को पक्की करने की मांग

*६१—श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले की रुदौली से रेछघाट जाने वाली सड़क सरकार पक्की करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क को पक्का करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल—क्या सरकार को पता है कि उक्त सड़क के किनारे हजारों गांव हैं और पक्की न होने के कारण उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने इसकी रिपोर्ट तो नहीं मंगाई है, मगर यह बात तो ठीक है कि जितनी सड़कें होती हैं उनके किनारे बहुत से गांव हुआ करते हैं और जो सड़कें पक्की नहीं होती उनके कारण जनता को कष्ट भी होता है।

श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस सड़क के ऊपर मिट्टी डाली गई है और कहा जाता है कि सड़क पक्की बनने वाली है उसके कारण जनता को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ?

श्री गिरधारी लाल—इसकी इत्तिला मुझे नहीं है ?

बाराबंकी जिले में बेतवा नदी पर पुल न होने से कष्ट

*६२—श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी, रुदौली और भवई परगने के बीच वह बेतवा नदी पर पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५८ श्री मदन पांडेय ने पूछा।

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—बेतवा नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेतवा नदी पर जब कि रास्ते डूब जाने का डर है तो वहां पर वह कोई टेम्पोरेरी पुल बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इसका तो पहले ही जवाब दिया जा चुका है कि यहां पर कोई पुल बनाने का विचार नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल—क्या सरकार को पता है कि बरसात के दिनों में तीन नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण रुदौली और मवई के परगने अलग-अलग हो जाते हैं और उससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष—कठिनाइयों के बारे में तो काफी जवाब मिल चुका है ।

*६३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६४–६६—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७–६९—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फनगर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७०–७१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्प-आय-गृह योजना के अधीन ऋण देने के लिये परामर्शदात्री समितियां बनाने का सुझाव

*७२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार अल्प-आय-गृह योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिये जिला स्तर पर Advisory Committees बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी जिन कबाल टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज सुपरसीडेड हैं, वहां ऐसी कमेटी बनाने का विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं ।

*७३–७५—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७६—श्री मुक्तिनाथराय—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७७—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७८—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[१० सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अजगैन-मलिहाबाद सड़क को पक्की बनाना

*७९—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में तहसील हसनगंज की अजगैन से मलिहाबाद की सड़क को पक्की बनाने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के अजगैन-मोहन भाग को पक्का बनाने का प्रस्ताव है ।

श्री सजीवनलाल—क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि सड़क की दशा ऐसी खराब है कि उस पर मोटर, इक्के व गाड़ियों का चलना असंभव हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—इसीलिये यह सड़क बनायी जायगी ।

श्री सजीवनलाल—इस पर कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस दूसरी योजना के अंदर इसका स्थान है । तो अगले वर्ष या जिस वक्त धन प्राप्त होगा, उस वक्त काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के लिये कितना अनुदान रखा गया है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के लिये करीब सवा चार लाख रुपया रखा गया है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलायेगी कि इस सड़क का निर्माण कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा या उसके बाद भी जारी रहेगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस योजना के अन्दर इस काम को लिया जायगा । अगर वह आखिरी वर्ष में लिया तो वह इस योजना में समाप्त न हो सकेगा और तीसरी योजना में समाप्त होगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह सड़क कंकड़ की बनेगी या हार्ड रोड बनेगी या सीमेन्ट की ?

श्री गिरधारीलाल—सीमेन्ट रोड नहीं बनेगी और जैसी अन्य पक्की सड़कें हैं वैसी ही बनेगी ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार इस सड़क की दशा को देखते हुए इस योजना के अन्दर इसे प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इसका इस वक्त कोई जवाब नहीं दिया जा सकता ।

बलिया नगरपालिका, रसड़ा नोटिफाइड एरिया, सिकन्दरपुर तथा चिरबड़ागांव टाउन एरिया के विरुद्ध आरोप

*८०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि बलिया म्युनिसिपल बोर्ड, रसड़ा नोटिफाइड एरिया (बलिया), सिकन्दरपुर तथा चिरबड़ागांव टाउन एरिया (बलिया) के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं एवं उनसे उत्तर मांगा गया है कि क्यों नहीं उन्हें मुअत्तल कर दिया जाय ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध पृथक-पृथक क्या-क्या आरोप हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, म्युनिसिपल बोर्ड, बलिया तथा नोटीफाइड एरिया, रसड़ा के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं परन्तु मुअत्तल करने के लिये नहीं अपितु अवक्रान्त करने के लिये । म्यूनिसिपल बोर्ड, बलिया और नोटीफाइड एरिया, रसड़ा के विरुद्ध जो पृथक-पृथक

[श्री रामस्वरूप यादव]

आरोप लगाये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। टाउन एरिया सिकन्दरपुर तथा चिरबड़ागांव के विरुद्ध तो प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिलाधीश को विधिवत आरोप लगाने के लिये कहा गया है परन्तु अभी तक आरोप लगाये नहीं गये हैं। दोनों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्राप्त विभिन्न शिकायतों की सूची संलग्न की जाती है।

(देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ ६५९–६६२ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पर जो आरोप लगाये गये हैं उनका कोई उत्तर आया या नहीं और यदि आया तो सरकार का अंतिम निर्णय उस पर क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—टाउन एरिया कमेटी का उत्तर अभी नहीं आया है। बलिया नगरपालिका की जो उन्होंने सीधी प्रतिलिपि भेजी थी सरकार के पास वह आ गई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा मय उनकी रिपोर्ट के कागजात नहीं आये हैं। इसलिये जब वह आ जायं तभी कोई निर्णय हो सकेगा।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे कि बलिया म्युनिसिपल बोर्ड, रसड़ा नोटिफाइड एरिया, सिकन्दरपुर तथा चिरबड़ागांव टाउन एरिया के विरुद्ध किस प्रकार के अरोप लगाये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह फेहरिस्त बहुत लम्बी है। साथ ही इन चार्जेज की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है, किन्तु आपकी इजाजत हो तो इसको पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—चूंकि फेहरिस्त लम्बी है और माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया के जिलाधीश ने यह भी शिकायत की है कि बलिया नगर की ४० हजार की आबादी है और वहां पर मुश्किल से एक गाड़ी है जो नाइट स्वायल शहर से बाहर ले जाती है?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री सुल्तानआलम खां—क्या सरकार की यह नीति है कि म्युनिसिपैलिटी और लोकल बाडीज के चुनाव नजदीक होने की वजह से म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज को सुपरसीड न किया जाय बल्कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से डिफाई कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव—यह आरोप की गम्भीरता पर निर्भर है। किसी नगर-पालिका की ऐसी खराब दशा हो सकती है कि जहां पर चुनाव वगैरा ठीक नहीं हो सकते हैं तो उनके सुपरसीड करने का विचार हो सकता है।

श्री गौरीशंकरराय—क्या यह सही है कि आपने उत्तर में अभी बताया कि आपको सूचना नहीं है कि बलिया नगरपालिका में नाइट स्वायल के लिये एक ही गाड़ी है, लेकिन इस उत्तर में आपने लिखा है कि....

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया था कि चार्जेज की फेहरिस्त बहुत लम्बी है। यह सम्भव हो सकता है कि उन चार्जेज में ऐसे भी चार्जेज हों।

*८१–८२—श्री धनुषधारी पांडेय—[१० सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद नगरपालिका के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट

*८३—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार को मालूम है कि नगरपालिका गाजियाबाद की १९५३–५४ तथा १९५४–५५ की आडिट रिपोर्ट में ऐसे आरोप हैं कि सरकार द्वारा दिया हुआ धन ठीक खर्च नहीं हुआ ? क्या सरकार उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। केवल १९५३–५४ की आडिट रिपोर्ट के पैरा ७, १३ व १९ में ऐसे आरोप हैं। रिपोर्ट की †प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आडिट रिपोर्ट में जो आरोप लगाये जाते हैं उनको कौन से अधिकारी देखते हैं और कौन सा अधिकारी उस पर ऐक्शन लेता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शासन की ओर से आडिट रिपोर्ट के परिपालन की रिपोर्ट स्थानीय संस्था से मांगी गयी है। वह उन्होंने नहीं भेजी है। यही तरीका हुआ करता है जिससे आडिट रिपोर्ट के आधार पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय और वह कम्प्लायन्स करें कि उन्होंने गलती की है या नहीं।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो रिपोर्टों में १२५ के लगभग अभी तक अनसेटिल्ड आइटम्स हैं, इन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनसे परिपालन करने को कहा जा रहा है, और ४ बार उनको ऐसी सूचना दे दी गयी है।

नैनीताल जिले में धानाचूली-मनाघेर मोटर मार्ग का निर्माण-कार्य

*८४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह धानाचूली-मनाघेर मोटर मार्ग, जिला नैनीताल को कब तक बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क पर पहाड़ की कटाई का कार्य श्रमदान द्वारा लगभग समाप्त हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य जैसे रिटेनिंग वाल व पुल इत्यादि सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें जनता ने श्रमदान कब समाप्त कर लिया था ?

श्री गिरधारीलाल—नोटिस की जरूरत है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी उन पुलों के नाम बता सकते हैं जिनका इसमें जिक्र है ?

श्री गिरधारीलाल—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस सड़क के निर्माण में कितना रुपया लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल—मेरा खयाल है कि बहुत कम रुपया लगेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह विचार कब समाप्त हो जायगा और सड़क कब तक बन सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—बहुत ही जल्द समाप्त हो जायगा।

---

†छापी नहीं गयी।

झांसी नगर में नलों की व्यवस्था

*८५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में स्वशासन विभाग द्वारा पानी के नल लगाने का कार्य कब आरम्भ हुआ था, कितने भाग में नल लग चुके हैं तथा कितने में बाकी हैं ?

*८६--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस भाग में नल लग चुके हैं उसमें क्या उनसे पानी सप्लाई होना आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो कब से होगा ?

*८७--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार ने वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया कर्ज व अनुदान देना मंजूर किया है और उसमें से कितना दे चुकी है तथा उस पर बोर्ड को कितना ब्याज देना पड़ रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी दशा में इन प्रश्नों को स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--बाद में जवाब उनको देना ही होगा।

नगरपालिकाओं के निलम्बित चेयरमैन

*८८--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ से अब तक कितने नगरपालिकाओं के चेयरमैन निलम्बित (मुअत्तिल) किये जा चुके हैं, इन में से कितनों की याचिका हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गयी और उनमें कितनी स्वीकृत हुईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया नगरपालिका में गन्दे पानी के निकलने की व्यवस्था न होना

*८९--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया नगरपालिका में एल० एस० जी० डी० द्वारा निर्मित गन्दा पानी बहने की नाली में गन्दा पानी बराबर क्यों रुका रह जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सीवेज फार्म के लिए भूमि देर से प्राप्त होने और धनाभाव के कारण सिवेज पम्पिंग स्टेशन व सिवेज फार्म का निर्माण नहीं हो सका है। जिससे नालियों द्वारा लाया हुआ पानी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इससे नालियों में पानी रुक जाता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पम्पिंग स्टेशन बन जाने के बाद भी अगर नालियों में उंचाई-निचाई के कारण पानी रुक जाय तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--पम्पिंग स्टेशन भी साथ-साथ बनाया जा रहा है। ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि उसके बनने के बाद भी पानी रुके।

इटावा कलेक्टरी में माल व फौजदारी के अनिर्णीत मुकदमे

*९०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा की कलेक्टरी कचहरी में कितने ऐसे फौजदारी और माल के मुकदमे हैं जिन्हें एक साल से अधिक समय हो गया पर अभी तक उनके फैसले नहीं हुए ?

श्री सैयद अली जहीर—माल के ७२ और फौजदारी के ११ ऐसे मुकदमे हैं।

इटावा जिले की अपूर्ण चुनाव वाली ग्राम पंचायतें

*९१—श्री भुवनेश भूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिला में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अब तक पूरे सदस्य नहीं चुने गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१० ग्राम पंचायतों में पूरे सदस्य नहीं चुने गये हैं।

*९२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला इटावा में कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अभी तक उपप्रधान का चुनाव नहीं हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—६२ ग्राम पंचायतों में उप-प्रधानों का चुनाव नहीं हुआ।

झांसी डिवीजन में पंचायत विभाग के अन्तर्गत हरिजन कर्मचारी

श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि झांसी डिवीजन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पंचायत निरीक्षक, पंचायत लिपिक, पंचायत चपरासी, पंचायत मन्त्री एवं स्थानापन्न पंचायत निरीक्षकों में हरिजनों की कितनी संख्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—झांसी डिवीजन के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पंचायत निरीक्षक, पंचायत लिपिक, पंचायत चपरासी, पंचायत मन्त्री, एवं स्थानापन्न पंचायत निरीक्षकों में हरिजनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

जिला	हरिजनों की संख्या				
	पं० नि०	पं० लि०	पं० चप०	पं० मन्त्री	स्थानापन्न पं० नि०
१—झांसी .	..	..	..	४	..
२—हमीरपुर	..	२	२	४	..
३—जालौन	..	..	..	४	..
४—बांदा	१	..	..	..	..
योग	१	२	२	१२	..

इटवा डुडैला, जिला बांदा की बहुधन्धी सहकारी समिति के विरुद्ध वन विभाग द्वारा शिकायत

*९४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास इटवा डुडैला, जिला बांदा की १८६ बहुधन्धी सहकारी समिति की कोई शिकायत बुन्देलखंड बांदा डिवीजन वन विभाग द्वारा १३-२-५७ को किये गये इटवा मुरादी वन के नीलाम के बारे में आयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार के पास इटवा डुडैला सहकारी समिति की कोई शिकायत इटवा मुरादी वन के नीलाम के बारे में नहीं आयी। जो शिकायत आयी थी वह इटवा कुसमी वन के टेन्डू लाट के नीलाम के बारे में थी। जांच से पता चला कि उक्त लाट का नीलाम साधारणतया जैसा होना चाहिए था हुआ और जो अधिक से अधिक दाम मिले उस पर बोली खत्म कर दी गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच किससे करायी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विभागीय अधिकारियों से करायी गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सहकारी समिति ने कोई बोली बोली थी क्योंकि उनका कहना है कि उनसे कम बोली वाले को दे दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस प्रकार की कोई शिकायत सहकारी समिति ने नहीं की। उन्होंने यह कहा था कि ज्यादा रुपया, ५ हजार के लगभग, वह देना चाहते थे जब कि अन्तिम बोली ३,५०० रु० की हुई। जांच करने पर पता लगा कि ५,००० रुपये की बोली नहीं बोली गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सहकारी समिति के सदस्य सरकार के या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य से मिले थे, अपनी शिकायत की थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पर कितनी बोलियां हुयीं, और कितने से शुरू हुई और कितने पर खत्म हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नोटिस की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, अन्तिम बोली ३,५०० रुपये की थी।

फैजाबाद जिले में बिसूही नाले पर पुल निर्माण की योजना

*९५—श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मीटी के विकास खण्ड का (जिला फैजाबाद) सम्बन्ध बरसात में सारे जिले से इस लिए टूट जाता है कि बिसूही नाले पर एक पुल नहीं बन सका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह कहना ठीक न होगा कि इस पुल के न होने से बरसात में मीटी विकास खंड का सम्बन्ध जिले से टूट जाता है क्योंकि रास्ते और भी हैं, लेकिन वह रास्ते अच्छे नहीं हैं। नाले पर पुल बनाने की योजना तैयार हो गयी है और ठेका दिया जा चुका है मार्च तक पुल बन जाने की आशा है।

मिर्जापुर जिले में जमुआ बाजार की कच्ची सड़क पर यातायात में कठिनाई

*९६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में जो कच्ची सड़क जमुआ बाजार से जाती है, वह जमुआ बाजार के पास इतनी खराब हो गयी है कि सवारियों के आने-जाने में जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सड़क पर जमुआ बाजार के पास बरसाती पानी तथा नलकूप के पम्प से लगातार बहने वाले पानी के कारण कीचड़ हो जाती है जिसके कारण यातायात में कठिनाई होती है। जीवन का कोई खतरा नहीं है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क की खराबी के कारण पिछले वर्ष कई बसें उलट गयी थीं और उन से लगभग ५० आदमी जख्मी हुये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यदि शिकायत आवेगी तो जांच करा ली जायगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर के गोदाम में पानी से सीमेंट जमने की शिकायत

*९७--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि P. W. D. विभाग मिर्जापुर के Godown में लगभग एक हजार बोरा सीमेंट पानी पड़ने से जम गया है ?

श्री गिरधारीलाल--यह कथन ठीक नहीं है।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, अलीगढ़ द्वारा चलने वाले ईंटों के भट्ठे

*९८--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के कितने ईंटों के भटठे चल रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--१९५६-५७ में फेडरेशन ने ७ भट्ठे चलाये, परन्तु अब एक भी नहीं चल रहा है।

*९९--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन भट्ठों में कितने सफल हुए हैं और कितने नहीं चल सके ? इनकी असफलता का क्या कारण है?

श्री मोहनलाल गौतम--इन सात में से केवल ३ ही सफल रहे। शेष भट्ठों की असफलता का कारण कोयले का पूर्ण मात्रा में न मिलना है।

*१००--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन को कितना कोयला मिलता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिलों की विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये गये भट्ठों के लिए ३०६ वैगन कोयला मिला।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक भट्ठे के चलाने में एक वर्ष में कितने वैगन कोयला की आवश्यकता होती है ?

श्री अध्यक्ष--यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्होंने यह रोजगार किया होगा।

श्री रामप्रसाद देशमुख--जो भट्ठे कोयले से नहीं चल रहे हैं क्या सरकार उनके चलाने की किसी दूसरी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैं पहले उनके नाकामयाब होने के कारण देख लूं, उसके बाद सोचा जायगा कि क्या हो सकता है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख--कौन-कौन से ऐसे भट्ठे हैं जो कोयले की वजह से रुक गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इतने विस्तार से सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोयले की कमी के कारण साखू की लकड़ी से भी वह इन भट्ठों को चलाने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह सुझाव मैं नोट कर लूंगा।

श्री जगवीरसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ३०६ वैगन कोयले जो दिये गये हैं, वे कितने भट्ठों को दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसमें कई तरह के भट्ठे हैं। कुछ भट्ठे फेडरेशन चलाता है, कुछ भट्ठे कुछ और यूनियनें चलाती हैं, कुछ भट्ठे कोआपरेटिव सोसाइटीज चलाती हैं, इस तरह से कई तरह के भट्ठे हैं।

सहारनपुर जिले के घाड़ क्षेत्र में पानी की कमी

*१०१--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या यह सही है कि सहारनपुर जिले के फैजाबाद, मुजफ्फराबाद, भगवानपुर तथा रुड़की परगनों के घाड़ प्रदेश में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए पानी की कमी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०२--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि पानी की इस कमी को पूरा करने की उसकी क्या योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सूचना एकत्रित की जा रही है।

विधान सभा सदस्य श्री गेंदासिंह के अनशन पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--कल यह काम रोको प्रस्ताव झारखंडे राय जी ने दिया था। उनका प्रस्ताव पहले आया था और उसके बाद श्री नारायणदत्त तिवारी का आया, उसी प्रकार का। लेकिन भाषा उस में अलग है, कारण भी उस में ज्यादा ब्योरेवार दिये हैं। पहले, जो झारखंडे राय जी का है, उसको मैं सुना देता हूं।

> "प्रदेश के प्रमुख समाजवादी नेता तथा विधान सभा के सदस्य माननीय गेंदा सिंह के पूर्वी उत्तर प्रदेश की भुखमरी की स्थिति पर अनिश्चित काल के लिए अनशन तथा इस विषय में मुख्य मन्त्री द्वारा श्री गेंदा सिंह को मिले पत्र के विषय से उत्पन्न प्रदेश व्यापी क्षोभ, असन्तोष एवं चिन्ता पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

दूसरे में बहुत से कारण दिये हुए हैं कि किस वजह से उन्होंने अनशन किया।

अनशन करने की दृष्टि से तो मैं कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि अनशन किसी कारण हुआ है। पूर्वी जिलों की जो परिस्थिति है वह एक महत्व का विषय है। उस विषय पर चर्चा करने के लिए वह विषय निश्चित सा हो जाता है। इसलिये श्री झारखंडे राय जी के प्रस्ताव को मैं वैध करार देता हूं। वह सदन से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें अनुमति दी जाय इसको उपस्थित करने की।

सिर्फ एक विशेष परिस्थिति में मैं इसकी इजाजत देता हूं। नहीं तो अनुदानों पर जिन दिनों विचार होता है, उन दिनों जब तक कोई विषय बहुत महत्व का न हो तब तक कामरोको प्रस्ताव नहीं लिया जाता। लेकिन विषय महत्वपूर्ण होने की वजह से और अनुदानों के विवाद में उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती इसलिए इसकी इजाजत दे दी है और उसे वैध करार दिया है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, जो विषय कामरोको प्रस्ताव में मैंने इस हाउस में प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त गम्भीर विषय है। यों उसके विषय में यहां चर्चा भी कभी-कभी हो चुकी है। फिर भी माननीय गेंदा सिंह जी ने . . .

श्री अध्यक्ष--आप सिर्फ अनुमति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके डिटेल्स में नहीं जायेंगे।

श्री झारखंडेराय--मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति इस समय जो है, उसको लेकर इस सदन में विवाद भी पैदा हुआ। विरोधी पक्ष की ओर से समय-समय पर भुखमरी के समाचार इस सदन में कई प्रस्तावों के रूप में दिये गये उस पर सरकार ने जो उत्तर दिया वह काफी विवादग्रस्त है। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मौतों के विषय में हम लोगों का विचार यह है कि अखाद्य-पदार्थ खाने से या बीच-बीच में कभी-कभी खाना न मिलने से या और दूसरी चीजें जो एक इन्सान नहीं खा सकता उनके खाने से भी बड़े पैमाने पर बीमारी फैल रही है और मौतें हो रही हैं। ये भुखमरी की मौतें हैं।

श्री अध्यक्ष--आप तो बहस में जा रहे हैं। आप को थोड़े से शब्दों में इजाजत ले लेनी है।

श्री झारखंडेराय--चूंकि विषय गम्भीर है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दो करोड़ जनता के जीवन से यह सम्बन्ध रखता है, इसलिए मैं संक्षेप में इस सदन से आज्ञा चाहूंगा कि इस पर विवाद करने के लिए अनुमति प्रदान करे। अगर यह सदन आज्ञा प्रदान कर देगा और वाद-विवाद का अवसर प्राप्त होगा उस समय सभी सदस्यों को इसका अवसर मिलेगा कि उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें। इस समय मैं माननीय सदन से यही आज्ञा चाहूंगा कि वह इस गम्भीर विषय पर विचार करने के लिए अवश्य अनुमति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष--इस में आपत्ति तो नहीं है किसी को? (एक क्षण बाद) कोई आपत्ति नहीं है, तो इस प्रस्ताव के उपस्थित करने की सदन अनुमति देता है और आज ४ बजे से ६ बजे तक नियम के अनुसार इसके ऊपर विवाद होगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या २४-लेखा शीर्षक: ४१-विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २५-लेखा शीर्षक ४१-और ८१-क-विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८-लेखा-शीर्षक: ८१-क-विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए आय-व्ययक में अनुदानों के लिए प्रस्ताव होगा।

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--मैं, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--विद्युत् योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ४१ के अन्तर्गत २,८२,०८,००० रु० की मांग वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर एक प्रोसीजर के मुताल्लिक पेश करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, जब तक वह खड़े हैं, उनको पेश कर लेने दीजिये। पेश कर लेने पर उनके सम्बन्ध में अगर आपको कुछ कहना हो तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री सुल्तान आलम खां--आज बजट है। ४ बजे से आपने मुकर्रर कर दिया है कि डिस्कशन शुरू हो, लेकिन ५ बजे के बाद डिस्कशन अगर हो तो ठीक है। बजट के वक्त में कोई दूसरी चीज नहीं आती।

श्री अध्यक्ष--पहले धर्मसिंह जी को कह लेने दीजिये, उसके बाद में, मैं आप को मौका दे दूंगा इस प्रश्न को उठाने के लिए।

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--के अन्तर्गत १,४२,४२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या ४८--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)--लेखा शीर्षक : ८१-क--के अन्तर्गत ११,०८,८६,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--अब मैं यह उचित समझता हूं कि भाषण आप बाद में दें। पहले वह जो श्री सुल्तान आलम खां का वैधानिक प्रश्न है उसका निश्चय हो जाना चाहिए।

श्री सुल्तान आलम खां--अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो हमारा नियम १५३ है इसके सब रूल ३ के मातहत जो वक्त कि बजट के डिस्कशन का दिया है उस में सिर्फ उसी सूरत में जब आप उस वक्त को काट दें, तब तो कोई और चीज डिस्कस हो सकती है वर्ना ११ से ५ बजे तक सिवाय सवालों के और कोई दूसरा काम बजट के दिन नहीं लिया जायगा। तो ऐसी सूरत में मैंने यह सोचा कि मैं आप की नोटिस में ला दूं। फिर आप जैसा मुनासिब समझें, फैसला करें।

श्री अध्यक्ष--जो ७२ नियम है, उसमें कामरोको प्रस्ताव का उल्लेख है। हिन्दी में तो स्पष्ट ही है कि और काम रोककर प्रस्ताव पर काम होना चाहिए। अगर आप का साधारण काम खत्म ही हो गया तो कामरोको प्रस्ताव का महत्व ही खत्म हो जायगा। एक इन्टरप्शन के लिए यह कामरोको प्रस्ताव होता है कि सदन यह समझता है कि और काम जो लिया हुआ है कार्यवाही में उसको रोक कर फलां महत्त्व का काम लिया जाय। आप इतना उसको महत्व देते हैं। इसलिए नियम यह बना है कि साधारण कार्यक्रम समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार एक घंटा पहले प्रारम्भ करना चाहिए और अगर काम और जल्दी खत्म हो जाय तो मैं ३ बजे से भी इजाजत दे सकता हूं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ५ बजे काम खत्म होने पर काम रोको प्रस्ताव पर विचार शुरू करें। ४ ही बजे से उस पर विचार होगा, और मैं समझता हूं कि चूंकि समय कल निश्चित हुआ था कि आज के अनुदानों के लिए आज शाम तक समय रहेगा तो नेता विरोधी दल से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तीनों अनुदान आप ४ बजे समाप्त करेंगे?

श्री त्रिलोकीसिंह--जी हां, ऐडजर्नमेंट मोशन के लिए हमको यकीनी तौर पर करना पड़ेगा।

अनुदान सख्या २४--लेखा शीर्षक: ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक. ४१ और ८१–क-- विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४८-- लेखा शीर्षक : ८१–क--विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

*श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन ग्रान्टों का सम्बन्ध है यह बिजली के महकमे के सम्बन्ध में ३ ग्रान्ट हैं। यह जो ग्रान्ट नम्बर २४ है इसके लिये जो रुपया मांगा गया है वह उस ग्रान्ट के लिये मांगा गया है कि जो कार्य इस प्रदेश में बिजली के महकमे में अबतक हो रहे हैं मसलन पावर स्टेशंस हैं, बहुत सी लाइन्स हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जिनको मेनटेन करने के लिये आवश्यकता होती है इस बात की.....

श्री अध्यक्ष--सदन में शोर बहुत हो रहा है, भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं देता इसलिये माननीय सदस्य खामोशी के साथ, अगर बाहर जाना चाहें तो जायं। कुछ माइक्रोफोन भी खामोश हो रहा है ।

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं २४ नम्बर की ग्रान्ट के बारे में कह रहा था कि उसमें उन पावर हाउसेज और ट्रांसमिशन लाइन्स जो पहले से चली आती हैं उनके मेनटेनेन्स के लिये रुपया मांगा गया है और ग्रान्ट नम्बर २५ में उन चीजों के लिये रुपया मांगा गया है मसलन बिजली विभाग में बहुत से इंजीनियर्स हैं या एस्टेबलिशमेन्ट और स्थापना पर जो व्यय होगा वह इस में है। इसके बाद जहां तक ग्रान्ट नम्बर ४८ का सम्बन्ध है वह रेवेन्यू से नहीं बल्कि कैपिटल से खर्च होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी बहुत सी स्कीम्स ऐसी थीं जो समाप्त हो गई थीं और वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी चलीं तो उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में पैसा खर्च होगा जहां तक इस ग्रान्ट का सम्बन्ध है, जहां तक बिजली के महकमे का सम्बन्ध है, इसमें दो राय नहीं हैं कि आजादी प्राप्त करने के बाद अगर हम तमाम आंकड़ों को देखें तो इस प्रदेश में इधर सहारनपुर से लेकर पूर्वी जिलों तक बिजली के मामले में बहुत तरक्की हुई है। सन् ४७ में जब कि हम आजाद हुये थे उस वक्त यू० पी० में थोड़े से पावर स्टेशंस थे और छोटी-छोटी स्कीमें थीं और काम इतना फैला हुआ नहीं था जितना कि सन् ४७ के बाद से आज तक फैला है।

मैं इस बजट को प्रस्तुत करते समय इस विभाग के काम को ३–४ हिस्सों में जोड़ना चाहता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या काम यहां हुआ और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या कार्य हुआ, विशेष रूप से उस वर्ष में जो कि इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था ५६–५७ का और अब यह वर्ष है सन् ५७–५८ का जिसके लिये मैं मांग प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर हम इस बजट को तीन चार भागों में बांटें, उदाहरण के रूप में ग्रिड क्षेत्र में और शारदा क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या काम हुआ वह मैं आगे चलकर बताऊंगा। उसके बाद नम्बर आता है पूर्वी जिलों का, फिर बुन्देलखंड डिवीजन का और फिर पहाड़ी जिलों का। मैं आगे यह भी बताऊंगा कि किस-किस इलाके में क्या-क्या काम हुआ है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। पूरा विवरण साफ तौर पर मैं सदन के समक्ष रखूंगा। तो जहां तक शारदा या ग्रिड एरिया का सम्बन्ध है अबसे पहले वहां छोटे-छोटे पावर हाउसेज थे। १९४७ के बाद गंगा नहर पर या जब से प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई है तब से हमने वहां पर बहुत से पावर स्टेशंस बनाये। उदाहरण के तौर पर मुहम्मदपुर पावर स्टेशन है जिसकी जनरेटिंग कैपेसिटी ९,००० किलोवाट के करीब है। उसके बाद जहां तक दूसरे पावर स्टेशन का सम्बन्ध है जो कि ग्रिड एरिया में सबसे बड़ा पावर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी २०,००० किलोवाट के करीब है और वह १९५६ में बन कर तैयार हो गया। यह तो रही ग्रिड एरिया की बात। इसी तरह से हरदुआ गंज का पावर स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५,००० किलोवाट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मसिंह]

के करीब यहां बिजली पैदा की और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस हरदुआगंज में जो कि अलीगढ़ से ६,७ मील की दूरी पर है ३० हजार किलोवाट के करीब बिजली २.५ करोड़ रुपया खर्च करके पैदा करने का विचार है। उसके लिये ५६–५७ में कुछ कार्य हुये हैं यदि आसानी से हमको सामान मिल गया, क्योंकि दिक्कत यह है कि पावर स्टेशंस बनाने का जहां तक सम्बन्ध है दूसरे मुल्कों से हमें सामान मंगवाना पड़ता है, तो ५७–५८ में हम ३० हजार किलोवाट के करीब बिजली हरदुआगंज पावर स्टेशन से पैदा कर सकेंगे। ग्रिड एरिया में गंगा के फाल पर छोटे-छोटे पावर स्टेशंस हैं जैसे पलरा में ६०० किलोवाट, मोला में २,७०० किलोवाट, बहादराबाद में ४,४०० किलोवाट, सुमेरा में १,२०० किलोवाट, सलावा में ३,००० किलोवाट चितोरा में ३,००० किलोवाट और निरगामनी में ५,००० किलोवाट के करीब बिजली पैदा होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस ग्रिड एरिया में १९४७ के बाद और प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद बहुत से कार्य हुए और इसके बाद मैं आपका ध्यान उस पावर हाउस की तरफ दिलाता हूं जो कि नैनीताल जिले में हैं।

शुरुआत में खटीमा पावर हाउस के बनाने में बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंजीनियर्स वहां पर गये। लोगों को रहने सहने में दिक्कतें हुई। सर्वे में बहुत सा टाइम लगा। अन्त में ५६ के करीब ४१,४०० किलोवाट बिजली यहां पैदा हुई। जब बिजली पैदा हो गई तो रामपुर इत्यादि तक बिजली बढ़ाने के लिये इस बात की व्यवस्था की कि ग्रिड एरिया और शारदा एरिया को जोड़ दिया जाय। इसके बहुत से वजूहात हैं। पहला कारण तो यह है कि बिजली यों बहुत कीमती पड़ती है। उसमें कोयले का बहुत खर्चा होता है। नेचुरल तरीके से जो हमारी बिजली पैदा होती है उसमें उतना खर्चा नहीं पड़ता। इसी कारण गंगा ग्रिड और शारदा एरिया को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिये हमने कुछ योजनाओं को चालू किया। इसी योजना के अन्तर्गत हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में खटीमा, पथरी, मुहम्मदपुर और हरदुआगंज को एक दूसरे से जोड़ने के लिये कोशिश की। इसके लिये २,२०० मील के करीब ट्रांसमिशन लाइन्स लगाईं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २०,१४९ मील के करीब ट्रान्समिशन लाइन्स लगाने का विचार है, इन तमाम पावर स्टेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिये। बहुत से सदस्यों ने दिल्ली जाते वक्त देखा होगा कि मुरादाबाद जिले में रामगंगा पर बहुत ऊंचे-ऊंचे बिजली ले जाने के लिये खम्भे लगे हुये हैं। और मेरा यह यकीन है कि यदि उसको देखने की कोशिश की जाय तो नार्दर्न इंडिया में इस तरह का स्पैन, इस तरह का कार्य कहीं नहीं है जहां से बिजली पास आन होती है।

यह तो रही गंगा ग्रिड और शारदा एरिया की बात। उसके बाद मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान उन थर्मल स्टेशंस की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो हमने बहुत से पावर हाउसेज के अन्दर बना दिये। हमने ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रीफाई करने के लिये और छोटे-छोटे कार्यों को करने के लिये मऊ में, गोरखपुर में, सुहावल में और मैनपुरी में इस तरह के बहुत से स्टेशंस को बनाया। इसके बाद वहां पर बहुत से पावर स्टेशंस बन रहे थे, तो १५,००० किलोवाट का मऊ, गोरखपुर, सुहावल, में प्रत्येक जगह पर बन रहा है। उसमें से ५० फीसदी कार्य हो चुका है जोकि हो जाना चाहिये था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस दिसम्बर के अन्त तक इनकी जहां तक कैपेसिटी की बात है वह अच्छे तरीके से पूरी हो सकेगी और उसमें हम गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि को पूरे दिसम्बर तक बिजली दे सकेंगे और पूर्वी जिलों में और खासतौर से मऊ, गोरखपुर इत्यादि के एरिया में जहां तक बिजली के ट्यूबवेल्स का सम्बन्ध है, उसमें जो कमी पड़ रही है उसको पूरे तरीके से रबी की फस्ल तक इलेक्ट्रीफाई कर सकेंगे।

इसके बाद मैं आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान में हमने बहुत से ट्यूबवेल्स बनाये। ट्यूबवेल्स बनाने के बाद यह लाजमी हो जाता है कि उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाय और प्रत्येक माननीय सदस्य यह अन्दाजा लगा सकता है कि कितनी कितनी दूरी पर कितना अधिक खर्चा करने के बाद वह लगाया जाय, इसलिये कि हमारे देश में अन्न की कमी है, तो कितनी-कितनी दूर तक ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रीफाइ करने के लिये लाइन ले जानी पड़ती है चाहे सरकार को उसमें से कुछ आमदनी होती हो या कितनी ही दूरी पड़ती हो। हम पहले यह कोशिश करते हैं कि बिजली दें। यदि नहीं दे सकते तो दूसरी तरह से उस ट्यूबवेल को चलाने की कोशिश की जाती है। अब इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने २,१८८ ट्यूबवेल्स को ट्रांसमिशन लाइन्स बना करके, सब-स्टेशन बनाकर के इलेक्ट्रीफाइ किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,५०० ट्यूबवेल्स को, हम उम्मीद करते हैं कि, इलेक्ट्रीफाइ करेंगे। तो जहां तक १,५०० ट्यूबवेल्स का सम्बन्ध है मुझे उसकी लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देहरादून, सहारनपुर में ६०, मुजफ्फरनगर, मेरठ में १५०, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा में १२०, मथुरा, आगरा, इटावा, मैनपुरी में ३०, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर में ४०, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में १२०, बरेली, बदायूं में ८०, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी में ९०, पीलीभीत, खीरी में १००, नैनीताल में १०, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर में २००, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में २००, बहराइच, गोंडा, बस्ती में १८० और गोरखपुर, देवरिया में १२०। तो कहने का मतलब यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने १,५०० ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रीफाइ करने का इरादा किया है। आदरणीय सदन स्वयं अन्दाजा लगा सकता है, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, कि कितनी दिक्कत होती है इनको इलेक्ट्रिफाई करने में।

उसके साथ ही साथ जब हम बहुत से पावर हाउसेज को नहीं बना सके और पूर्वी जिलों में बहुत से ट्यूबवेल्स बन गये तो इस दौरान में हमने छोटे-छोटे पावर स्टेशंस, छोटी-छोटी स्कीम्स हमने लागू कीं जिससे हम इंटेरिम पीरियड के लिये, थोड़े से पीरियड के लिये, ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिफाइ कर सकें। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने देवरिया में एक ६०० किलोवाट का पावर स्टेशन, मऊ में ६०० किलोवाट का पावर स्टेशन और दूसरा मऊ में थर्मल का ६०० किलोवाट का बनाया। सुहावल में ७५० किलोवाट का, मैनपुरी में ७५० किलोवाट का, नीब करौली में २,७५० किलोवाट का बनाया, गुरुसहायगंज में १,५००, गोरखपुर में ३,१२५, बहराइच में ७५० और भदोही में ३,२२५। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस दौरान में जब गोरखपुर, मऊ और सोहावल जैसे पावर स्टेशन्स की कैपेसिटी १५,००० किलोवाट हो जायगी तो इन छोटे-छोटे पावर स्टेशन्स के लिये आवश्यकता इस बात की पड़ेगी कि इनको और जिलों में ले जाया जाय। इस बात की हम भरसक कोशिश करेंगे।

इसके बाद मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ ले जाना चाहता हूं। रिहन्द बांध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के इर्रीगेशन और बिजली के मुहकमे की यह सबसे बड़ी योजना है। भारत सरकार ने भी इसमें पैसा दिया है। इसकी हिस्ट्री को देखा जाय तो शुरुआत में बहुत सी दिक्कतें आईं और पैसा लेने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम १९६०–६१ तक उम्मीद करते हैं कि यह योजना पूरी हो जायगी। मैं इसके सम्बन्ध में बताऊं कि वहां क्या-क्या दिक्कतें आईं? पहले तो इंजीनियर्स वहां जाने में घबराते थे और लोगों का रहना कठिन होता था। लेकिन फिर भी हमने इस बांध की सर्वे कराई। इस

[श्री धर्मसिंह]

तरह से हम पावर हाउस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है यह १७ जिलों को डोमेस्टिक परपजेज, ऐग्रीकल्चरल परपजेज तथा अन्य कार्यों के लिये बिजली देगा। शुरुआत में इसमें २ लाख ५० हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी जो अल्टीमेटली ३ लाख के करीब हो जायगी। इसमें १३२ के० वी० लाइन १,०३० मील की बनेगी, ६६ के० वी० लाइन २४ मील में बनेगी, ३३ और ११ के० वी० लाइन ३,००० मील में बनेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आजमगढ़, इलाहाबाद, बलिया, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर आदि पूर्वी जिलों को यह बिजली देने में सहायक हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की जायगी कि यदि बिजली बच गई, तो शारदा एरिया के लोगों की सहायता कर सकें।

(इस समय १२ बज कर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

इस तरह से इससे तीन करोड़ लोगों को लाभ होगा और इसके साथ ही साथ १४ लाख एकड़ भूमि हमारे प्रदेश की सिंचाई में आयगी और ४ से लेकर ५ लाख एकड़ भूमि बिहार में सींची जायगी।

जब तक हमारा यह बांध बन कर तैयार हो, हमारी योजना पूरी हो, उसके दौरान में हमने छोटे-छोटे पावर स्टेशन्स बना दिये हैं। उदाहरण के तौर पर पिपरी का स्टेशन है जो ४ हजार किलोवाट बिजली बना रहा है, राबर्ट्सगंज में डीजल से ६०० किलोवाट पैदा कर रहे हैं जो बन गया है और चौपान में ६ हजार किलोवाट बिजली पैदा करने का इरादा है और उस पर कार्य हो रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि रिहन्द के बाद इस बात की कोशिश की जायगी और उम्मीद की जाती है कि हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में इसको फैलायें और वहां जो अन्न की कमी है, वह समाप्त हो सके और वहां पर जो इस तरीके की बहुत सी गरीबी की समस्यायें हैं वह दूर हो सकें। इसके दौरान में जहां तक हमारे बिजली विभाग के बजट का सम्बन्ध है १९४७ के बाद १९५७ तक हमने ७१८ टाउन्स या विलेजेज को इलेक्ट्रीफाइ किया जिनके नाम लेने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी एक योजना ३६ टाउन्स को इलेक्ट्रिफाइ करने की थी जिससे बेकारी दूर हो। उसको हमने लागू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत कार्य हुआ और उसके बाद जो भी टाउन्स रह गये हैं वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे हो जायेंगे। साथ ही साथ सन् ५१ से लेकर सन् ५७ तक जहां कहीं भी इन्टेरिम पावर स्टेशन के द्वारा या और तरीके से हम बिजली पहुंचा सकते थे, जैसे बस्ती, देवरिया, खलीलाबाद, चौरी चौरा, रामनगर, टनकपुर, लखीमपुर-खीरी, बिसवां, बागेश्वर, बलिया, रानीखेत, भीमताल, मसौली, मऊ इत्यादि में वहां हमने बिजली देने की कोशिश की है। लेकिन जब बिजली पैदा हो जाती है तो आवश्यकता इस बात की होती है कि ट्रांसमिशन लाइन्स इत्यादि बना कर बहुत से टाउन्स और विलेजेज को इलेक्ट्रिफाइ किया जाय। हमने दो, तीन स्कीमें सदन के सामने पेश करके ७१८ टाउन्स को इलेक्ट्रिफाइ किया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने जब भारत सरकार से मांग की कि बिजली बनने के बाद उसको फैलाने के लिये रुपये की आवश्यकता है तो हमें कठिनाई से ५ करोड़ रुपये के करीब मिले और उसमें भी यह शर्त लगा दी कि १ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च कर सकते हैं। तो बिजली विभाग के इंजीनियर्स मिले और उन्होंने रूरल और अरबन इलेक्ट्रिफिकेशन की एक स्कीम बनायी जिसमें इस बात की कोशिश की गयी कि प्रत्येक वर्ष हम ५० के करीब टाउन्स लेंगे। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे २२५ टाउन्स और विलेजेज जिनकी आबादी दो हजार से ऊपर है और जिन्हें इलेक्ट्रिफाइ करने के बाद कुछ फायदा हो सकता है उनको इलेक्ट्रिफाइ करने की एक

स्कीम बनायी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में जो सन् ५६-५७ का था केवल ४३ टाउन्स और विलेजेज को इलेक्ट्रिफाई करने का टारगेट था लेकिन हमने ६० को इलेक्ट्रिफाई किया और इस योजना के दूसरे वर्ष में भी जो सन् ५७-५८ का है हम करीब ६० टाउन्स और विलेजेज को इलेक्ट्रिफाइ करने का इरादा रखते हैं।

इसके बाद मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान उन पहाड़ी जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि प्रत्येक स्थान पर बिजली ले जायं। वहां पर काफी कठिनाइयां आती हैं। कहीं पहाड़ ऊंचे है कहीं नीचे हैं, कभी कोई दिक्कत आती है कभी कोई दिक्कत आती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सी स्कीमें पहाड़ी जिलों में चालू कर रखी हैं। बागेश्वर में ३१ किलोवाट का एक छोटा सा सब-स्टेशन बनाया। रानीखेत टाउन को इलेक्ट्रिफाइ किया। साथ ही साथ भुवाली-रानीखेत-अल्मोड़ा लाइन का कांस्ट्रक्शन किया। खटीमा से अल्मोड़ा और नैनीताल को बिजली दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--भुजांड़ से बेतालघाट रह गया।

श्री धर्मसिंह--वह एक आगे की बात है। उसका भी प्रयत्न किया जायगा। इसके अलावा टनकपुर, रामनगर और भीमताल को इलेक्ट्रिफाइ किया और नरेन्द्रनगर को ग्रिड एरिया बना कर हरद्वार और ऋषिकेश को बिजली देने की कोशिश की जा रही है। यह मैंने केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किया गया वह बतलाया।

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, जिसका दूसरा वर्ष चल रहा है, हमने इस बात की कोशिश की है कि पहाड़ के एरिया का सर्वे करायें, क्योंकि वहां बहुत सी नेचुरल चीजें हैं, वहां बिजली पैदा हो सकती है। इसके लिये हमने चम्पावत और गरुड़ की साइड्स का सर्वे कराया है। उसके साथ ही साथ प्रबंध किया जायगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सर्वे तो उसमें हो गया है, रानीखेत-अल्मोड़ा लाइन जो गरम पानी तक है पिलखौली में बिजली देने के लिये टैप किया जा रहा है और उससे इलेक्ट्रिफाइ कर रहे हैं रेतीघाट, बैताल घाट, खेराना, गरमपानी, लखौनी और चौबटिया और नागपानी को। इस के साथ ही साथ हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किछा, भुवाली, खटीमा और लखवा इत्यादि को हम इलेक्ट्रिफाइ करें और उसके आस-पास जितने टाउन्स हो सकते हैं उनको एलेक्ट्रिफाइ करने के लिये कोशिश करें। कुछ स्कीम्स, जो कि पहाड़ी जिलों की है जैसा मैंने अर्ज किया उनका सर्वे हो चुका है, इन्वेस्टीगेशन हम लोग कर रहे हैं, कठिनाइयां हैं। कुछ स्कीमों के बारे में मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और ५७-५८ के बजट में हमने इस बात की कोशिश की है कि वहां पर थोड़ा बहुत कार्य करें। तो जो सात स्कीमें इसकी हैं वे इस प्रकार से हैं न्यू गेटी छुरा, हाईडेल स्कीम जो इलेक्ट्रिफाइ करेगी पौड़ी, श्रीनगर, किरातनगर और देवप्रयाग को। दूसरी स्कीम है चमोली हाइडेल स्कीम वह चमोली को इलेक्ट्रिफाइ करेगी, तीसरी स्कीम है मन्दाकिनी हाइडेल स्कीम जो नन्दप्रयाग और कर्णप्रयाग को इलेक्ट्रिफाइ करेगी। चौथी है रुद्रप्रयाग हाईडेल स्कीम जो रुद्रप्रयाग को इलेक्ट्रिफाइ करेगी। पांचवीं है रामगंगा रिवर प्रोजेक्ट जिसमें करीब ७५ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी और वह फिर इधर-उधर बटेगी। छठवीं है भिलौंगना हाइडेल स्कीम जो टेहरी को इलेक्ट्रिफाइ करेगी। ७ वीं है उत्तरकाशी हाइडेल स्कीम, इससे हम उत्तर काशी को एलेक्ट्रिफाई करेंगे।

[श्री धर्मसिंह]

इसके साथ ही साथ इस दौरान में हम कोटद्वार और दोगड्डा को भी एलेक्ट्रिफाइ करना चाहते हैं और उसके बाद आस-पास के बहुत से स्थानों पर बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया जायगा ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन पहाड़ी जिलों में हमने बहुत सा कार्य किया और जो स्कीमें मैंने आदरणीय सदन के सामने रखी हैं उन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम लाना चाहते हैं । सर्वे करा रहे हैं और इन्वेस्टीगेशन करा रहे हैं और ज्यों-ज्यों हमको पैसा और सामान मिल सकेगा हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे । इस प्रकार से इन पहाड़ों की गरीबी दूर हो सकेगी, उद्योग-धंधे पनपेंगे और लोगों को लाभ होगा ।

मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान अब बुंदेलखंड डिवीजन की ओर ले जाना चाहता हूं । माताटीला में अब हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ६०-६१ तक १५ हजार किलोवाट बिजली पीक आवर्स में बनेगी और उससे झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिले में बिजली देने का विचार है । लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैं शुरू में अर्ज कर रहा था कि इंटेरिम पावर स्टेशन लगाने की कोशिश करेंगे अगर वहां पर कुछ दिक्कतें आयीं ।

उसके बाद गढ़वाल की योजना न्यू स्टीम स्टेशन फार सप्लाई टु गढ़वाल आयी और हमने इस स्कीम को सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन को भेज रखा है । जब वह स्वीकृत हो कर आ जायगी तो वहां पर यह कार्य हो सकेगा । तो समस्त उत्तर प्रदेश, इसमें ग्रिड और शारदा एरिया आता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आते हैं जिसमें बुन्देलखंड के जिले आते हैं, सेंट्रल के जिले, लखनऊ और आसपास के जिले आते हैं और पहाड़ी जिले आते हैं, इस प्रकार समस्त उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य हुये हैं और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने क्या-क्या टेक अप कर रखा है, मैंने इस सम्बन्ध में आदरणीय सदन के सामने बहुत सी बातें रखी हैं ।

इसके बाद मैं इधर-उधर की बातें न कहता हुआ यह बताऊं कि ४७ से लेकर ५७ तक कितनी हमारे यहां बिजली पैदा हो गई और कितने हमारे यहां पावर हाउसेज बन गये, कितनी हम ने यहां पर लाइन्स बना लीं, कितने सब स्टेशन्स बना लिये और कितना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानी १९६१ तक हम यहां कार्य करना चाहते हैं । मैं आप के सम्मुख इस दौरान में उसके कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । उदाहरण के लिये १९४७ में हमारे पास हाइड्रो पावर स्टेशन्स ७ थे, इस दस साल के दौरान में वह ११ हो गये । थरमलस्टेशन्स १९४७ में केवल ३ थे, १९५७ तक यह ६ हो गये । और डिजिल पावर स्टेशन्स ६ थे जो १७ हो गये और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानी १९६१ तक, यह हाइड्रो, थरमल और डिजिल स्टेशन्स १४, ११ और १७ हो जायंगे । तो कहने का मेरा यह अभिप्राय है कि हाइड्रो, थरमल और डिजिल पावर स्टेशन्स जहां १९४७ में १६ थे, १९५७ में ३४ हैं वह अब १९६१ में ४२ हो जायंगे । हाइड्रो से १९४७ में १९,९०० किलोवाट बिजली पैदा हुई थी, १९५७ में ८६,६५० किलोवाट पैदा हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम ३,६८,६५० किलोवाट बिजली पैदा करने का इरादा रखते हैं । थरमल में २१,५०० किलोवाट १९४७ में हुई, १९५७ में ३६,२२५ किलोवाट और १९६१ तक १,२७,२२५ किलोवाट पैदा करने का इरादा है । इसी प्रकार डिजिल में १९४७ में १,८०० किलोवाट थी जो १९५७ तक २१,१९० हो गई और १९६१ तक २३,१९० किलोवाट जनरेट करने का इरादा है । इसके साथ-साथ बिजली पैदा करने के बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया, ट्रांसमिशन लाइन्स की भी आवश्यकता पड़ती है । तो १९४७ में १३२ के० वी०, ६६ के० वी०, ४४ के० वी०, ३७·५ के० वी०, ३३ के० वी०, ११ के० वी०, ६·६ के० वी०, ३·३ के० वी०, एल० टी० लाइन्स इत्यादि १९४७ में ४,८९९·६ मील थी जो १९५७ में ११,७१०·६ मील हो गई और हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनको २०,१४९·१५ मील तक बढ़ाना चाहते हैं । इसके बाद जहां तक सब स्टेशन्स का सम्बन्ध

है वह १९४७ में केवल २,३९० के करीब थे, १९५७ तक ५,३५६ हो गये और द्वितीय पंशवर्षीय योजना के अन्त तक ६,२५७ हो जायंगे। उसके बाद जब यह बिजली पैदा होगी तो उसको कार्य में लाने का प्रश्न पैदा होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जो ग्रिड और शारदा एरिया कहलाते हैं अब से दो, तीन साल पहले हमने वहां पर बिजली को डिकंट्रोल किया। कोई भी व्यक्ति १० या १५ हार्स पावर तक बिजली के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता था और उसको इंडस्ट्री कायम करने के लिये बिजली मिलती। इस का नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोड सैंक्शन हुआ। इसके बाद हम किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिये बिजली देने लगे कन्सेशनल रेट पर। यह हमने नियम बना लिया केवल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये, इस किस्म की इंडस्ट्री को कि जिससे जनता का अधिक से अधिक हित होता हो और उस तरह की इंडस्ट्री को कि जो नेशनल इंपार्टेंस की हो। तो इस तरह से हमने यहां पर यह कार्य किया है।

बहुत से प्वाइंट्स इसमें आ सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं और यह भी कहा जा सकता है कि नेशनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ। नेशनलाइजेशन का जहां तक सम्बन्ध है उधर सहारनपुर जिले से लेकर पूर्वी जिलों तक चाहे आप पावर स्टेशन्स को ले लीजिये या ट्रांसमिशन लाइन्स को या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात ले लीजिये, अधिक से अधिक कार्य उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग पर है और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कार्य हम लोग करें उसको पूरे तरीके से बिजली का मुहकमा करे। तो जहां तक नेशनलाइजेशन, सोशलाइजेशन की बात हो सकती है, उसके लिये हमारे सामने बड़ी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों के बावजूद भी हम लोग पूरे तरीके से घर-घर में, एक-एक मकान में, हर स्थान पर बिजली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके साथ ही साथ, मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं चाहता कि इस आदरणीय सदन का मैं अधिक समय लूं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने कुछ सुझाव रखें। बिजली विभाग में काम के सिलसिले में इस समय कठिनाइयां हैं। सामान मिलने की कठिनाई है फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कत है फिर भी हम चाहते हैं कि सब हमारे यहां के जितने कार्य हैं वह जल्द से जल्द पूरे हों। इन दिक्कतों के बावजूद भी इस दौरान में हमने उत्तर प्रदेश में बहुत सी बिजली पैदा की है और उसको ले जाने की कोशिश की से और आगे भी पूरे तरीके से कोशिश की जायगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन है प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर बहस करे और फिर इसको पास करने का कष्ट करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४, २५ और ४८ में प्रस्तावित सम्पूर्ण अनुदान पर एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के बोलने के उपरान्त अब समय कुछ कम है। यदि आप उचित समझें और सदन की राय यह हो तो आज हम लोग लंच के लिये न उठें और इस काम को करते रहें। काफी लोगों को इसमें दिलचस्पी है। मैं समझता हूं सदन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—आज तो एक मेहनत का काम सब को करना है और उसके लिये २ घंटे और बैठना है। मेरी समझ में तो यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। जितने मेम्बर साहबान यहां पर तशरीफ रखते हैं उन सब की भी राय मुझे इसके फेवर में नहीं मालूम होती है कि लंच के लिये न उठा जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इसमें यह है कि यदि सदन इसके लिये सहमत हो कि सदन चलता रहे तो इस बीच में कोरम का प्रश्न न रखा जाय ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--हाउस की मुझको इस वक्त ऐसी राय नहीं मालूम होती है कि लंच के लिये न उठा जाय।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहता हूं ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**--श्रीमन्, जब संसार में अणु और उद्जन शक्ति का निरूपण हो रहा हो और एटोमिक और हाइड्रोजनिक एनर्जी को बनाने का प्रश्न उठ रहा हो तो उस समय एक सांसारिक दृष्टिकोण से बिजली की एनर्जी का प्रश्न पीछे रह जाता है । लेकिन फिर भी इस नियोजन के युग में और उद्योगीकरण के युग में विद्युत विभाग की और विद्युतीकरण की महत्ता सर्वाधिक है । इस दृष्टिकोण से जब हम राज्य की शक्ति का और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट और पावर डिपार्टमेन्ट की योजनाओं की परस्पर तुलना करते हैं तो हमें अत्यन्त निराशा होती है । श्रीमन्, इन शब्दों का प्रयोग मैं ही नहीं कर रहा हूं बल्कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के संबंध में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन ने यू० पी० के संबंध में दी है उसका पहला सेंटेंस यही है । पेज १६० पर वह लिखते हैं ।

"For its size and requirements Uttar Pradesh did not have an adequate power development programme."

इस एक लाइन से ही यह स्पष्ट है कि प्लानिंग कमीशन स्वयं इस बात को समझता है कि यू० पी० के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनके अनुरूप यह बिजली के विभाग का प्रोग्राम नहीं चल रहा है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में माननीय मेरे नवयुवक मित्र उपमंत्री जी ने बहुत ज्यादा जिक्र किया । इस प्रथम पंचवर्षीय योजना पर २३.४ करोड़ रुपया खर्च होना चाहिये था, लेकिन केवल १६.९ करोड़ रुपया ही खर्च किया जा सका । इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को भी बिजली विभाग पूरा नहीं कर सका । यह सबको विदित है कि शारदा पावर हाउस १९४८ में बन जाना चाहिये था जो १९५६ में जाकर ८ साल बाद बना । यह सब को मालूम है कि पथरी पावर हाउस सन् ४९ में बन जाना चाहिये था, लेकिन ५५ के अन्त तक बन पाया । यह भी सब को मालूम है कि जो पुरानी एस्टीमेटेड कास्ट थी उससे दुगुनी और ढाई गुनी खर्च होने पर बिजली घरों का निर्माण हुआ । इसलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसी प्रकार भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता ।

इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लीजिये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रिवाइज्ड प्लान्स मेरे पास हैं । पेज २० पर यदि आप देखेंगे तो मालूम होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली के विभाग के लिये ७० लाख रुपया प्रोवाइड किया था लेकिन उसको अब ५४ करोड़ कर दिया है । इसका जो रूप अब रक्खा गया है उसमें इस योजना को ही समाप्त कर दिया गया है । योजना का सारा स्वरूप ही बदल दिया गया है । यमुना स्कीम पर नौ करोड़ नब्बे लाख रुपया खर्च करने को रक्खा गया था लेकिन अब वह ५ करोड़ ही रह गया है । रूरल अरबन इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के लिये ५ करोड़ रुपया रक्खा गया था जो अब घटा कर १ करोड़ कर दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया गया है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिफिकेन आफ स्टेट ट्यूबवेल्स के लिये २·८८ करोड़ रुपया रखा गया था जो घटा कर १·५८ करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार से प्लान कट डाउन किया जा रहा है और सदन के सामने उन आंकड़ों को छिपाया जाता है और चुपचाप प्लान को करटेल किया जाता है तथा उसके कारण भी सदन को नहीं बताये जाते।

एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप इस योजना को देखें तो आपको मालूम होगा कि कैपिटल एक्सपेंडीचर पर पिछले साल के मुकाबले में इस साल २ करोड़ ११ लाख रुपया कम खर्च हो रहा है। इस प्रकार क्या यह योजना बढ़ रही है या घट रही है ?

एक और दृष्टिकोण को आप लीजिये। "मार्टिन बर्न" वगैरह जो प्राइवेट ओनर्स हैं वे पर किलोवाट बिजली पर ६२५ रुपया खर्च करते हैं लेकिन सरकार का खर्चा प्राइवेट कंपनियों से दो ढाई गुना ज्यादा आता है यानी सरकार का पर किलोवाट बिजली पर १,५०० रुपया खर्च होता है। यह बात स्पष्ट रूप से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में लिखी हुई है जिसके मेम्बर यू० पी० कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जी थे। तो जहां प्राइवेट पार्टी ६२५ रु० में एक किलोवाट बिजली पैदा करती है वहां हमारी सरकार को अपनी सारी योग्यता के बावजूद दुगुना तिगुना और ढाई गुना खर्च करना पड़ता है। इससे बढ़ कर आश्चर्यजनक बात कोई नहीं हो सकती।

इसके साथ-साथ एक दूसरे दृष्टिकोण से भी हम सरकार की सफलता और असफलता को माप सकते हैं और वह यह है कि कितनी बिजली जेनरेट हुई और जितनी बिजली जेनरेट हुई उतनी कंज्यूम भी हुई या नहीं हुई। श्रीमन्, सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन जो हमारे देश का सबसे इम्पार्टेन्ट कमीशन है उसने इस सम्बन्ध में जो सूचना दी है वह यह है। सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सन् ५१ में जितनी बिजली जेनरेट हुई उतनी भी आज सन्५७ में हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। सन् ५६-५७ के जो लम्बे चौड़े आंकड़े आपने दिये हैं उनको तो मैं छोड़ देता हूं। जितना हमारे यहां बिजली का प्रोडक्शन हुआ वह सब सुपरफ्लुअस है। सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन के आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। सन् ५१ में ४,७४,८१,००० किलोवाट बिजली जेनरेट हुई और सन् ५६ में ४,४८,००,००० किलोवाट बिजली कंज्यूम हुई। इससे साबित होता है कि जहां तक कंजम्पशन कैपेसिटी का प्रश्न है सन् ५१ में जितनी बिजली जेनरेट हुई उतनी भी सन् ५७ में हम पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पाये हैं। तो जब तक ऐसी प्लानिंग नहीं होती कि जितनी बिजली हम पैदा करते हैं उसका कंजम्पशन ठीक से हो और रेट्स का रेशनलाइजेशन किया जाय इलेक्ट्रिसिटी का रेशनालाइजेशन किया जाय तब तक जो बिजली पैदा होगी उसका उचित उपयोग नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिये मैं शारदा हाइडेल ग्रिड के दो नमूने पेश करना चाहता हूं। शारदा हाइडेल से ४,५ हजार किलोवाट बिजली का ही इस्तेमाल वहां किया जाता है बाकी १४ हजार किलोवाट सब गंगा हाइडेल ग्रिड को ट्रांसफर कर देते हैं। शारदा हाइडल ग्रिड की बिजली के कंजम्पशन के लिये म्यूनिसिपैलिटी से भी कोई रेट अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक तरफ तो बिजली की मांग बहुत ज्यादा है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमारे प्रदेश में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिये इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिये और एग्रीकल्चरल कंजम्पशन इन तीनों के लिये बिजली की मांग बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ बिडम्बना यह है कि जो बिजली जेनरेट होती है उसका पूरा कंजम्पशन नहीं हो पाता।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है लेकिन, श्रीमन्, दो साल के जो फीगर हैं सन् ५६–५७ के और इस साल के वे एक से ही हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी ने पढ़ भी दिया कि हाइडिल प्रोडक्शन और थर्मल प्रोडक्शन में पूरे दो साल में एक यूनिट का भी फर्क नहीं है। क्योंकि सन् ५६ के जो आंकड़े हैं हाइडिल के वह ८६,६५० किलोवाट बिजली थी और थर्मल वाली बिजली ३६,२२५ किलोवाट थी। बिल्कुल वही फीगर इस साल भी दुहरा दिये गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी रिपोर्ट के ही अनुसार न तो थर्मल बिजली के प्रोडक्शन में कोई वृद्धि हुई है और न हाइडेल बिजली का ही प्रोडक्शन बढ़ा है। इस मानें में सरकार का स्वतः यह ऐडमिशन है कि पिछले वर्ष से एक यूनिट भी बिजली का प्रोडक्शन थर्मल या हाइडेल में नहीं बढ़ा है। अब क्यों ऐसा हुआ, सरकार की रिपोर्ट मौजूद है, हम इस का स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, सरकार स्वयं अपनी बात जाने।

दूसरी बात जो देखने योग्य है वह यह है कि बिजली के रेट्स के बारे में फैक्टस फाइन्डिन्ग कमेटी ने जो पूरा विवरण दिया है वह हमारे पास मौजूद है। उसके अनुसार जितनी बिजली की ड्यूटी और रेट्स यहां लगते हैं उतने किसी दूसरे सूबे में नहीं लगते। हाइएस्ट रेट्स एन्ड हाइएस्ट अमाउन्ट आफ ड्यूटी यहां पर है इसी कारण से यहां पर उद्योग धन्धे और दूसरे इंडस्ट्रियल प्लान्ट्स बिजली नहीं ले पाते हैं और जो लेते भी हैं उनके साथ डिसक्रिमिनेशन किया जाता है जैसे कानपुर में जो जुग्गीलाल कमलापत प्रोडक्ट्स हैं उनको एक यूनिट अलग मान लिया गया है ब्लाक सप्लाई के लिये और बाकी जो कारखाने हैं वहां के उनको अलग यूनिट माना गया है। इस तरह से जो सब से बड़ा कनज्यूमर है उसे सब से ज्यादा फायदा है और जो दूसरे यूनिट वाले हैं उनको इस तरह की रियायत नहीं है। इस तरह से जब इंडस्ट्रीयल उत्पादन को बढ़ाने की बात की जाती है तो एक ओर रेट्स का अधिक होना और दूसरी तरफ कम होना, इस तरह की डिसक्रिमिनेशन की बात हमारी समझ में नहीं आती।

अब जो हमारे स्टेट ट्यूबवेल्स हैं उनके वर्किन्ग का अजीब हाल है उसकी जांच उसी तरह से होना चाहिये कि जिस तरह माताटीला और अर्जुन बांध की जांच हो रही है वैसे ही उन की भी जांच होना जरूरी है। राज्य सरकार को स्टेट ट्यूबवेल से औसतन हर साल १ करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस साल भी जो घाटा बजट में प्रस्तावित है वह बढ़कर १ करोड़ १७ लाख होने वाला है और सब से तारीफ की और आश्चर्य की बात यह है कि जितनी रिसीट या आय होती है उसका तीन चौथाई उनके मैन्टेनेन्स में खर्च हो जाता है और यह चीज सरकार की तरफ से जो मेमोरेन्डम मिला है उसके प्रोफारमा एकाउन्ट से स्पष्ट हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ने बिजली के कुओं को इलेक्ट्रिफाई किया। उनका कहना है कि २,९८० ट्यूबवेल हमारे यहां काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहां पहली पंचवर्षीय योजना में १,६४९ कुंये इलेक्ट्रिफाई किये गये इसके माने यह हैं कि १,३३१ ट्यूबवेल ऐसे हैं कि जिनको पहले ही इलेक्ट्रिफाई हो जाना चाहिये था लेकिन वे नहीं हुये। मैं जानना चाहूंगा कि इस भयंकर गोलमाल का, भयंकर शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या कारण है? कुएं बन गये और उनको बिजली न मिले इसकी वह सफाई दें, एक दो या सौ नहीं बल्कि १,३३१ उनकी तादाद है जिनको बिजली नहीं मिली, मैं नहीं जानता कि यह किस की जिम्मेदारी है, सिंचाई विभाग की यह जिम्मेदारी है या विद्युत् विभाग की है। सिंचाई मंत्री जी ने भी क्वेश्चन के समय इस बात को एक दिन स्वीकार किया था कि १,३३१ कुएं ऐसे हैं कि जिनको बिजली नहीं दी जा सकी है।

इसी प्रकार अगर हम आगे चलकर प्रशासन की ओर देखें तो उसमें भी सरकार का और प्लानिंग कमीशन का मतभेद चलता चला आ रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में

ही प्लानिंग कमीशन ने कहा था, कि बिजली बोर्ड बनाया जाय और उसके नियंत्रण में यह काम हो। उस के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भी प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की है कि यू० पी० में भी बिजली बोर्ड की स्थापना की जाय और उसी के द्वारा बिजली का प्रशासन चलाया जाय और इस तरह के बोर्ड मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बम्बई, दिल्ली, सौराष्ट्र और पंजाब में बन चुके हैं। जब वह सब जगह बन चुके हैं तो यू० पी० सरकार को बिजली बोर्ड बनाने में क्या रुकावट है और कौन सी दिक्कत है कि जिससे मजबूर हो कर, प्रेरित हो कर यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य सरकार नहीं बना पायी ? साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन ने यह भी सिपारिश की थी कि---श्रीमन् कितना समय है बोलने के लिए ?

श्री अधिष्ठाता---बीस मिनट हो चुके। दो मिनट में खत्म कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---रैशनलाइजेशन के लिये जो बिजली के रेट्स हैं जैसे मार्टिन इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स या दूसरी प्राइवेट बाडीज हैं या सरकार के स्वयं बिजली घर है इनके रेट्स के रैशनलाइजेशन के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। पिछले वर्ष भी और इससे पहले वर्ष भी बतलाया गया था कि रैशनलाइजेशन के लिए अलग-अलग कमेटीज बनायी गयी हैं। लेकिन उन्होंने क्या सिपारिश की और उनके क्या परिणाम निकले यह स्पष्ट नहीं है। तो मैं मांग करूंगा कि चाहे वह इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए, चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिये या ऐग्रीकल्चरल कंजम्पशन के लिए हो बिजली के रेट्स को घटना चाहिए, उनका रैशनलाइजेशन होना चाहिये ताकि किसान सही मानी में ट्यूबवेल का फायदा उठा सके और शहरों में छोटा कंज्युमरभी बिजली को इस्तमाल कर सके। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक बिजली कितनी ही बढ़ा दी जाय उससे सफलता नहीं मिलेगी।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर के वेतन को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। उनका वेतन ५०० से १,२०० था। अब प्रस्ताव किया जा रहा है कि १,२०० से १,५०० किया जाय। बड़ा आश्चर्यजनक प्रस्ताव है डिप्टी जनरल मैनेजर की कार्य पद्धति वही है, क्वालिफिकेशन वही है। लेकिन आप उनका स्केल ५००---१,२०० से बढा कर १,२००---१,५०० करने जा रहे हैं जब कि एक और मांग यह होती है कि बड़े-बड़े अधिकारियों की बड़ी-बड़ी तनख्वाहें घटानी चाहिए। लेकिन इस अवसर पर डिप्टी जनरल मैनेजर का वेतन इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह यह न समझें कि बिजली विभाग में कटौती का प्रस्ताव पेश करके हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में बिजली का विकास न हो। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश का प्रत्येक शहर और गांव विद्युत देव के प्रकाश से जगमगा उठे। मगर हम यह नहीं चाहते कि एक ओर तो औद्योगीकरण और समाजवाद के नाम पर विद्युत विकास की बात की जाय दूसरी तरफ गलत योजनाओं के द्वारा और वित्त विभाग की गलतियों के कारण इस विद्युत विभाग को टारपीडो किया जाय और इस विभाग को खत्म कर दिया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां---जनाब चेयरमैन साहब, मैं ग्रान्ट के पेश करने पर उप मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। यह वाकया है कि हमारे सूबे के अन्दर गुजिश्ता दस साल के अन्दर बिजली के अन्दर जितनी तरक्की हुई है उसका हम बहुत फेवरेबिल

[श्री सुल्तान आलम खां]

तरीके पर दूसरे सूबों से मुकाबला कर सकते हैं। इस ऐतबार से न सिर्फ हमारी हुकूमत बल्कि हमारे तमाम वह अधिकारी जो कि इस काम में लगे हुए हैं और इस सूबे में बिजली बढ़ा कर इस सूबे को तरक्की देना चाहते हैं वह सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैंने अभी वह कटमोशन भी सुना और अपने दोस्त को तकरीर देते सुना जो उन्होंने बिजली विभाग के मुताल्लिक की और यह सही है कि कटमोशन पेश किया गया। यह भी सही है कि बिजली के मामले में उन्होंने बहुत अच्छे चन्द सुझाव भी दिये। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बावजूद इसके बिजली के महकमे के अन्दर जो काम हुआ है उसकी हम लोगों को तारीफ करनी पड़ी और जितना काम बिजली के मुहकमे ने दस साल के अन्दर किया उससे इस सूबे भर के लोग सर उठा कर देख सकते हैं। इसमें शक नहीं कि दस साल के अन्दर बहुत से ट्यूबवेल बने, उनको बिजली पंहुचायी गयी, ट्रांसमिशन लाइन्स बढ़ायी गयीं और बहुत से कस्बों और गावों में बिजली पहुंचायी गयी और इसका सिलसिला अभी जारी है। इसकी भी एक लिस्ट जो हमारे उपमंत्री ने पेश की उसके मुताबिक तकरीबन ६० या ६२ गांव और कस्बे इस साल भी इलेक्ट्रिफाई किये जायेंगे।

मैं चन्द सुझाव इस सिलसिले में गवर्नमेंट के सामने पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वह इस पर कुछ गौर करेगी। सच तो यह है कि इस सिलसिले में कोई ऐसा एतराज नहीं है कि जो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ या बहुत ही ज्यादा जोर के साथ पेश किया जा सके मगर फिर भी एक बात बहुत जरूरी है और वह यह कि जब बिजली बहुत तेजी से बढ़ रही है, ट्यूब वेल्स के लिए, काटेज इंडस्ट्रीज के लिए और प्राइवेट कंजम्पशन के लिए भी तो हम इस बात पर गौर करें कि इसके रेट को हम कम से कम जितना कर सकते हों करें। मुझे यह मालूम हुआ है कि म्युनिसिपैलिटीज में जहां कि हाल ही में बिजली पहुंचाई गई है वहां ६ आना यूनिट बिजली की कीमत ली जाती है और जो प्राइवेट तौर पर कंजम्पशन करते हैं उनसे आठ आना लिया जाता है। इसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस रेट को हमें कम करना चाहिए। खास तौर पर जो बिजली हम काटेज इंडस्ट्रीज के लिए दें, ऐग्रीकल्चर को तरक्की देने के लिए दें वह इतनी सस्ती होनी चाहिये कि हर गरीब आदमी की पहुंच में हो, हर आदमी उसे खरीद सके और हर आदमी उसे अपने यहां इस्तेमाल करके नेशनल इनकम को बढ़ा सके।

जनाबवाला, इसके साथ साथ मैं एक दूसरा सुझाव यह भी सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं कि बिजली के मुहकमें में जितने भी सामान मंगाये जाते हैं ख्वाह वह ट्रांसमिशन लाइन्स के पूरा करने के लिए हों या और मशीनें हों, उसको जहां तक मुमकिन हो सके हिन्दुस्तान में खरीदा जाय। यह सही है कि हमें अभी काफी अरसे तक बहुत सा सामान जो हमारे मुल्क में नहीं तैयार होता वह बाहर से मंगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत सा सामान ऐसा है जो हमारे यहां तैयार होता है, जैसे पोल्स हैं, वायर्स हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हिन्दुस्तान में मिल सकती हैं। और मैं तो यहां तक अर्ज करूंगा कि अगर वह बाहर के सामान से मंहगा भी पड़ता हो तो भी फारेन एक्सचेंज को बचाने के लिए हमें उसको खरीदना चाहिये। इससे हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को तरक्की दे सकेंगे और हमको इस बात की तसल्ली होगी कि हम अपने मुल्क की बनी हुई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं।

एक बात अभी और भी कही गई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बनाने के मुताल्लिक और इसमें मैं समझता हूं कि दो रायें नहीं हो सकतीं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे सूबे के अन्दर बनना चाहिए और उसके जरिये इस बात का इन्तजाम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिये क्या तरीका हम इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ है और वह इस पर गौर कर रही है और गौर करने के बाद वह अपना फैसला शायद जल्दी देने वाली है।

मैं एक चीज की तरफ खास तौर पर तवज्जह दिलाऊंगा और वह है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं और हम शायद दूसरे सूबों की बनिस्बत इसमें पायोनियर हैं लेकिन फिर भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम जितना तेज होना चाहिए उतना तेज नहीं है। इसमें शक नहीं कि बहुत से कस्बों और शहरों में हमने बिजली दी और वह इलेक्ट्रिफाइड हो गए लेकिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्राम में उतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी से उसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम काटेज इंडस्ट्रीज को तरक्की देना चाहते हैं, हम ऐग्रीकल्चर को भी तरक्की देना चाहते हैं तो फिर बिजली का बढ़ाव ज्यादातर देहाती रकबे की तरफ होना चाहिए क्योंकि वहां बिजली पहुंचने से न सिर्फ उसको घरेलू काम के लिए खर्च किया जायगा बल्कि वहां के लोग आम तौर पर काटेज इंडस्ट्रीज के लिए और ऐग्रीकल्चर के लिए उसे खर्च करेंगे। मुझे यकीन है कि इस तरफ अवश्य तवज्जह दी जायगी और इस बात की कोशिश की जायगी कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजली के फैलाने का इन्तजाम देहाती रकबे में कर सकते हैं वह करेंगे। इन अल्फाज के साथ माननीय मंत्री को और उनके महकमे को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं उस अच्छे काम के लिये जो उन्होंने एक साल के अन्दर इस सूबे के अन्दर पेश किया है और मुझे यकीन है कि जैसा काम इन ५ साल में हुआ है उसी तरह से अगर यह काम तरक्की करता चला जायगा तो वह दिन दूर नहीं है जब कि इस प्रदेश के हर गांव के अन्दर, हर झोपड़ी के अन्दर हम बिजली का कुमकुमा देख सकेंगे और हर गांव में ट्यूबवेल्स हो सकेंगे और बिजली जो खुदा की एक नियामत है, जिससे हम सब लोग नफा उठा सकते हैं, उससे पूरा-पूरा नफा उठायेंगे।

श्री अधिष्ठाता---माननीय बलदेव सिंह, अब आप सवा दो बजे अपना भाषण शुरू करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब समय थोड़ा रह गया है इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ७-७ मिनट बोलें तो अच्छा हो।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन्, इस युग में जब कि चारों तरफ से इस बात की जोरदार पुकार है कि विद्युत शक्ति बढ़े और हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ें क्योंकि देश का निर्वाह बिना छोटे-छोटे उद्योगों के नहीं चल सकता है। इस मामले में हमारी सरकार कितनी सफल हुई है इसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने थोड़े से आंकड़े रख कर निवेदन करना चाहता हूं कि एक पुस्तिका छपी है "उत्तर प्रदेश का आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" उसके देखने से पता चलता है कि १९५३ में ६ लाख ७ हजार, १९५४ में ६ लाख २० हजार और १९५५ में ६ लाख ५३ हजार किलोवाट बिजली पैदा हुई और औद्योगिक रूप में जो बिजली खर्च हुई वह २ लाख ५७ हजार और २ लाख ६६ हजार है, यानी जितनी पैदा हुई, उसकी आधे से भी कम बिजली उद्योगों के लिये दी गई और अन्य प्रयोजनों के लिये जो रखी गई वह उससे कितनी ज्यादा है और वह शहरों, नगरों और सड़कों को जगमगाने के लिये बिजली खर्च की गई तो श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार इन उद्योगों की दिशा में कितनी प्रगतिशील है और उद्योगों के लिये कितनी शक्ति दे रही है।

इसके अलावा जो भी कार्य हैं वह सब अनिश्चित से हैं और जहां कहीं लगने को है वह इतनी अनिश्चित है कि लोग देखते रह जाते हैं कि बिजली कब आयेगी। हजार बारह सौ

[श्री बलदेवसिंह]

कुयें ऐसे खड़े हैं जिन पर आज तक बिजली नहीं पहुंची। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २६ नगरों को बिजली देने की योजना थी इनमें से ६ शहर गोंडा जिले के थे। वह नवाबगंज, तरबगंज, वजीरगंज, रहरा, मनकापुर और उतरौला थे। किसी-किसी शहर में तो खम्भे गड़ गये, तार लटक गये लेकिन बिजली आज तक नहीं पहुंची। नवाबगंज एरिया में ३५ कुयें बनाये गये और वहां श्री धर्मसिंह जी भी गये और लोगों में बड़ा उत्साह रहा कि अब ट्यूबवेल चलेंगे। लेकिन आज उनको बने तीन साल हो गये और कुयें नहीं चल सके। उस समय खड़ी फसल थी और काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहे थे। बिजली आये तो काम चले और हजारों एकड़ खेती खोदकर फेंक दी गई, नहरें बन कर तैयार हो गईं, कुयें बन कर तैयार हो गये, गूलें बन कर तैयार हो गईं लेकिन बिजली नहीं पहुंची।

जहां तक देहातों में उद्योग बढ़ें और उनके लिये बिजली देने की बात थी वह किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो सकी। और चाहे पूर्वी जिले हों चाहे पश्चिमी जिले हों इन पांच वर्षों में ७१८ नगरों और गांवों आदि में और सड़कों पर बिजली लगाने की सरकार की स्कीम है न कि किसी उद्योग के लिये है जब कि सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि अब केवल खेती के बल पर हमारा कार्य चलना बहुत मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि उस दिशा में जो प्रगति हुई वह शून्य के बराबर है। मैं तो यह कहूंगा कि किसानों ने हजारों एकड़ गन्ना इस डिपार्टमेंट के भरोसे बोया इस उम्मीद पर कि कुयें बन गये हैं, ट्यूबवेल लग गये हैं, तार आ गये हैं तो बिजली भी आ जायगी। लेकिन बिजली नहीं आयी और वे खेत सूख भी गये। जहां ट्यूबवेल चल भी रहे हैं उनका भी यह हाल है कि एक दफा मैं बस्ती जिले में गया तो एक जगह पर हमारी मोटर थोड़ी देर के लिये खराब हो गयी। काश्तकार समझे कि शायद कोई अफसर हों इसलिये वे वहां जमा हो गये। उन्होंने कहा कि देख लीजिये, हमारे खेत सूख गये हैं। उनको यही इन्तजार था कि बिजली आज आयेगी या कल आयेगी चाहे २-४ घंटे के लिये ही आये। तो इस दशा की ओर मैं इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब ट्यूबवेल तैयार किये गये थे तो निश्चय ही बिजली पहुंचनी चाहिये थी। अगर नहीं पहुंची थी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें लिखा है कि एक मील बिजली ले जाने के लिये १३,००० रुपये खर्च होते हैं और कहीं एक मील पर और कहीं दो मील पर ट्यूबवेल लगे हैं। वे ट्यूबवेल बड़ी आसानी से डीजल इंजन से चल सकते थे जो ४-५ हजार रुपये में मिल सकता था और उन काश्तकारों की मुसीबत दूर हो सकती थी। तो इस पर सरकार सोचे कि किस प्रकार उसकी योजना कल्याणकारी है या विनाशकारी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस दशा की ओर दिलाना चाहता हूं कि खास तौर से गोंडा जिले में जिन ६ नगरों को उन्होंने बिजली देने को कहा था और जहां खम्भे भी लगे हैं, तार भी लगे हैं और बिजली भी उपलब्ध है, वहां नवाबगंज शूगर फैक्टरी ने देने को कहा था और यह भी कहा था कि सरकारी रेट से कम दाम पर देंगे, उनको बिजली देने की कृपा करें और वहां के उद्योग को बढ़ायें।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के अनुदान पर माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो मांग उपस्थित की है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। प्रदेश के उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये और इस प्रदेश की कृषि की उन्नति के लिये बिजली का उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है। इस बात को सामने रख कर हमारे प्रदेश की सरकार ने कितने ही ऐसे विद्युत स्तम्भ बनाये हैं जहां हजारों किलोवाट बिजली पैदा होने लगी है। यह जरूर है कि वे स्कीमें समय से पूरी नहीं हो सकीं। न पूरी हो सकने का कारण यह है कि जो आर्डर टरबाइन्स इत्यादि के दिये गये थे वे समय पर नहीं आयीं। लेकिन आज जब हर तरह का सामान भी आ गया है और विद्युत उत्पादन होने लगा है तो फिर यह शिकायत तो नहीं रहनी चाहिये कि हमारे ट्यूबवेल्स बन जांय और उनको विद्युत सम्पन्न न किया जा सके।

थोड़ा सा समय है, इसलिए मैं बहुत बात न कह कर के अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। हमारे कानपुर में एक बहुत बड़ा बिजली घर है और उसमें समुचित मात्रा में बिजली है। आज से करीब ढाई वर्ष पहले विद्युत मंत्री ने इस सदन में यह ऐलान किया था कि वह इस प्रदेश के ३६ कस्बों को बिजली देंगे जिससे उनमें रोशनी भी होगी और छोटे-मोटे उद्योग-धंधे भी चलेंगे। सौभाग्य से उन ३६ कस्बों में हमारे कानपुर के ४ कस्बे थे, पुखरायां, गौसई गंज, महाराजपुर और अकबरपुर। आज दो वर्ष से अधिक हुआ, कानपुर के 'केसा' की ओर से सर्वे किया गया और ऐसा मालूम हुआ कि 'केसा' के हाथ में बिजली है और सामान भी है और उसे सरकारी आज्ञा भी मिली है कि वह कानपुर जिले के इन कस्बों को बिजली दे सकेंगे। सर्वे होने के महीनों बाद मालूम हुआ कि वह अधिकार कि 'केसा' कानपुर के लोग बिजली लगावेंगे, वापस ले लिया गया और हाइडेल विभाग को वह काम दिया गया। हाइडेल विभाग के लोगों ने बड़ी तत्परता से काम करना शुरू किया और मैंने यह देखा कि इन चारों सेंटरों पर तार, बिजली के खम्भे, ब्रैकेट्स और ट्रान्सफार्मर इत्यादि जितने भी जरूरी सामान थे वह पहुंचाये गये और काम भी बड़े जोर से शुरू हुआ। ऐसा लगा कि १९५६ की २६ जनवरी को कुछ कस्बों में बिजली का प्रकाश पहुंच जायगा वहां के लोगों ने छोटी-मोटी मशीनें खरीदीं और छोटे-मोटे कारखाने लगाने का इरादा किया। लेकिन एक बार फिर, हाइडेल विभाग वालों के हाथ से वह काम ले लिया गया और यह कहा गया कि यह काम 'केसा' के लोग ही करेंगे। 'केसा' वालों ने जब काम शुरू किया तो जिस सामान को हाइडेल वाले लोग ले गये थे वह वहां से वापस हो गया। अब मालूम हुआ है कि 'केसा' वालों से फिर हाइडेल वालों के हाथ में यह काम दे दिया गया है। अजीब दशा है। हमारी सरकार पर फ़ारसी की एक मसल यहां लागू होती है कि "टुकुर टुकुर दीदम, दम न कशीदम"। किस तरह से काम होता है, और किस तरह से रुपये की बरबादी होती है, लोगों को यह देख कर परेशानी होती है, लोग अपना रुपया लगा कर आशा लगाये बैठे हुए हैं। मैं विद्युत मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस किस्से को जल्दी खत्म करें और किसी एक विभाग को कतई तौर पर यह काम सिपुर्द कर दें, जिससे लोगों को बिजली मिल सके और लोगों की थोड़ी सी बेकारी दूर हो सके और छोटे मोटे उद्योग-धंधों में जहां यह बिजली इस्तेमाल हो सके वहां की जा सके। कानपुर के ये ४ कस्बे ऐसे हैं जहां अच्छी आबादी है, कुछ छोटे उद्योग-धंधे चल रहे हैं और लोग उद्योगी विचारों के हैं। यदि इन कस्बों में जल्दी बिजली पहुंच जाय तो छोटे-मोटे नये धंधे वहां लगाये जा सकें। मैं समझता हूं अभी पुखरायां में ग्रामोद्योग सघन क्षेत्र की एक योजना अम्बर चर्खे की लागू हुई है और यदि बिजली पहुंच जाय तो इनके कामों में सहायता पहुंच सकती है।

क्या मैं आशा करूं कि विद्युत मंत्री जी इन चीजों की ओर ध्यान देंगे और इस मसले को हमेशा के लिये तय करेंगे और ऐसा प्रबन्ध होगा जिससे सभी ३६ कस्बों की बाबत तो नहीं कहता हूं, लेकिन अपने कानपुर के ४ कस्बों में जिनके दरवाजे पर हजारों किलोवाट बिजली पड़ी हुई है, वहां बिजली पहुंच जाय ?

इन शब्दों के साथ में अपना सुझाव देते हुए विद्युत मंत्री जी के अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हूं। श्रीमन्, बिजली उद्योग के विकास के सम्बन्ध में और उसकी उन्नति के सम्बन्ध में जब मैं मंत्री जी की स्पीच सुन रहा था तो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि मंत्री जी सदन के सदस्यों को ऐसे किसी सब्ज-बाग में ले जाना चाहते हैं जो इस दुनियां में नहीं है।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

बात यह है कि जब असलियत की तरफ नजर डालते हैं कि कितनी उन्नति हुई, कितनी आशा की गयी, तो ताज्जुब हुआ करता है। श्रीमन्, जहां तक विद्युत स्थापना का सवाल है, जो किताबें उपलब्ध हैं उनके अनुसार १९५६ में आशा की गई थी कि २,७८,९७४ किलोवाट बिजली पैदा होगी लेकिन वह उम्मीद अब जाती रही और अब सन् १९५७ में १,४४,०६५ किलोवाट बिजली पैदा होने की आशा की गई है। १९५४ में बिजली स्थापित की गई १,४०,५७४ किलोवाट और सन् १९५७ में जो आशा की गई वह ४,००० किलोवाट से कम बिजली १९५४ के मुकाबिले में ज्यादा है। तो यह तो है प्रगति और इसके ऊपर झलक दिखायी जाती है कि काम बहुत हो रहा है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रदेश की धनशक्ति, जो अब आखरी स्थिति पर पहुंच गई है, को खींच खींच कर योजनाओं पर लगाई जा रही है। जब प्रदेश का जनजीवन इस आशा पर काम कर रहा हो कि उसके यहां बिजली आ जायगी और उससे हम लाभ उठायेंगे लेकिन इतना धन व्यय करने के बाद भी सन् ५७ में ५४ के मुकाबले में ४ हजार किलोवाट अधिक अधिष्ठापित धारिता बिजली की आशा की जा रही है। इसको और पैसे के खर्च को देखकर दिल बैठ जाता है।

बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में जितना रुपया खर्च होता है और उससे जितना विद्युत की अधिष्ठापित धारिता होती है उससे यह प्रतीत होता है कि खर्च बहुत ही ज्यादा है। फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९.०३ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और उससे १,११,००० हजार किलोवाट बिजली मिल सकेगी। इस हिसाब से १,२४० रुपये प्रति किलोवाट बिजली पड़ती है और अगर हाईडेल वाली लें तो १५०० रुपये प्रति किलोवाट पड़ती है जबकि योजना काल में प्राइवेट बिजली कम्पनियां हैं वे सिर्फ ७५ लाख रुपये में १२ हजार किलोवाट बिजली देने को तैयार हैं। जब प्रदेश की यह हालत हो कि गरीबों पर टैक्स लगा लगा कर हम योजना पर खर्च कर रहे हैं उस वक्त सवा ६ सौ रुपया प्राइवेट उद्योग धंधों में बिजली पैदा करने में खर्च हो और सरकारी बिजली पैदा करने में उसका दूना १,२४० रुपये और हाईडेल में तो ढाई गुना यानी १५००रुपये खर्च हों। इस प्रकार की योजनाओं से तो काम नहीं चलने का और अगर इसी प्रकार की योजनाएं चलती रहीं तो आखरी शक्ति नष्ट तो हो ही रही है, रोज उस सम्बन्ध में खबरें आ रही हैं और अगर उस पर ध्यान न दिया गया तो मैं नहीं समझता कि देश का क्या होगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी इस पर भी विचार किया कि जो उनकी बिजली की स्थापना पर दूना खर्च प्राइवेट कम्पनियों द्वारा स्थापित बिजली के मुकाबले में होता है इसक क्या कारण है? इस कारण को फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद समझा तो इसके बाद उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की जिससे सस्ती बिजली स्थापित होकर जनता को सस्ती मिल सके? यही कारण है कि जितनी बिजली की योजनायें सरकार की हैं वे ज्यादातर फेल होती जा रही हैं।

अभी उधर के एक माननीय सदस्य ने बताया, हालांकि वे अनुदान का समर्थन कर रहे थे फिर भी वस्तुतः कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि कानपुर जिले के कुछ टाउन एरियाओं में बिजली सप्लाई के लिये चार-चार और छः छः दफा कभी हाईडेल ने ले लिया, कभी थर्मल ने ले लिया और कभी केसा ने ले लिया, पर काम अभी तक न हुआ, इस तरह से चलता है। कारण उसके पीछे एक ही है कि सरकार की जो अधिष्ठापित धारिता आशासित किलोवाट में होनी चाहए वह बन नहीं पाती है और सरकार सिर्फ इस उद्देश्य से कि रुपया मंजूर करा लिया है, उसको खर्च करना है, काम करती है और जनता को यह आशा दिलाने लगती है कि चलो, चिन्ता मत करो, अब काम हो रहा है। जब सरकार यह समझती है कि हम उस जगह बिजली नहीं दे सकते हैं तो ऐसी जगह में यह फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है। इस प्रकार के खर्च से जैसा कि बिजली के केवल खंभे गाड़ देना कि जिसे देहात में लोग कहते हैं कि वोट मांगने के लिये हाथ उठाया गया है, जनता में अविश्वास पैदा होता

है। तो इस प्रकार के काम का कारण यह है कि सरकार के पास एक तो अच्छे टेक्निशियन्स नहीं हैं। मेरे पास केसा से और दूसरी लेबर कोलोनीज से शिकायतें आई हैं कि जहां सरकार ने मोह में पड़ कर या कुनबापरस्ती के नाते ऐसे लोगों को मुस्तकिल कर दिया है कि जो लोग उस सम्बन्ध में कुछ काम नहीं जानते और वहां के सब लोगों ने मुझसे इसकी शिकायत की कि उनको काम न जानते हुए भी सरकार हटा नहीं रही है। तो जब काम करने वाले ही न रहें तो काम कैसे चल सकता है ?

एक तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि सरकार की बिजली सप्लाई में भी बहुत खराबी है और उनको बिजली का काम बिजली की तरह से न भी हो तो कम से कम फायर स्टेशन की तरह से करना चाहिये। कल ही चार घंटे से कुछ ज्यादा के लिये सदन की बिजली गायब रही और उसके बाद कहीं कुछ इन्तजाम हो सका। जब बिजली सप्लाई में इतनी देर हो सकती है तो मैं नहीं समझता कि दूसरा काम किस तरह से चलता होगा। उद्योग धंधों में भी अगर इसी तरह से बिजली दी जाती रही तो सब काम बिगड़ जायगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में है कि कई उद्योगपतियों ने इस बात की शिकायत की है कि बिजली की ठीक सप्लाई नहीं होती और इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। एक कारण वही इसके पीछे भी है कि आपके पास टेक्निकल आदमी ठीक नहीं हैं। वह काम नहीं जानते और इस कारण सर्विस ठीक नहीं हो पाती। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जो आरोप मैंने लगाये हैं उनके सम्बन्ध में जांच करके सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत न होने पाये।

अन्त में एक बात और निवेदन कर दूं कि सरकार ने अधिष्ठापित धारिता बहुत बढ़ाई है लेकिन उत्पादन बिजली का घटा है। ४३,२०० सन् १९४७ में थी और १,४०,५७४ हो गई १९५४ में। जो मैंने आरोप लगाया है कि उसकी कमी ठीक ही है उसको प्रमाणित इस तरह से करूंगा कि उत्पादित यूनिट की जो संख्या दी है वह जब ४३,२०० किलोवाट बिजली अधिष्ठापित धारिता थी तो २१,६२,१३,६७३ घंटे किलोवाट बिजली पैदा होती थी और १९५४ में जब वह १,४०,५७४ किलोवाट हो गई तो उत्पादन हुआ २,६५,६९,३९९ घंटे किलोवाट अधिष्ठाति धारिता, तो बिजली तो साढ़े तीन गुना हो गई और उधर उत्पादन सवाया हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो इन बातों के साथ मैं कह रहा था कि विद्युत शक्ति के बढ़ने के बावजूद विद्युत का उत्पादन अनुपातत: घटा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि यह बिजली की योजना जो चलायी जा रही है वह तीन प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिये है। एक तो नलकूपों को चलाने के लिये, दूसरे गांव में बिजली की रोशनी के लिये और तीसरे गांवों में छोटे छोटे ग्रामोद्योग चलाने के लिये है। सब से पहले मैं श्रीमन्, नलकूपों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यह बिजली की योजना जो चल रही है उसमें मेन लाइन जो चलती है उस पर १३ हजार रुपया एक मील पर तार खम्भा आदि लगाने पर खर्च होता है और उस मेन लाइन से जो छोटी लाइन जाती है उस पर एक मील पर १० हजार रुपया पड़ता है। तो मान लीजिये कि मेन लाइन जो जाती है उससे औसतन एक ट्यूबवेल ५ मील पर या ४ मील पर और कुछ २ मील की दूरी पर पड़ते हैं। लेकिन अगर इसका औसत लगाया जाय तो २ मील पर एक ट्यूबवेल पड़ता है। इस हिसाब से २ मील तक एक ट्यूबवेल के लिये खाली लाइन ले जाने में २० हजार रुपया खर्च हुआ। उसके बाद

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

श्रीमन्, उसमें एक १५ हा० पा० का मोटर, जो उस ट्यूबवेल को चलाने के लिये चाहिये, उसको लगाना पड़ता है जिसका खर्चा लगभग ४,६०० रुपये पड़ता है। इस तरह से एक ट्यूबवेल पर पम्पिंग करने के लिये कुल खर्चा २४,६०० रुपये आकर पड़ता है जब कि उसी पम्पिंग पर एक डिजल इंजिन लगा कर काम हो सकता है जिसका खर्चा कुल ३,६०० रुपये पड़ता है। डिजल इंजिन १५ हा० पा० का ३,६०० रुपये में मिलता है। वहां पर हमारी सरकार २४,६०० रुपये खर्च करती है और इस तरह से आपकी बिजली का यह प्रसार हो रहा है।

दूसरी चीज जो कही गयी वह गांवों में बिजली से रोशनी करने की कही गयी। उसके सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे भारतवर्ष के गांवों में कितने मकान ऐसे हैं जिनमें बिजली लगाई जा सकती है? कितने किसान ऐसे हैं जो अपने घरों में बिजली लगवा सकते हैं? क्या फूस की झोपड़ियों में बिजली लग सकती है? अगर उनमें लगायी गयी तो १३ रुपया पर प्वाइन्ट उसकी फिटिंग चार्ज होती है। एक बल्ब से स्विच तक की फिटिंग का खर्चा १३ रुपया होता है। ३३ रुपया मीटर फिटिंग का खर्चा पड़ता है जो उस मकान में बिजली का खर्च बतलायेगा। इसके अलावा जो लाइन मीटर तक जायगी उसका चार्ज भी करीब ३३ रुपये से कम नहीं आयेगा। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ७०, ७५ रुपया खर्चा पहले फिटिंग पर आयेगा। इसके अलावा २ रुपया १४ आना खर्चा एक बल्ब पर एक महीने में आयेगा। इस तरह से एक काश्तकार, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसके खाने के लिये अन्न नहीं है, बच्चों की बीमारी के लिये दवा नहीं है, वह इतना रुपया खर्च करके कैसे अपने घर में बिजली लगवा सकता है?

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में एक मशहूर किस्म की आग लगती है जिसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। उसका पता नहीं लगता कि यह आग कहां से लगी किसने लगायी। वह ऊपर छत में लग जाती है। वह अक्सर इस तरह से लगा करती है कि औरतें गांवों में पूजापाठ अग्यार करती हैं। उसमें गुड़ भी होता है। उस गुड़ में आग के टुकड़े चिपक जाते हैं उसको कौवा उठा कर कहीं छत पर पहुंच गया तो आग लग गयी और जलने लगा। उसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। अगर वहां पर यह बिजली लगायी गयी और कहीं शार्टसर्किट हो गया तो फिर वहां ब्रह्माग्नि ही लग सकती है।

तीसरी चीज कही गयी कि ग्रामोद्योग के लिये बिजली दी जायगी। मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि उन ग्रामोद्योगों में क्या वह आधा पेट खाने वाला किसान, जैसा कि अन्नमंत्री जी ने सवेरे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि वहां पर भुखमरी तो नहीं है, लेकिन आधा पेट जरूर खाते हैं, तो क्या आधा पेट खाने वाला किसान छोटे बड़े उद्योग लगा सकता है? अगर नहीं लगा सकता है तो यह बिजली केवल उन्हीं के लिये जिनके पास पैसा है, पक्के मकान हैं और कुछ उद्योग भी लगा सकते हैं। क्या यही इस सरकार का सोशलिस्टिक पैटर्न है? चूंकि डीजेल इंजिन में खर्चा ज्यादा होता है इसलिये आप बिजली देना चाहते हैं। लेकिन पहले उनके पेट को खाना और तन के लिये कपड़ा तो दीजिये। विदेशियों को आप अवश्य चकाचौंध कर सकते हैं कि आप बिजली लगा रहे हैं। चाहे बुल्गानिन साहेब या शाह सऊद आवें, उन्हें आप सैलून में बिठाकर बिजली के खम्भे दिखाते चले जावें, लेकिन भारत के प्राण किसान का पहले पेट भरिये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं आपको कि पूरे सामान्य वादविवाद से लेकर आज तक मैं खड़ा होता रहा और आज पहले पहल आपकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी। कुछ दिन से तो मुझे यह भी शक हुआ था कि या तो आप मुझे जानते ही नहीं हैं या शायद आपकी निगाह यहां कुछ और तरह से पड़ती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को प्रस्तुत अनुदानों पर बधाई देता हूं। इन ६, ७ मिनट में मैं पूरे प्रदेश की स्थिति तो वर्णन नहीं कर सकता लेकिन अपने जिले की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैंने अपने जिले की बाबत मंत्री जी से चर्चा की। सन् ५२ के शुरू में कहा था और मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि भाखरा-नांगल से वह हमें बिजली देने की सोच रहे हैं। वह बात आज तक पूरी नहीं हुई। बाद में मंत्री जी ने कहा कि पंजाब और दिल्ली से बिजली लेने में कुछ कठिनाई है और उन्होंने बताया कि पंजाब से बिजली महंगी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर पंजाब से बिजली लेने में कितनी महंगी पड़ेगी जिससे हमारे दिमागों की सफाई हो। मैं अपनी मिली हुई हद पर ही देखता हूं कि पंजाब और दिल्ली के देहातों में रोशनी और सिंचाई के लिये खूब बिजली है, लेकिन हमारे यहां एक कस्बा दादरी के लिये मैं कई बार यह कह चुका हूं मगर वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। मैं बिजली के कर्मचारियों की आलोचना तो इसलिये नहीं कर सकता कि मुझे उनकी जानकारी नहीं है। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने सरकार द्वारा निकाली हुई सूची में कुछ गांवों के नाम पढ़े कि इनको बिजली दे दी गई है मगर वास्तव में वहां बिजली नहीं है। हमारे पुराने एक मेम्बर शौकतअली साहेब थे। उनके प्राइवेट फार्म पर बिजली लग रही थी और उनकी कोठी पर बिजली जलती है, मगर सूची में लिखा है कि उस गांव में बिजली दे दी गई है जब कि वहां है नहीं। मैं वित्त मंत्री से खास तौर से अपने इलाके के गांवों के लिये और दादरी के लिये ५ वर्षों से कोशिश कर रहा हूं।

उद्योग के लिये कई बार हमारे गाजियाबाद के लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मिले और दिल्ली या पंजाब में अपने कारखाने ले जाने के लिये मजबूर हुये। सरकार ने पूरे तौर से उनको भी बिजली नहीं दी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। हम आज कल सुरक्षा के लिहाज से भी गांवों में बिजली लेने के इच्छुक हैं। शहरों में हम देखते हैं कि लखनऊ में और दूसरी जगहों में, बिजली मकानों के बाहरी हिस्सों में भी रात में ही नहीं दिन में भी जलती है। शारदा पावर हाउस की बिजली भी लखनऊ की ओर ही मुड़ गई। अलीगढ़ के पावर हाउस की चर्चा मंत्री जी ने की, मगर मैं नहीं जानता कि उससे कितनी पूर्ति होती है। हमने पंजाब के मंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि वह हमें पंजाब के रेट पर बिजली देने के लिये तैयार हैं और यू० पी० सरकार जब अपनी बिजली तैयार करले तो हमें लाइन का खर्चा दे दे। गांवों में लाइन ले जाने के रेट भी कुछ और हैं जिससे वहां बिजली ले जाने में कठिनाई होती है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से आशा करता हूं कि हमारे जिले और गांवों में बिजली ले जाने की ओर वे प्रयत्नशील होंगे।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि परम्परा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय प्रदान किया है। इसके बाद मैं वित्त मंत्री जी को उनकी उत्तम योजना को देखकर बधाई देता हूं। हमारे एक भाई ने अभी बहुत बड़ा समाजवाद का खाका खींचा और यह बताया कि उद्योग के लिये बिजली बनाई है जो हितकारी नहीं है और फिर उद्योग से हटकर वे किसान की झोंपड़ी में आग लगने की बात पर आ गये। उद्योगों के लिये बिजली लगाने का मैं हृदय से समर्थक हूं। आज भी यही हो रहा है कि छोटे आदमियों के घरों के उद्योग के लिये बिजली नहीं है परन्तु बड़े-बड़े आदमियों के फार्मों के लिए है, जिसमें वह २, २ आने पर तिराई करते हैं और उनके डंडे खाकर मकरा पर गुजर करते हैं। ऐसा अनाज उन्हें खाने को दिया जाता है जो पशु खाते हैं। श्रीमन्, तभी गरीबों का बन्धन छूटेगा जब छोटे छोटे कारखाने खुलेंगे। हमारे देश के किसान और मजदूर तथा खेतिहर मजदूर बड़े-बड़े आदमियों के फार्मों में व्यस्त हैं। अगर ये बड़े बड़े फार्म उनमें बांट भी दिये जायं तो भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो सकती जब तक कि हमारे प्रदेश में कारखाने

[श्री गुप्तार सिंह]

नहीं खुल जायेंगे। घर की बिजली आज चाहे सरकार न भी दे, लेकिन देहात में जल्द से जल्द कारखाने खोल देना चाहिये। इससे हमारे प्रदेश की जो बेकारी है वह दूर हो जायगी और निरीह और गरीब जनता को सहायता मिलेगी। आज तो हमारे सामने भुखमरी और दरिद्रता की बात है, परन्तु हम देखते हैं कि बड़े-बड़े लोग जहां के रहने वाले हैं वहां पर उनके दो दो सौ बीघा के फार्म हैं और किच्छा में भी राजनीतिक पीड़ितों के नाम पर उन्होंने १००-१००, २००-२०० एकड़ के फार्म ले रक्खे हैं। यहां भी कमाते हैं और वहां भी कमाते हैं। मरता वही है जिसकी कहीं रोजी नहीं है। यह बात पूर्वी जिलों में ही लागू नहीं होती, बल्कि ऐसी हालत सब जगह है। यह हालत तभी दूर होगी जब कारखाने खुलेंगे। आज जो बुढ़ियां भूखों मरती हैं वह एक रुपया रोज का सूत कातेंगी और झोपड़ी को छोड़ कर वह भी ठाकुर साहब की तरह से महलों में रहेंगी और बिजली से चमकती हुई रोशनी में उनके बच्चे खेलेंगे। मलमल का कुर्ता और सोने की घड़ी उनके बच्चे भी लगायेंगे। यह तभी होगा जब हमारे यहां उद्योग होंगे। उद्योग बिजली से होंगे? यह उद्योगों के लिये बिजली का विरोध करना कहां का सिद्धान्त है।

इसके बाद मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पूर्ण समाजवाद भी इसी प्रकार से होगा। जब शहर की भांति गांवों में भी बिजली लग जायगी और उद्योग धंधे हो जायंगे तो वहां के लोग भी खुशहाल होंगे। आज ६,३२,१५,७४२ की आबादी में ५ करोड़ से ऊपर की आबादी देहात की है। आज शहरों में बड़े-बड़े कारखाने हैं और बड़े-बड़े रोजगार हैं। लेकिन गांवों में इसकी बहुत ज्यादा कमी है। हमारी सरकार भी शहरों की तरफ ज्यादा झुकी मालूम होती है क्योंकि मैं देखता हूं कि ८५ फीसदी पर वह उतना ध्यान नहीं देती जितना कि पन्द्रह फीसदी शहर वालों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि देहातों को पहले बिजली दी जानी चाहिये।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वह निजी स्वार्थ की बात है। ट्यूबवेल्स वहीं अधिकतर रक्खे गये हैं जहां नहरों की सिंचाई भी सरप्लस है। जिन जिलों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में ट्यूबवेल्स लगाये गये उन्हीं जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाये जा रहे हैं। मैं शहरों के नाम नहीं देना चाहता और आंकड़े प्रस्तुत करके अपनी महत्ता भी बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखता हूं कि इस सरकारी पत्रिका में जिला रायबरेली में न तो पहले कोई ट्यूबवेल लगाया गया और न इस योजना में ही कोई ट्यूबवेल रक्खा गया है। यह एक खेतिहर जिला है और यह वह जिला है जहां के लोगों ने आजादी के लिये सन् २१, में, ३० में, ३२ में, और ४२ में गोलियां खाईं और रायबरेली जवाहरलाल जी का दाहिना हाथ रहा है; यह जिला लगानबन्दी में बारदोली रहा है। किसानों के १५-१५ सौ रुपया के बैल ५-५ रुपये में नीलाम किये गये, लेकिन आज उस जिले की अवहेलना की जा रही है, जो उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष (राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे से)--आज १५ मिनट के बजाय पार्टी के नेताओं के लिये १० मिनट रखे गये हैं। आप उसी के अनुसार अपना भाषण करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की व्यवस्था हर समाज में और खासतौर से आज कल के मशीनी युग में पावर होने के नाते बड़ा महत्व रखती है। कुछ ही दिन पूर्व जब राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के ऊपर इसी माननीय सदन के अन्दर वादविवाद हो रहा था तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, उनसे हम सभी ने निवेदन किया था कि इस प्रान्त में हेवी इंडस्ट्रीज का होना बहुत आवश्यक है और उन्होंने भी उस बात का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत सरकार से जब हम कहते हैं तो भारत सरकार यह कहती है कि तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में उसके लिये पावर नहीं है। श्रीमन्, भारत सरकार तो यह कहे कि तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में पावर नहीं है और

अभी हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि यहां वेस्टेज आफ पावर भी होता है। अब हम किसको सत्य माने? वास्तव में देखा जाय तो श्रीमन् दोनों बातें सत्य हैं। भारत सरकार की ओर से कहना और उसके उत्तर में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि उन्होंने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि हम सब कुछ करके इस राज्य को इंडस्ट्रिअलाइज करने की दृष्टि से सब सम्भव और असम्भव उपायों को करते हुए आवश्यकता के अनुसार पावर देंगे। सब से आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां पावर का वेस्टेज है वहां पावर की आवश्यकता और कमी भी है। श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि यह वेस्टेज क्यों होता है? हम सब इस बात को जानते हैं कि बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं, माननीय सदन के मंत्रिमंडल के भी हैं, राज्य के उच्च कर्मचारी भी हैं, जिनके घरों में बिजली जलती है उन सबका कहना है कि हमारे यहां लो वोल्टेज है। मैंने अपने एक मित्र के यहां देखा कि एक विशेष किस्म का एप्लाएंस उनके यहां लगा हुआ है, मैंने उनसे पूछा कि यह क्या चीज है? तो उन्होंने बतलाया कि अक्सर फ्लक्चुएशन आफ वाल्टेज होता रहता है और इसलिये अगर इस एप्लाएंस को न लगायें तो हमारे सारे डोमेस्टिक एप्लाएंस ही जल जायेंगे। हमारे यहां जितनी बिजली जेनरेट होती है उसका २० परसेंट से ज्यादा तो वेस्टेज में ही चली जाती है। वेस्टेज का एक कारण तो परचेजिंग पालिसी ही है। क्योंकि थर्मस स्टेशन पर कोयले द्वारा जो बिजली जेनरेट होती है उसके लिये जो कोयला लिया जाता है वह लो ग्रेड का होता है जिससे जितनी बिजली जेनरेट होनी चाहिये उतनी नहीं हो पाती। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप कोयले के लिये टेंडर मंगवाते हैं या जो उसके लिये विशेष अधिकारी हैं उनकी इच्छा के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वे अपनी स्वेच्छा से जिसको चाहें सप्लाई करने का आर्डर दे दें? जो कोयला इतनी बड़ी मिकदार में लिया जाता है उसके लिये आप टेंडर क्यों नहीं मंगाते हैं? यह कोयला जो सप्लाई किया जाता है उससे काफी डेफिसिएंसी और इनएफिशिएंसी पैदा हो जाती है।

मैं इस तरह के एक परचेजिंग पालिसी का उदाहरण देता हूं कि खटीमा में जो पावर प्रोजेक्ट बना है वहां सामान सप्लाई करने का ठेका इंगलैण्ड की इंगलिश इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को दिया गया है। इसके द्वारा दिया गया सामान खराब निकला। अब इसके लिये मैं किसको दोष दूं? आपके उच्च अधिकारियों में इंजीनियर्स में इतनी भी योग्यता नहीं है कि वे उस सामग्री का यथोचित निरीक्षण कर सकें और ठीक सर्टीफिकेट दे सकें। अपने देश की कुछ कम्पनियों ने भी टेंडर दिया था लेकिन उसे नहीं मंजूर किया गया। इतना ही नहीं, कैसा इलेक्ट्रिक कम्पनी को भी जो सामान चाहिये उसके लिये भी उसी इंगलिश जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को आर्डर दिया गया है। श्रीमन्, सब से बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि रिहन्ड डाम के लिये बिजली का सामान सप्लाई करने के लिये जो टेंडर मांगे गये थे उनमें अपने देश के भी बहुत सी कम्पनियों ने टेंडर भेजे, थे लेकिन टेंडर सैंक्शन हुआ, उसी इंगलैण्ड की इंगलिश इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का। उसके बाद सैंक्शन की सूचना लन्दन के समाचार-पत्रों में पहले छपी और इस देश के समाचारपत्रों में बाद को। अगर सरकार की ओर से यह विचार किया गया हो कि फारेन कम्पनी का टेंडर कम था, इसलिए उसको यह काम दिया गया तो जहां तक विदेशी कम्पनी और स्वदेशी कम्पनी का प्रश्न है मैं तो कहूंगा कि अगर ३० और ३५ प्रतिशत का भी रेट में अन्तर हो तो सरकार को अपनी स्वदेशी कम्पनी को ही प्राथमिकता देना चाहिये, लेकिन स्वदेशी को न देकर सरकार विदेशी कम्पनी को देती है।

दूसरी चीज जो मुझे बड़े आश्चर्य की लगी वह यह है कि खटीमा हमारा इतना बड़ा पावर था लेकिन आज तक स्टेशन उसकी कम्पलीशन रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। यहां हो यह रहा है कि एक स्कीम सरकार की तरफ से बनती है, वह विधान सभा में पेश होती है और यह माननीय सदन उसको स्वीकार करता है, लेकिन उसके बनते देर नहीं होती और उसके रिवीजन पर

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

रिवीजन होने लगते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? दस पन्द्रह प्रतिशत रिवीजन का स्थान हो सकता है लेकिन सरकार की स्वीकृति स्कीमों में यह आमूलचूल परिवर्तन और रिवीजन क्यों हुआ करते हैं? मैं तो समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि विभागीय उच्च अधिकारी हैं जिन पर इनका उत्तरदायित्व है कि वह ठीक से पहले से देख समझ कर स्कीम नहीं बनवाते, या तो उनमें पात्रता नहीं है या उनमें वह कल्पना शक्ति नहीं है जिसकी आवश्यकता है और जिस के द्वारा वह वास्तविक और उचित कल्पना कर सकें। जब ओवरसियर की क्वालिफिकेशन के आदमी को चीफ इंजीनियर बनाया जायगा तो उससे इससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है?

अभी आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारा प्रयास है कि हम २ हजार तक की आबादी के लोगों को बिजली देंगे, यह बड़ी अच्छी बात है और मैं कम से कम उनकी इस घोषणा के लिये तो उनको अवश्य बधाई दूंगा, बाकी उन्हें इस प्रयास में कितनी सफलता मिली है यह प्रश्न अलग है। आज जो पुस्तक बटी है उससे स्पष्ट है कि मैनपुरी में एक स्थान कुरावली है वहां पर एक सब-स्टेशन है और वह नोटिफाइड एरिया भी है और वहां की आबादी भी ८-१० हजार की है, लेकिन आज तक वहां का एलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। घोषणा तो मंत्री जी की हो जाती है लेकिन काम में कितनी आती है? मैं अब एक दूसरा उदाहरण भी देता हूं कि बजट के आरम्भ में ही माननीय अर्थ मंत्री ने कहा था कि इस प्रदेश में बिजली पर जो सरकारी टैक्स है उसमें औद्योगिक कार्यों के लिये २५ प्रतिशत से २० प्रतिशत छूट कर दी गई है और कन्ज्यूमर का जो डोमेस्टिक रेट है वह भी घटा कर ६ आना कर दिया है, मैं अगर भूलता नहीं हूं तो ऐसी बात उन्होंने कही थी। मैं भी जौनपुर में कंज्यूमर हूं लेकिन मेरे पास जो बिल उस के बाद आया वह उसी ९ आने के रेट से आया, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह रेट कहां घटा है? होता यह है कि आप घोषणा करते हैं, लेकिन प्राइवेट कम्पनियां आप की घोषणा को नहीं मानती हैं और वही पुराना रेट बिजली का लिये जाती हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आज जो यह बिजली के बढ़े हुये रेट्स हैं उनको घटाया जाय, अगर हमें अपने प्रदेश का औद्योगीकरण करना है तो हमें बिजली का रेट घटाना होगा। इन बढ़े हुये रेट्स से काम नहीं चल सकता। जब सरकार बिजली कम्पनियों को साढ़े चार आना यूनिट बिजली देती है तो वे ९ आना कन्ज्यूमर्स से क्यों लेती हैं? मेरा इस विषय में एक ही निवेदन है कि कृपा करके जो घोषणा आप करते हैं उसको आप प्रयोग में लायें और जो अधिकार आप रखते हैं उनको प्रयोग में लायें। आप जो कनज्यूमर की परचेजिंग पावर और क्षमता है उसका ध्यान अवश्य रखें वर्ना सब तरफ गड़बड़ी खड़ी होती रहेगी।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि अब तक शहरों में ही बिजली की योजना रही है, लेकिन सरकार अब देहातों में भी बिजली की योजना चलाने जा रही है और ग्रामीणों को भी बिजली की सुविधा देने जा रही है। मुझे माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी का भाषण सुन कर कोई आश्चर्य नहीं हुआ जो उन्होंने इस बिजली योजना का विरोध किया है। इसके पहले वे सिंचाई योजना के लिए ट्यूबवेल और नहर का विरोध कर चुके हैं। चकबन्दी योजना का भी विरोध कर चुके हैं। मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव के जमाने में इस तरह के वादे उन्होंने जनता से किये थे कि जब मैं चुन कर जाऊंगा तो चकबन्दी बन्द करवा दूंगा, नहर को भठवा दूंगा, ट्यूबवेल को गिरवा दूंगा और बिजली के खम्भे भी हटवा दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, क्या इसके प्रमाण हैं उनके पास? जो चीज वह कह रहे हैं उसके लिए उनके पास प्रमाण है?

श्री माताप्रसाद--श्रीमन्, सभाओं में कम से कम इस तरह के भाषण दिये गये थे। वहां के सभी लोग जानते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भी वह यह चाहते हैं कि गांवों में यह बिजली की योजना न ले जायी जाय। ग्रामीण इस सुविधा से हमेशा वंचित रहें। उन्होंने ग्रामीणों की दयनीय दशा का वर्णन इस तरह से किया, मालूम होता था कि वही उनके बहुत बड़े हितैषी हैं और दूसरे लोग उनके हितषी नहीं हैं, लेकिन सचमुच अगर वह उनके हितैषी हैं तो उनको कहना चाहिए कि गांवों में इस विद्युत योजना का अधिक से अधिक प्रसार हो। गांवों में छोटे छोटे उद्योग धंधे खुलें और उनमें छोटे छोटे खेतिहर मजदूर और हरिजन काम कर सकें और अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णन किया कि झोंपड़ियों में रहने वाले और फटे चीथड़े पहनने वालों को इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उनकी और झोंपड़ी फटे चीथड़ों की हालत को सुधारना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि जब तक विद्युत योजना गांवों में नहीं जायगी और उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे तब तक उनकी दशा का सुधार नहीं होगा, यह कहना कि योजना उनके लिए बिलकुल बेकार है, यह ठीक नहीं है। अधिक से अधिक गांवों में इसका प्रसार सरकार को करना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि हमारे जौनपुर नगर में बिजली का रेट बहुत ज्यादा है। इस विषय में वहां की नगर कांग्रेस कमेटी और दूसरे लोगों नें सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह वहां के बिजली के रेट को घटाने की शीघ्र ही कृपा करेगी।

तीसरी चीज यह है कि हमारे क्षेत्र शाहगंज में मऊ पावर हाउस से बिजली मिलती है, लेकिन बिजली समय से नहीं जलती है। बहुत देर में जलती है। इसलिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आप के द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर इस व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें।

चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत योजना जो है उसमें छोटे-छोटे जो कर्मचारी होते हैं सरकार को चाहिए कि उसमें कम से कम जो गरीब मजदूर हैं, हरिजन हैं, उनको अधिक से अधिक काम करने का मौका दें। गरीब और हरिजन मजदूर जो होते हैं, उनको ऊंची नौकरियों में या इस विभाग में बहुत कम अवसर मिलता है। इसलिये कम से कम सरकार को चाहिये कि इसमें जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें अधिक से अधिक उनको काम दें। बस इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस इलाके में खनिज पदार्थों की इतनी कमी है कि अगर यह कहा जाय कि बिलकुल है ही नहीं तो वह बात गलत नहीं होगी। ऐसे देश में जहां खनिज पदार्थ न हों वहां पर विद्युत योजनाओं, बिजली के प्रसार का यही नहीं कि बड़ा स्थान होता है, बल्कि बहुत जरूरत होती है। हमारा प्रदेश इस सारे देश के साथ एक पांच वर्ष की योजना पूरा कर चुका है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल के बीच में है। बम्बई में श्रीमन, एक आदमी पर, पर-कैपिटा कंजम्पशन ५५ किलोवाट है, वेस्ट बंगाल में ५३ किलोवाट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पौने आठ किलोवाट है। ऐसी दशा में जब कि बिजली के उत्पादन से हमारे प्रदेश की खेती में, बड़े-बड़े धन्धों में, गृह उद्योगों में, छोटे-छोटे रोजगारों में वृद्धि होगी और सिवाय इसके कोई और उपाय नहीं है? खनिज पदार्थों के अभाव में नहीं है तो बिजली के उत्पादन पर, उसकी वृद्धि पर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

तमाम किताबें और स्कीमें जो इस सदन में पेश की गईं उनके देखने से यह मालूम नहीं होता है कि सरकार का मंसूबा बिजली के सिलसिले में क्या है ? यदि पंजाब जहां साढ़े ग्यारह किलोवाट कंजम्पशन है पर हेड, उसको भी हम पहुंचाना चाहें तो गालिबन दो ऐसे प्लान पीरियड और हो जायेंगे, पन्द्रह साल बाद वह नौबत आयेगी। मैं चाहूंगा इस सरकार से कि वह बिजली की शक्ति के उत्पादन के सिलसिले में साहस से काम ले और जो मंसूबा, लक्ष्य, रखे उस को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करे। हाइड्रो एलेक्ट्रिक के सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि इसके द्वारा जनता को सस्ती बिजली मिलेगी, लेकिन हमारे प्रदेश का तजुर्बा बिलकुल उसके उल्टा है। श्रीमन्, दस पैसे पर यूनिट यह हाइड्रो एलेक्ट्रिक बिजली बिकती है, सरकार दस पैसे पर यूनिट पर मेरठ के पावर हाउस के हाथ और पीलीभीत में बिजली देती है और उनको यह आज्ञा दे रखी है कि वह ६ आने यूनिट पर बेंचे। थर्मल स्टेशन पर भी इससे सस्ती बिजली मिलती है। असली लक्ष्य है कि अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध करायी जाय और दूसरे यह कि सस्ते दाम पर मिले, वह कोई भी बात इस पार्टी की सरकार दस साल के अन्दर उसको पूरा नहीं कर पायी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के कामों के ऊपर लागत कम होती है। कुछ माननीय सदस्यों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से हवाला दिया। लेकिन मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि रिहैंड डैम में १,८१० रुपये पर एक किलोवाट इनर्जी पैदा होगी, खटीमा में १,८०६ रुपये है और हद कर दी जो ईस्टर्न एरिया पावर प्रोजेक्ट है उसमें तो श्रीमन्, ३ हजार से ऊंचा इन्वेस्टमेंट आया है, एक किलोवाट इनर्जी पैदा करने का। इसके मुकाबिले में माननीय सदस्यों ने ने बतला दिया है लखनऊ में क्या होता है। लेकिन मैं आल इंडिया एवरेज को बतलाना चाहता हूं कि १,०८८ रुपये पर एक किलोवाट इनर्जी पैदा होगी। क्या कारण है उत्तर प्रदेश में १,८०० हाइड्रो एलेक्ट्रिक का और जहां थर्मल पावर है वहां तीन हजार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। कहीं न कहीं इसमें कोई ऐसी गलती है कि जिस पर विचार करने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि अगर इस गलती को दूर कर दिया जाय तो उतने ही पैसे से उतनी ही पूंजी से इस प्रदेश में ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का मंतक, योजना का आशय स्टीम पावर या डिजिल पावर से बिलकुल अलग है। यह सभी जानते हैं तस्लीमशुदा अमर है कि बिजली से काम सस्ते में होता है और कुछ अर्से के बाद बिजली की किसी योजना में घाटा नहीं होता है, फायदा ही होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम के सिलसिले में जब यह योजना तैयार की गई थी, जांच की गई थी तो उस समय यह बात सिद्ध की गई थी कि बहुत जल्दी उसमें फायदा होगा और ४३-४४ में उसमें फायदा भी हुआ। जैसे-जैसे बिजली का उत्पादन बढ़ता है और उसके इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है उसका रेट गिरता जाता है और अंडरटेकिंग में फायदा होने लगता है, लेकिन यहां तो कैफियत यह है कि जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, रेट बढ़ता जाता है और नुक्सान भी होता है।

बिजली के मामले में महारत तो कौन कहे, मामूली ज्ञान भी मेरा शून्य के बराबर है, लेकिन इसमें कोई माहिर होने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है कि दूसरी अंडर-टेकिंग्स को दूसरे मुल्कों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बड़ा नफा होता है ? यह कोई उत्तर प्रदेश की अपनी तो ईजाद है नहीं। यह तजुर्बा सारी दुनियां में हुआ है और स्काटलैन्ड जैसे देशों में जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम चालू की गई तो वहां का कास्ट आफ प्रोडक्शन यहां के मुकाबिले में आधे से भी कम पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि कौन से कारण हैं जिनसे उनके लिये संभव नहीं है और वे कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, जिससे कास्ट आफ प्रोडक्शन कम नहीं हो ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि योग्यता का यह हाल है कि खटीमा में जो पावर स्टेशन बना उसके बनने के कुछ समय पश्चात् कंट्रोल रूम बिगड़

गया, टूट गया। कौन सी बात ऐसी थी जो इंसान की ताकत के बाहर थी, यह बात माननीय मंत्री जी इस अनुदान के स्वीकार करने के लिये अन्तिम निवेदन जब वे इस सदन में करें तो बतलायें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे वित्त मंत्री भी स्वीकार करेंगे कि हमारे प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुये और बड़ी जनसंख्या को देखते हुये विद्युत् का उत्पादन जितना हमारे प्रदेश में हो रहा है वह बहुत अपर्याप्त है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब उत्पादन हुआ है और जो लागत हुई है उसका रेट जो है वह बहुत कम रहा है। जिस प्रकार विद्युत् का उत्पादन हुआ है पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में और जो योजना बिजली के उत्पादन के लिये बनाई गई है, उसको देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि अब भी विद्युत् का महत्व जितना समझना चाहिये दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये, उतना नहीं समझ पा रहे हैं। सन् ५३–५४ में ४५८.६ लाख रुपये इस पर खर्च किये गये, ५४–५५ में ३८७.४ लाख और ५५–५६ में २९२.४ लाख रुपये खर्च किये गये। इस तरीके से सरकार ने विद्युत उत्पादन के ऊपर बराबर कम रुपया खर्च किया है।

अब मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से विद्युत् का सम्बन्ध हमारे इर्रीगेशन से है। इर्रीगेशन के एरिया में जो डाउन–फाल हुआ है उसके सम्बन्ध में सरकार ने यह बहाना निकाला कि बाढ़ के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को यह उम्मीद है कि जिन्होंने देहात में देखा है उनको मालूम होगा कि सिंचाई के ट्यूबवेल्स का रेट इतना अधिक है कि किसान अधिक रेट होने के कारण ट्यूबवेल का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा है और ट्यूबवेल्स से जो सिंचाई होती है उसका एरिया बराबर गिरता गया है। केन्द्रीय सरकार को भी प्रदेश के सरकार की इस रिपोर्ट पर पूरा विश्वास नहीं है, इसलिये उन्होंने जो रिव्यू किया प्रथम पंचवर्षीय योजना का, उसमें राज्य सरकार को इस बात के लिये सावधान किया है कि वह फिर से विचार करे कि क्या वजह है, अधिक रेट होने की वजह से उसमें कमी हुई है या कोई दूसरी वजह हो सकती है ?

श्रीमन्, जैसा कि सरकार के अन्य विभागों में है, यह विभाग भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जब कोई आदमी विद्युत् लेने के लिये दरख्वास्त देता है तो उसको स्वीकृति तो मिल जाती है, लेकिन सचमुच में कनेक्शन लेने में बरसों लग जाते हैं। मेरे पास एक फीरोजाबाद का खत आया है, जो साहब दो वर्ष से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं उन्हें स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन आज तक उन्हें कनेक्शन नहीं मिला। उन्होंने मशीन भी खरीद ली डिपार्टमेन्ट के आश्वासन देने पर, कई हजार रुपया इनवेस्ट किया, मशीन बेकार पड़ी है, कनेक्शन नहीं मिला है। मुझे हाल में फैजाबाद जाने का अवसर मिला। फैजाबाद जल-विद्युत् कर्मचारी संघ वाले लोग मिले। उन्होंने बतलाया कि बार-बार उन्होंने सरकार को एग्जिक्युटिव इंजीनियर के खिलाफ लिखा है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की है जिस प्रकार से चन्द दिनों में ही उनकी एक आलीशान कोठी बन कर खड़ी हो गयी है और सरकारी कर्मचारी सरकारी काम छोड़ कर उनके काम में लगे हुये हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझ कर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी प्रकार से कानपुर के करीब जो 'केसा' बिजलीघर है, सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण तो किया, इस बात की सबको प्रसन्नता हुई, लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के बाद मजदूरों की हालत बेहतर होने के बजाय और बदतर होती गयी। सरकार का मुनाफा बढ़ा, लेकिन उसके अनुपात में मजदूरों का जो अलाउन्स था, वह नहीं बढ़ा। यही नहीं, वहां उच्च अधिकारियों के लिये प्लाट खरीदे गये, उनके रहने के लिये बंगले बनवाये गये, लेकिन वहां के

श्री चन्द्रजीत यादव]

कर्मचारियों को न हाउस का अलाउन्स मिलता है और न रहने की कोई व्यवस्था हो पायी है। यही नहीं, 'केसा' के मजदूरों को २९ लाख रुपया सरकार वेतन देती थी, अब वह घटकर २५ लाख हो गया है। वजह यह है कि मजदूर अब अधिकतर टेम्पोरेरी रखे जाते हैं और उनका वेतन कम होता है। नतीजा यह होता है कि जो एफिशियेंसी होती है वह भी दिनों दिन घटती चली जा रही है। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि जहां वह विद्युत् को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं वहां ये जो हजारों की तादाद में वहां मजदूर लगे हुये हैं, उनकी आर्थिक दशा जो गिरती जा रही है उसकी ओर भी ध्यान दें।

मैं सरकार से यह भी अपील करूंगा कि जो ट्यूबवेल देहातों में लगे हुये हैं, अगर उससे घर पर किसान बिजली ले जाना चाहता है तो आधे मील ले जाने पर उसे २६ रुपया सालाना देना पड़ता है। नियम भी अजीब सा बना हुआ है। जो पहले अप्लाई करेगा, उसी को सारा खर्चा बरदाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद लेने वालों की जितनी भी तादाद बढ़ती जाय उसका कोई शेयर नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि सब यह देखते हैं कि कौन पहले कनेक्शन और बिजली ले और इससे विकास के काम में बाधा पड़ती जा रही है। इन तमाम बातों पर मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ध्यान दें और उसे सुधारने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त तिवारी, मैं समझता हूं आपको भी ज्यादा कहना नहीं है। औपचारिक रूप से आप भी कुछ कह दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लेकर मेरे कटौती के प्रस्ताव का स्पष्ट अथवा मूक समर्थन किया।

जहां तक निवेदन मैंने किया था, उसका एक प्रत्योत्तर देने की भी कृपा नहीं की गयी और इससे मैं समझ लेता हूं कि मेरे निवेदन से संतुष्ट थे या अभाग्यवश उसका समर्थन करना उचित नहीं समझते थे। तो मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देकर माननीय विद्युत् मंत्री जी से अवश्य निवेदन करूंगा कि वह विद्युत् विभाग की असफलता को मानते हुये प्रतीक रूप में, सांकेतिक रूप में, कम से कम मेरी एक रुपये की कटौती को स्वीकार कर लें।

*श्री धर्मसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने जहां तक इस विभाग से संबंधित बातों का सम्बन्ध है, बहुत सी बातें कहीं और अधिकतर सदस्यों ने उससे मिली जुली बातें कही हैं। मैं इस थोड़े से समय में इस बात का प्रयास करूंगा कि जो कुछ भी यहां के सदस्यों ने प्वाइन्ट्स इत्यादि उठाये हैं उनको क्लैरिफाई करूं।

एक बात कही गयी है कि देहातों के अन्दर या टाउन्स या नोटीफाइड एरियाज को या म्युनिसिपैलिटीज को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफाई किया जाय। इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें बहुत से माननीय सदस्यों ने कहीं। जहां तक इलेक्ट्रीफिकेशन का सम्बन्ध है, वह तो मैंने अनुदान पेश करते समय बताया था कि सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक दिक्कत है। जब माननीय बलदेव सिंह जी बोल रहे थे तो बताया कि छोटी लाइन में एक साल में दस हजार रुपया एवरेज खर्च पड़ता है, बीच की लाइन में १३ हजार रुपया औसत खर्च पड़ता है और जब पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन को लाइन ले जाते हैं तो एक लाख रुपये का एवरेज खर्चा पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि जहां तक इलेक्ट्रीफिकेशन का सम्बन्ध है, सेंट्रल पावर कमीशन की यह हिदायत है, जो हमें पैसा देता है कि हम इस तरह के विलेजेज और टाउन्स को इलेक्ट्रिफाई करें जिन से कुछ आमदनी हो। सरकार तो प्रत्येक गांव को इलेक्ट्रिफाई करना चाहती है लेकिन उसके सामने दिक्कतें हैं और प्रश्न आता है कि पैसा कहां से आये ? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हमको ५ करोड़ रुपया भारत सरकार से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये मिला। उसमें से एक करोड़ रुपया हम खर्च कर सकेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि २३५ टाउन्स और विलेजेज को हम बिजली दे सकेंगे, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ७१८ गांवों को हम लोग बिजली दे रहे हैं, इस पर माननीय बलदेवसिंह जी ने कहा कि यह कस्बे और गांव सड़क के किनारे हैं, उनसे बिजली गांवों में नहीं पहुंच सकेगी। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि आप पश्चिमी जिलों में जाइये, वहां बिजली का डिकंट्रोल है और किसी भी व्यक्ति को लाइट और फैन के लिये बिजली मिल सकती है। हर काम के के लिये जो इंडस्ट्रियल और ऐग्रीकल्चरल परपजेज में आता हो दस किलोवाट तक बिजली आसानी से मिल सकती है। इसलिये और कार्यों के लिये बिजली नहीं मिल सकेगी, यह बात गलत है। जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, सरकार के सामने दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी जितना धन है उसमें जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक बिजली पहुंचाना चाहते हैं।

एक बात माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कही कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया खर्च होना चाहिये था नहीं हुआ और इसके साथ ही साथ यह भी उन्होंने कहा कि ५६–५७ और ५७–५८ का जो बजट था उसमें डीजल और थर्मल द्वारा बिजली की पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इसके लिये जहां तक योजना का सम्बन्ध है मैंने बजट प्रस्तुत करते समय निवेदन किया था कि हमने बहुत से कार्य लिये और कोशिश की कि इन योजनाओं को पूरी करें। वह योजनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चली गईं तो यह कहा कि इससे रुपया बच गया। यदि बच भी गया तो इस प्रकार की बहुत सी स्कीमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चली गईं तो क्या वह पूरी नहीं होंगी और उन पर रुपया खर्च नहीं होगा ? हमारे पावर हाउस कम थे, अधूरे थे, ट्रांसमिशन लाइन्स अधूरी थीं तो उनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जायगा और उन पर पैसा खर्च होगा।

दूसरी बात माननीय नारायणदत्त जी ने यह कही कि प्लान को करटेल किया गया है। हां, यह बात ठीक है। हम लोगों ने भारत सरकार को ऐप्रोच किया और उससे प्रार्थना की कि हमको पैसा मिलना चाहिये। और हमारे ८२ करोड़ रुपये का अपना पावर प्लान बना कर भेजा। पहले कुछ और कटा था लेकिन बाद में ५ परसेंट कटा और कट कटा कर ६४.६२ करोड़ के करीब रह गया। तो यह बात तो ठीक है कि जितना पैसा हमको मिलना चाहिये था, जितना पावर का डेवलपमेंट हमें करना चाहिये था उसके आधार पर जो पैसा हमें मिला है, वह बहुत कम है जिसके कारण जो हमारी योजनायें थीं वे पूरी नहीं हो सकीं।

एक बात माननीय तिवारी जी ने और कही थी कि जितनी बिजली पैदा होती है वह खर्च नहीं होती और जो पैदा भी हुई है उसको ग्रिड एरिया की तरफ ले गये हैं। तो मैंने तो प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि हमने ग्रिड एरिया और शारदा एरिया को एक दूसरे से मिलाया है और यह इसलिये किया है कि वहां पर पावर हाउसेज कोयले से चलते हैं जिससे बिजली कभी-कभी फेल हो जाती है। तो कोयले के पावर हाउसेज को बन्द करके अगर हम शारदा एरिया की बिजली उधर ले गये तो क्या हानि हुई ? अगर बिजली

[श्री धर्मसिंह]

की यहां पर कमी है तो ग्रिड एरिया में पूरी हो सकती है। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि बिजली का डिकंट्रोल किया गया लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में आज भी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं कि हमको बिजली दी जाय। तो सुपरफ्लुअस बिजली है या उसकी कोई मांग नहीं है या ग्रिड एरिया में बिजली पहुंचा दी गयी है, इसके कहने का कोई तुक नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था रिहंड की भी बिजली शारदा एरिया में जा सकेगी जैसे कि आज शारदा एरिया की बिजली ग्रिड एरिया में चली गयी है।

एक बात और कही गयी ट्यूबवेल्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। जहां तक ट्यूबवेल के इलेक्ट्रिफ़िकेशन का सम्बन्ध है और खास तौर से गोरखपुर, देवरिया, बस्ती इत्यादि के ट्यूबवेल्स का सम्बन्ध है मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि हमने इन ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिफाई करने के लिये मऊ, सोहावल, गोरखपुर और पश्चिमी जिलों में भी स्टीम पावर स्टेशन्स बनाये थे। यह कहना कि १,३०० ट्यूबवेल्स बिल्कुल चले ही नहीं सही नहीं हो सकता है। यह हो सकता है कि वैसे २४ घंटे उनको चलाना चाहिये उतने न चला सके हों लेकिन चले अवश्य हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जहां तक इण्टेरिम पावर स्टेशन्स के अलावा दूसरे पावर स्टेशन्स की बात है वे दिसम्बर के अन्त तक पूरे हो जायंगे। उस में सोहावल, गोरखपुर और मऊ भी आते हैं जो कि १५-१५ हजार किलोवाट के होंगे और हम यह उम्मीद करते हैं कि जब रबी की फसल को पानी देने का समय आयेगा तो शायद २४ घंटे के लिये उन इलाकों के ट्यूबवेल्स को पूरे तरीके से बिजली हम दे सकें।

इसके बाद माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कही, तो उसके लिये तो हमने एक व्यक्ति की नियुक्ति कर रखी है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सभी ऐस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और इस दौरान में गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमने प्रार्थना की थी तो उन्होंने ३०-९-५७ तक के लिये इजाजत दे दी है। यह उम्मीद की जाती है कि तब तक हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कार्य पूरा हो जायगा। तिवारी जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश रह गया है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बन पाया है और दूसरे सूबों में बन गया है। उनकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम, आन्ध्र, बिहार, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान भी ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बना है। कहने का मतलब यह है कि ७ सूबे भारतवर्ष में ऐसे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बना और यहां तो हम खास तौर से इस बात के लिये कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनायें। साथ ही साथ सुल्तान आलम खां साहब ने जिक्र किया कि बिजली विभाग इस बात के लिये कोशिश करे कि सामान भारतीय लें। इसमें दो राय तो हो नहीं सकतीं लेकिन अगर सामान यहां नहीं मिलता तो हमारे पास कोई तरीका नहीं होता सिवाय इसके कि दूसरे देशों से मंगायें।

वर्मा जी ने कहा कि प्राइवेट कम्पनीज जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं और सरकार जो जेनरेट करती है उसमें प्राइवेट कम्पनीज के मुकाबिले में दूना खर्च पड़ता है। यह बात गलत है। अगर आप 'केसा' को देखें तो जितनी सस्ती बिजली वहां पैदा होती है उतनी कहीं और नहीं होती। एक तरफ से यह भी शिकायत आयी है कि प्राइवेट बिजली कम्पनियों द्वारा जेनरेट की हुई बिजली के रेट्स ज्यादा हैं बनिस्बत सरकार द्वारा जेनरेट की हुई बिजली के, तो फिर इससे उनकी वह बात गलत हो जाती है। जहां तक सरकार द्वारा जेनरेट की हुई बिजली का सम्बन्ध है उस पर प्राइवेट कम्पनियों द्वारा जेनरेट की हुई बिजली के मुकाबले में बहुत कम खर्च पड़ता है।

राजा साहब ने कहा कि आप बिजली क्यों पैदा कर रहे हैं ? वे कहते हैं कि ट्यूबवेल्स को बिजली नहीं पहुंचाई जाती और वहां तक ले जाने में ज्यादा खर्च होता है तो आप बिजली क्यों पैदा करते हैं ? मैं नहीं समझ सका कि इससे उनका क्या अभिप्राय था। उनकी मंशा यदि यह है कि गांवों में बिजली न लगे, झोपड़ों में बिजली न लगे और उनके पक्के

मकानों में ही लगे तो यह बात तो हो नहीं सकती। जहां तक प्रोडक्शन की बात है उत्तर-प्रदेश ने तो हमेशा इस बात की कोशिश की है कि ट्यूबवेल्स तक बिजली ले जाने में चाहे जितनी दूर तक भी ट्रांसमिशन लाइन्स ले जानी पड़े वह लगाई जाय।

माननीय रामचन्द्र जी विकल ने पंजाब की बात कही कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को इलेक्ट्रिफाई करने के लिये पंजाब से बिजली क्यों नहीं ली गई। जब हमारा पथरी पावर हाउस नहीं बना था उसके पहले हमने कहा था कि हम पंजाब से लेंगे। पंजाब गवर्नमेंट एक बार तैयार भी हो गयी थी लेकिन इसी दौरान में हमारा पथरी और मुहम्मदपुर के पावर हाउसेज तैयार हो गये और हमने उनसे कहा तब उत्तर प्रदेश में जो बिजली के रेट्स थे वह कम थे इसलिये पंजाब गवर्नमेंट से बिजली लेने का सवाल नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात यह कही कि इंडस्ट्रीज को बिजली क्यों नहीं दी जाती है। मैं तो खुद पश्चिमी जिले की बात जानता हूं। शारदा एरिया और ग्रिड एरिया की बात जानता हूं कि वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को, जैसे रोलिंग मिल्स हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर की मिल है या किसी भी तरह की मिलें हैं उनको हमने बहुत बड़ा लोड दिया है। मैं फिर भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री होगी जो जनता के हित में होगी या जेनरल इम्पार्टेन्स की होगी तो उसके लिये तो सरकार ने यह एलान किया है कि अब भी उनकी इम्पार्टेन्स को देखते हुए कंसेशनल रेट्स पर पूरे तरीके से बिजली दी जायगी।

इसके साथ ही मैंने निवेदन किया था कि हम इंटेरिम पावर स्टेशन्स के साथ-साथ रिहन्द बना रहे हैं या और स्टेशंस बना रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक स्थान पर बिजली पहुंच जाय। फिर भी पूरे तरीके से हम जहां तक पूर्वी जिलों की बात है उन सब देहातों को बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक बात उन्होंने कही कि केसा में तो बिना टेंडर इनवाइट किये ही कोयला यहां, वहां से ले लिया जाता है। यह बात बिल्कुल गलत है। टेंडर्स कलकत्ते आदि से इनवाइट किये जाते हैं और उसके बाद जैसा नियम होता है टेंडरों का, उसके अनुसार कोयला लिया जाता है। उसके बाद मैनपुरी की बात उन्होंने कही कि वहां एक सब स्टेशन बना हुआ है और कुरावली में बिजली दी जा रही है। मैंने निवेदन किया था कि मैनपुरी में हम ने एक इंटेरिम पावर स्टेशन बनाया था। इंटेरिम स्टेशन का यह अभिप्राय था कि ट्यूबवेल्स आदि को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिये थोड़े समय के लिये अपना काम चलाने के लिये हम लोगों ने अपना एक पावर स्टेशन बनाया, लिहाजा वहां के देहातों आदि को उससे बिजली देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैंने निवेदन किया था कि दिसम्बर के बाद प्रथम पंच वर्षीय योजना से जो पावर हाउस चले आते हैं, उस पर विचार किया जायगा और उसके बाद कुरावली या उसके आस-पास के देहातों में बिजली दी जायगी।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने खास तौर से यह कहा कि दूसरे सूबों के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट्स अधिक हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के महकमे में केवल यही नहीं होता कि वह अपने पावर स्टेशन्स बना लें, उसके बाद ट्रान्समिशन लाइन आदि भी ले जानी पड़ती हैं और कुछ इधर-उधर का भी खर्च होता है। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बिग इंडस्ट्रीज की बात है, उनके रेट्स का यदि हम दूसरे सूबों से मुकाबला करें तो पायेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में बिजली १०·३ पाई प्रति यूनिट के हिसाब से देते हैं, पंजाब में बिग इंडस्ट्रीज के लिये ११·१ पाई प्रति यूनिट रेट है, देहली में १२·२ पाई प्रति यूनिट है, आंध्र में १६·१६ पाई प्रति यूनिट, मद्रास में १०·८५ पाई प्रति यूनिट और दूसरे डी० वी० सी० आदि में है १२·४५ पाई प्रति यूनिट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर-प्रदेश में बिग इंडस्ट्रीज के लिये बिजली के रेट्स सब से कम हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने यह कहा था कि पर-कैपिटा ऐनुअल कंजम्पशन ज्यादा है और प्रदेशों में।

श्री धर्मसिंह---तो जहां तक रेट्स की बात है उस में उत्तर प्रदेश के रेट्स सब से कम हैं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो बात कही उस के साथ-साथ केसा का कोई जिक्र नहीं किया कि वहां किस रेट से कास्ट आफ प्रोडक्शन आती है। उनकी जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ७०० रु० के करीब वहां पर प्रति किलोवाट का खर्च पड़ता है। यहां उत्तर प्रदेश में और दूसरे पावर हाउसेज़ भी हैं और यह केसा का पावर हाउस उनके अन्तर्गत आता है, लिहाजा उनका यह कहना कि यहां कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरे सूबों के मुकाबिले में, ठीक नहीं है।

माननीय दुबे जी ने एक बात कही कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम रेट्स कम करना चाहते हैं, ड्यूटी पर कंसेशन देना चाहते हैं, लेकिन वह तो तभी सम्भव हो सकेगा कि जब यहां पर कानून आये और यह आदरणीय सदन उसको पास करे, तभी उससे पूरी तरह छुटकारा मिल सकेगा। यह ठीक है और इसके लिये बिल आ रहा है।

इन चन्द शब्दों के साथ इस आदरणीय सदन के उन १२, १३ सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हुआ कि जो इस अनुदान के सम्बन्ध में बोले हैं और जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उनको मैंने नोट किया है, खास तौर से उन पर विचार होगा और उन पर कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी, मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन अनुदानों को पास करने की कृपा करे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४ की धनराशि में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४---विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं---लेखा शीर्षक: ४१ के अन्तर्गत २,८२,०८,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५ की धनराशि में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५---विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय---लेखा शीर्षक ४१ और ८१---क--- के अन्तर्गत १,४२,४२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---की धनराशि में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८---विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर) लेखा शीर्षक: ८१---क---के अन्तर्गत ११,०८,८६,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा सदस्य श्री गेंदासिंह के अनशन पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय झारखंडेराय के काम रोको प्रताव पर विवाद होगा। इस सम्बन्ध में नियम ७३ के अनुसार अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई भाषण १५ मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता है। १५ मिनट का अधिकार होते हुए भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि चूंकि इस विषय पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये अगर मुख्य-मुख्य बातें कही जायं तो छोटे-छोटे भाषण होंगे, ५ मिनट के ही भाषण हों तो अधिक लोग बोल सकते हैं। जो माननीय सदस्य १५ मिनट से कम समय लेंगे मैं उनका अनुग्रहीत ही हूंगा। इसके लिये समय केवल २ घंटा नियत है। अन्त में माननीय मुख्य मंत्री को भी तमाम भाषणों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिये उनको भी समय ज्यादा देना है। इसलिये इन सब बातों का ध्यान रखते हुये आप विवाद जारी करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि "प्रदेश के प्रमुख प्रजा समाजवादी नेता तथा विधान सभा के सदस्य माननीय गेंदा सिंह के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भुखमरी की स्थिति पर अनिश्चित काल के लिये अनशन तथा इस विषय में मुख्य मन्त्री द्वारा श्री गेंदा सिंह को लिखे पत्र के विषय से उत्पन्न प्रदेश व्यापी क्षोभ, असन्तोष एवं चिन्ता पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अपने प्रदेश की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या पर विचार कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये यह समस्या एक राष्ट्र संकट का रूप धारण कर चुकी है। गत १० वर्षों से उत्तर प्रदेशीय जनता के पूर्वीय भाग के लोगों को सरकारी नीति और दैवी आपदा का जो सामना करना पड़ा है उससे उन लोगों की आर्थिक हालत जर्जर हो चुकी है। जब हम इस विषय पर विचार करने जा रहे हैं उस समय उत्तर प्रदेश के दर्जनों भूख से मरे हुये लोगों की लाश, हजारों भूख से जर्जर हुये मौत के मुंह में जानेवाले नर कंकाल और भाई गेंदा सिंह जी की क्षण-क्षण क्षीण होती हुई काया हमारे और सरकार के बीच उपस्थित है। यह प्रश्न राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर का प्रश्न है। सब से पहले मैं सरकार से और सभी पार्टीज के मेम्बरों से आग्रह करता हूं कि इसी दृष्टिकोण से इस समस्या को हमें देखना चाहिये। गत १० वर्षों से सरकार ने जो नीति अपनायी है उससे पूरे प्रदेश की और विशेषकर उत्तरी अंचल के क्षेत्रों के मजदूर और किसानों की आर्थिक दशा नीचे गिरी है। सामंती प्रथा में खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों को जो परंपरागत अधिकार प्राप्त थे वह सामन्ती प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद, समाप्त हो गये हैं लेकिन उस के विकल्प में उन्हें नये अधिकार और नये आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं हो सके। जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ हदबंदी नहीं हुई, भूमि का बटवारा गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों में नहीं हुआ, उनकी हालत नीचे ही गिरती गयी। विकास योजनाओं से साधारणरूप से उनकी बेकारी दूर न हो सकी बल्कि बढ़ी। हजारों मजदूर जो सिंचाई का काम कर के अपनी जीविका कमाते थे, वे नहरों और नलकूपों के बन जाने से बेकार हो गये हैं और उनकी जीविका का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त बेदखली से लाखों की जीविका समाप्त हो गयी है। लाखों मजदूरों और गरीब किसानों की जमीनें बेदखल करा दी गयी हैं, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे उनकी खेती उनके पास रह सके।

चकबंदी, टैक्सों का बढ़ाया जाना, भ्रष्टाचार, पुलिस का आतंक और उस आतंक के शमन हेतु जो गरीबों की जेबों से पैसा जाता है, किसानों के उत्पादन के दामों के चढ़ाव उतार, गन्ने के दामों का १ रु० १२ आना से १ रुपया ७ आना और १ रु० ५ आना हो जाना, सरकार का जमींदारी उन्मूलन के बाद एक महा जमींदार के रूप में परिवर्तन, बढ़ती हुई बेकारी, कारखानों

[श्री झारखंडेराय]

की कमी और गृह उद्योगों की दिनों दिन अवनति, इन सब बातों ने पिछले दस वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की आर्थिक कमर तोड़ दी है।

जहां तक मेरी इत्तला है, फैजाबाद के उस इलाके में जहां चकबन्दी हो रही है, संभवतः उपाध्यक्ष महोदय, आप को भी मालूम होगा, ८० प्रतिशत किसान खेतों से बेदखल हुए हैं। एक आजमगढ़ के मुबारकबादपुर कस्बे में जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा बुनकरों का सेंटर है, ३ हजार बुनकर वहां से अपने घरों को छोड़ कर बाहर जा चुके हैं। जहां कस्बे में २,१०० करघे चलते थे वहां केवल ३०० करघे चलते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वे सैकड़ों हरिजन और गरीब जिनका जीवनयापन इन्हीं करघों पर आश्रित था, बेकार और बेरोजगार हो गये हैं।

उपाध्क्ष महोदय, मैं आंकड़ों की दुनिया में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी एक दो बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान मूल्यों के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय और फी कस आमदनी घटी है। १९५१-५२ में हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों की आमदनी १,०३२ करोड़ थी लेकिन ५४-५५ में वह घट कर ८५७ करोड़ रह गयी, अर्थात् १७५ करोड़ कम हो गयी। यह आमदनी कम हुई है मौजूदा चीजों के दामों के आधार पर। हमारे राज्य की राष्ट्रीय आमदनी ५१-५२ में १,५६२ करोड़ रुपया थी लेकिन ५४-५५ में १,४०१ करोड़ रह गयी यानी १६१ करोड़ की राष्ट्रीय आमदनी में कमी हो गयी। शहरों में अगर हम देखें तो ४९-५० में ६०७·२ फी कस आमदनी थी जो ५४-५५ में ६०४·७ रह गयी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय १९५·४ थी जो १५०·७ रह गयी। यह फिगर्स अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 'इकानामिक, रिव्यू, ७ जुलाई के अंक से लिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दैवी आपत्तियों ने उत्तर प्रदेश की जनता को और ज्यादा जर्जर किया है। पिछले ५२ के अकाल से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता अभी उबर न सकी थी, उस पर हर साल की बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, ओला इत्यादि दैवी आपदाओं के कारण उसकी रही-सही आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी है। आज वह जनता सरकारी नीति और दैवीआपदाओं रूपी दो चक्की के पाटों में पड़कर भुखमरी के मुख में आ पड़ी है। मैंने बड़े ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पत्र को जो उन्होंने भाई गेंदा सिंह जी के पत्र के उत्तर में भेजा था, पढ़ा। भाई गेंदा सिंह जी के जवाब को भी मैंने देखा, जो उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के प्रत्युत्तर में भेजा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने ऐसी कौन सी मांग की है जिसको मानने में सरकार आनाकानी करे, जब कि पिछले दस वर्षों में सरकार स्वतः इस बात को स्वीकार करती है और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का दावा भी किया है कि सरकार से जो कुछ हो सका उसने किया और आगे भी वह करेगी, लेकिन जितना हो सका उस के होते हुये भी आज तक दस वर्ष में हमारे उस अंचल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसीलिये इस बात की और जरूरत है कि एक स्थायी कमेटी नियुक्त की जाय, जिस में सरकार का भी विश्वास हो और हम लोगों का भी विश्वास हो और जो सरकार के सामने वहां की पूरी स्थिति को प्रस्तुत करे। इसके मानने में कौन सी प्रतिष्ठा और झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा हो जाता है, मैं सचमुच सब को पढ़ कर के भी समझ नहीं सका हूं और न हृदयंगम कर सका हूं।

दूसरी बात यह कि इस समय जो स्थिति है उसका मुकाबला करने के लिये इस सदन के विधायकों की एक कमेटी बनायी जाय। जाहिर है कि इस सदन में हर पार्टी के सदस्य हैं, बहुमत पार्टी के भी हैं जिसका आज इस प्रदेश में शासन है, उस पार्टी के लोग भी उसमें रहेंगे और मैं तो चाहूंगा कि उसमें अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लोग रहें, जिनको अधिक जानकारी और अधिक अनुभव होगा। क्योंकि यह सम्भव है कि नित्य प्रति उसी तरह की बात देखते-देखते हमारी आंखें पथरा सी गयी हों और हमारी उतनी अनुभूति

न रह गयी हो जितनी कि पश्चिम के लोगों को वहां एकाएक जाकर प्राप्त हो सकती है। इसलिये ऐसी कमेटी का निर्माण किया जाय जो वहां दौरा करके वहां पर तत्काल के लिये सहायता के सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत करे, इसके मानने में कौन सी अड़चन है, मैं जानना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक लगान की छूट का और जो सरकारी वसूलयाबी बाकी है उसकी छूट का सम्बन्ध है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा और माननीय गेंदासिंह जी ने भी कहा है कि अगर सरकार ६०–६५ चीनी मिल-मालिकों के लिये ५ करोड़ के लगभग छूट दे सकती है तो कोई वजह नहीं है कि ६०–६५ लाख की वसूलयाबी को कुछ समय के लिये मुल्तवी न किया जा सके। अगर सरकार इस समय किसी तरह की छूट देना नहीं चाहती है और समझती है कि हमारी बातों में बहुत अतिरंजना है तो इस बात को उस कमेटी के निर्णय के लिये छोड़ा जा सकता है जो पूर्वी प्रदेश का दौरा करके छूट के सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी। इस समय तो मुल्तवी कर दिया जाय और अगर वह कमेटी दौरा करके अनुभव प्राप्त करने के बाद यह महसूस करे कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां कि यह वसूलयाबी की जा सकती है तो उस को मानने में हमें कोई भी गुरेज नहीं हो सकता।

जहां तक भाई गेंदा सिंह जी की मांग का सम्बन्ध है, वह केवल उनकी मांग नहीं है बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो अभावग्रस्त और अन्न संकट से पीड़ित ९ जिले हैं वहां की एक एक-एक जन की यह वाणी है और उसके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति होगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अनुशासन का कोड़ा, डंडा या हंटर हटा लें तो जितनी अनुभूति हमारी है उतनी ही अनुभूति एक-एक पूर्वी उत्तर प्रदेशीय कांग्रेसी भाइयों की भी है और वे इसके जीवित समर्थक हैं। अगर अनुशासन का कोड़ा हटा लिया जाय या बोलने की आजादी दे दी जाय तो सभी कांग्रेसी विधायक हमारे ही समान बोलेंगे। समाचार पत्रों में वक्तव्य देकर या दूसरे जरिये से हम और वे इस आन्दोलन में एक ही प्रकार के भाव व्यक्त करते रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि किस तरह से यह अन्न-संकट का प्रश्न दिनों दिन गंभीर होता गया। यह किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है। यह एक सार्वजनिक प्रश्न बन गया है, यह हर पार्टी का प्रश्न है, हर व्यक्ति का प्रश्न है, यह सिसकती मानवता का प्रश्न है और यह एक कराहती इनसानियत का प्रश्न है और पूर्वी यू०पी० में इनसानियत सिसक रही है और मानवता कराह रही है। अखबार की खबर का महत्व कुछ न कुछ होता है, मैं आपकी आज्ञा से एक समाचार सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं, यों तो इस तरह की बातें पहले भी कही और पढ़ी जा चुकी हैं, लेकिन एक मैं इस समय पढ़ना चाहता हूं। यों तो इस पूर्वी अंचल में रोजाना बड़े बड़े स्टेशनों पर बाजारों में और दूकानों पर जहां बरेली का शीरा या चोटा बिकता है वहां आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं, लेकिन २४ अगस्त के 'आज' में जो एक राष्ट्रीय परम्परा का अखबार है उसमें एक खबर प्रकाशित हुई है कि "भूखे मानव की कुत्ते से होड़"। उस में लिखा है कि "सरकार एवं उस के कर्मचारी चाहे भले ही इस कांड पर विश्वास न करें किन्तु इन दिनों भूखा मानव क्षुधापूर्ति हेतु कुत्ते से भी होड़ लगाने को तैयार हैं। कल स्थानीय गोलाबाजार की गली में दर्शक यह हृदय विदारक दृश्य देख कर विशेष दुखित हुये कि कीचड़ में गिरा हुआ चोटा एक ओर कुत्ते चाट रहे थे और दूसरी ओर एक वृद्धा हंडिया में काछ रही थी। देहातों में ४५ से ५० प्रतिशत ऐसे घर हैं, जो दोनों समय बरेली के चोटे के रस पर अपनी जीविका चला रहे हैं"। यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश की पूर्वी अंचल के सैकड़ों हरिजन लोगों की है जो पहले से ही हैजे आदि की बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, अखाद्य पदार्थों के खाने से, बरेली के शीरे और चोटे के रस पीने से जिस में हजारों मक्खियां, कीड़े और छोटे जानवर तक गिर कर सड़ जाते हैं, उनको वहां के लाखों आदमियों को और विशेष कर हरिजनों को हैजे और गैस्ट्रो आदि बीमारियां होती हैं और हरिजनों की बस्तियों में जीवन निर्वाह का कोई साधन न होने से यह दशा हो रही है। वहां पर हैजा आदि नाना प्रकार की बीमारियां

[श्री झारखंडेराय]

फैल चुकी हैं। इस का अनुभव तो इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को होगा कि कितनी गन्दगी की हालत में वहां पर चोटा बिकता है और हरिजन किसान एक एक हफ्ते तक उसी पर गुजर करते हैं। यह फसल जो अब तैयार होने जा रही है उस की भी हालत का माननीय सदस्यों को अनुभव होगा, उस की गति भी अच्छी नहीं है। पिछली रबी और खरीफ की फसल की बरबादी से जो वहां तबाही और दरिद्रता आई है उसका हमें अनुभव है। मैं अन्त में कहूंगा कि सरकार इस २ करोड़ जनता की वाणी को सुने और उस प्रकार से सुने जैसे एक मानव मानव की पुकार को सुनता है, जैसे एक इन्सान इन्सान की फरियाद को सुनता है और वह किसी झूठी प्रतिष्ठा के प्रश्न में न पड़े, उसके लिये करोड़ों लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करना हितकर नहीं है। मैं कहूंगा कि अगर सत्याग्रह सरकार के लिये गलत चीज है और दरख्वास्त या प्रार्थना सरकार के लिये गलत चीज है और जब उसके लिये अनशन तक गलत साबित हो रहा है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उसको भी पसन्द नहीं करते और जब हमारे तमाम शान्तिमय तरीके सरकार को एक सही बात मनवाने के लिये गलत हैं तो सरकार क्या चाहती है? सरकार हम से कौन से उपाय प्रयोग में लाने की बात कहती है? जब वह किसी बात को नहीं सुनती और जिद्द पर रहती है तो उस हालत में हमारे लिये कौन सा रास्ता रह जाता है? हम चाहेंगे कि वह रास्ता सरकार हमें बताये। हमारा समय भी समाप्त हो रहा है इसलिये अन्त में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार अपनी जिद और हठधर्मी को छोड़ कर सही रास्ते पर आकर हमारी बात को मानें और माननीय गेंदा सिंह की मांगों को स्वीकार करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि साधारण तौर पर भाषण के लिये १५ मिनट की अवधि है। मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर माननीय सदस्य ७–८ मिनट बोलना पसन्द करें और पार्टियों के नेता दस मिनट बोल लें तो अधिक लोगों को अपने विचार प्रकट करने का मौका मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं इस सुझाव से सबकी ही सहमति है।

(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर)

एक पार्टी के ज्यादा लोगों को बोलने की सम्भावना नहीं होगी। माननीय त्रिलोकी सिंह जी, अगर आप चाहें तो भाषण करें।

श्री त्रिलोकीसिंह—माननीय नारायणदत्त जी ने कल नोटिस दिया था...

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले बोल लीजिये। उस के बाद वह बोलेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं आज इस हक में हूं कि सदन की कार्यवाही एक विशेष महत्व के प्रश्न पर जो पूर्वी जिलों में सरकार के कम छूट देने के कारण या जितनी सहायता वहां पहुंचनी चाहिये लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिये, उसके न पहुंचाने के कारण और जितनी दूकानें वहां खोली जानी चाहिए जिसमें मुनासिब कीमत पर जनता को अनाज प्राप्त हो सके, उसके न होने से, माननीय गेंदा सिंह जी के उपवास से जो समस्या उत्पन्न हो गयी है उस पर विचार करने के लिये स्थगित की जाय।

श्रीमन्, यह सभी को मालूम है कि पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पिछले छः सात साल से लगातार दैविक आपत्तियों के कारण बरबादी होती रही है। या अगर वहां आपत्ति न हो तो भी उनकी आर्थिक दशा या अन्न की पैदावार या दूसरे साधन जो वहां के रहने वालों को उपलब्ध हैं, ऐसे नहीं हैं कि उससे वह अपना ठीक तरह से जीवन निर्वाह कर सकें। इन दो बातों से किसी को इनकार नहीं। साथ ही यह भी सभी को मालूम है कि प्रथम प्लान पीरियड खत्म हो गया है, सन् ५१ से ५६ तक और ५६ से ६१ तक का चालू है, लेकिन उस

प्लान में कोई विशेष योजना इन क्षेत्रों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये, इस प्रकार सुधारने के लिए कि उन्हें जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त हो, नहीं है। ऐसी दशा में मेरी यह समझ में नहीं आता जब यह बात सभी मानते हैं कि वहां अनाज की, फसल की खराबी से छूट देनी पड़ी, माननीय मुख्य मंत्री के आंकड़ों से जो उन्होंने गेंदा सिंह जी को पत्र में लिखा है यह ज्ञात होता है कि छः आने से ज्यादा की छूट और तीन साढ़े तीन, चार आने तक की मुल्तवी की गई है। श्रीमन्, रेवेन्यू के कानून छूट देने के जो हैं उनमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस छूट का हिसाब-किताब उस समय लगना चाहिये था कि कितना फसल में नुक्सान हुआ है जब फसल कट के खलिहान में न आयी हो बल्कि खेत में लगी हुई हो, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सरकार के कर्मचारियों ने वहां पर जो नुक्सान हुआ उसका अनुमान कब लगाया? मई के पहले सप्ताह में इस सरकार का आदेश जाता है। कितनी रिपोर्ट कलेक्टरों ने की, कमिश्नर्स ने की, या कानूनगो, तहसीलदार हैं उन्होंने की कि इस तरह नुक्सान हुआ है? मान्यवर, यह सभी को मालूम है कि पहले यह कहा गया था कि आठ आने से कम नुक्सान है लेकिन चूंकि लगातार ऐसा नुक्सान हो रहा है, इसलिये चार आने की छूट दी जाय। यह मई के शुरू सप्ताह की बात है, लेकिन तीन हफ्ते के बाद जब इस बात को उठाया गया और विवाद बढ़ा तो इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के हिसाब लगाने से वही चार आने की छूट छः आने की हो गई और बजाय सैलाबी इलाके के सभी इलाकों में हो गई। इससे मेरा मतलब यह है कि सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे जिससे कि वह यह सिद्ध कर सकती कि कितना नुक्सान हुआ है। पहले चार आना छूट दी और फिर तीन हफ्ते बाद उसे छः आना कर दिया। साथ ही जितने माननीय सदस्य इस सदन के हैं और जितने इस प्रदेश के रहने वाले हैं, बिला लिहाज किसी सियासी पार्टी के, उन्होंने एक मत से कहा कि रुपये में बारह आने का नुक्सान हुआ है।

श्रीमन्, यह भी सभी को मालूम है जब ऐसी मोहताजगी की दशा हो तो वहां पर काम देने की सुविधा होनी चाहिए। मोहताजगी की इस दशा का ज्ञान मार्च के महीने में ही सरकार को पूरे तौर पर हो जाना चाहिये था और उसी के तुरन्त बाद अप्रैल के महीने में टेस्ट वर्क्स वगैरह मोहताजगी की हालत का पता लगाने के लिये कि उसकी कितनी सीमा है खोलने चाहिये थे, लेकिन उनके खोलने के सिलसिले में मई के आखीरी सप्ताह में उत्तर-प्रदेश सरकार की ओर से विज्ञप्ति जाती है। जो काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों का है उसे उन्होंने नहीं किया। जो काम अप्रैल में शुरू हो जाना चाहिये था वह जून तक शुरू नहीं हुआ। बरसात आ गई। फिर टेस्ट वर्क्स जब खोले जाते हैं तो पी० डब्ल्यू० डी० और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने कौन सी एजेंसी इस्तेमाल की टेस्ट वर्क्स के लिय जो इस सिलसिले में काम देने के लिये खोले गये, वे कब चलाये गये? ऐसा नहीं किया गया।

श्रीमन्, यह भी सभी को मालूम है कि दो पंचायती अदालतों पर सरकार ने एक गल्ले की दूकान खोल रक्खी है। दो पंचायती अदालतों के बीच १४, १५ हजार की आबादी होती है। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं २० हजार होती है। मैं तो केवल १० हजार ही माने लेता हूं। १० हजार की आबादी के बीच में एक दूकान का खोलना, इस सम्मन्ध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि अपर्याप्त है। ऐसी दशा में जब यहां रेकरिंग केलेमिटी होती हो उस समय किसी के मान का प्रश्न नहीं होता है।

मुझे दुख है कि इसमें इस बात को भी लाया गया कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कुछ इसको पर्सनल प्रेस्टिज का सवाल बना लिया है। श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि हमारे देश और प्रदेश की यह बड़ी पुरानी प्रथा रही है कि लोग उपवास करते हैं, बड़े-बड़े देवताओं और देवियों को मनाने के लिये। हमारे देश में ऐसी कितनी मिसालें मिलेंगी, देवता तो जाने दीजिये इंसान की राय को ठीक करना हो तो लोगों ने उपवास किया है। यह हमारा हक है कि यदि किसी

[श्री त्रिलोकीसिंह]

की बात अनसुनी कर दी जाय, जो लोग सत्ता पर आरूढ़ हैं, जिनके हाथ में वे अधिकार प्राप्त हों कि वे उस गलती को ठीक कर सकते हैं अगर वह सुनी अनुसुनी कर दें, तो अपने ऊपर कष्ट उठा कर एक इंसान व्रत करे।

यह कहा गया कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कोई ऐसा काम जिसका कि दुरुपयोग न हो इस डर से सही काम को न करने का मंतक, श्रीमन्, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। माननीय गेंदा सिंह जी के बारे में यह कहना कि उन्होंने यह काम दबाव के लिये किया है, उन्होंने यह काम इसलिये किया है कि सरकार सरकारी नियमों का उल्लंघन कर उनकी बात को स्वीकार करे और लोगों को जितनी छूट की आवश्यकता है, जितनी राहत की आवश्यकता है, जितना अन्न पहुंचाने की आवश्यकता है, जितना काम पर्चेजिंग पावर बढ़ाने के लिये आवश्यक है उस के अलावा काम हो तो मैं, श्रीमन्, बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि माननीय सदस्य अपनी राय बदल दें। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव यहां उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह प्रस्तुत प्रस्ताव है उसका महत्व इसलिये और अधिक हो गया है कि मुझे स्मरण है कि पिछले बहुत वर्षों के पश्चात् कार्य-स्थगन का प्रस्ताव हमारे इस भवन में वादविवाद के लिये आया।

आज कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य-स्थिति अच्छी नहीं रही है। इसका कारण यह रहा कि वह अंचल बहुत ही घना बसा हुआ है। कुछ भी फसलों का व्यतिक्रम होता है तो खाद्य संकट उपस्थित हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में केरल, कश्मीर और बिहार को सरकार ने अभाव क्षेत्र माना है और ये पूर्वी जिले जो हैं वह बिहार से लगे हुए हैं और केवल वह उत्तर प्रदेश में रहने के कारण ही अभाव-क्षेत्र नहीं घोषित किये जाते हैं। मेरा खयाल है कि आज यदि इस चीज को सामने रखा जाय तो समाधान मिल सकता है। इस प्रदेश के लोग अनायास सरकार के सामने या जनता में इस तरह की बात नहीं रखते हैं, बल्कि यहां के लोग, आप जानते हैं कि लगभग ३०–४० लाख आदमी हिन्दुस्तान के हर हिस्सों में मजदूरी को जाते हैं—केवल यह नहीं कि पुरुष ही, बल्कि स्त्रियां भी जाती हैं और वे सब प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनकी उदरपूर्ति नहीं होती है। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो पिछला ढांचा था हिन्दुस्तान का, वह ढह चुका है। बड़ी बड़ी मिलें आ गईं, उद्योग धंधे जो हमारे सहायक होते थे, एक उद्योग के रूप में सहायक धंधा खेती का होता था, वह नष्टप्राय हो चुका है और आज हमारे यहां यह स्थायी सवाल है, यह नहीं है कि इस वर्ष एक भवन के माननीय सदस्य ने अनशन किया है। तो इस चीज पर पहले सोचना है।

आप जानते हैं कि अमरीका की तरफ से जो आर्थिक सहायता ऐसे देशों को दी जाती है, उसका आधार यह था कि यदि हम ऐसे देशों में जहां आर्थिक विषमता है, जहां संकट है, सहायता नहीं देंगे तो वहां कम्युनिज्म आयेगा। तो हमें उस परिणाम को इस दृष्टि से देखना चाहिये। इस भवन में भी हम अपमानित होते हैं कि हमारी यह प्रवृत्ति हो गयी है कि हम इस तरह से चीज मांगते हैं। यह बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि एक रेस्पांसिबिल गवर्नमेंट का यह धर्म है। मैं जानता हूं, इस सरकार की सीमाएं हैं और उनके अन्तर्गत वह कार्य करेगी, लेकिन इस वर्ष, आप जानते हैं कि उस सन् ५२ की स्थिति का स्मरण होगा और आज उन पूर्वी जिलों में वह स्थिति है कि जो साढ़े तीन रुपये मन बरेली और मेरठ का शीरा था वह १० रुपये मन मिलता नहीं है और हजारों लोग उसके लिए सवेरे से शाम तक तांता लगाते हैं। आज सरकार की तरफ से हमारे माननीय मंत्री जी ने जब कहा कि हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो भूख से तड़पते हुए उन सड़कों पर खड़े रहते हों तो उससे हमें बहुत आघात लगा। इस वर्ष हम जानते हैं कि जो ग्रेटुइटस रिलीफ मिलता है, वह नाम मात्र

का मिला है, जो सूत पर सब्सिडी मिलती है वह इस वर्ष नहीं दी गयी, टेस्ट वर्क्स देर से खोले गये थे अब वह बन्द हो चुके हैं।

आज हम यह मानते हैं कि एक महीने मानसून देर से आया और उसके बाद फसल बोयी गयी। बहुत सी जगहों में तो ऐसा हुआ कि किसान अरली क्राप्स बो नहीं सका और इसके बारे में संभवतः हमारे माननीय मंत्री महोदयों की तरफ से भी इस बात को स्वीकार किया गया था। जब इस तरह की उनकी स्थिति है तब आज हमें यह देखना है कि हम किस तरह से वहां की समस्याओं का समाधान करें। आज हम बहुत से रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, जैसे बाढ़ इस साल आई तो चूंकि पौधे छोटे थे वह डूब गये वैसे इस साल बाढ़ कम है, यह जरूर है, लेकिन उस बाढ़ में सरकार की क्या योजनाएं हैं, केन्द्रीय सरकार भी जबकि वह हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना चाहती है, उस अंचल से बिलकुल अनभिज्ञ है। वह यह नहीं जानती कि किस चीज को हमें पहले लेना चाहिये। मैं कहता हूं कि उन बड़ी योजनाओं को आप विचाराधीन कर, गांव में रिंग बन्ध लगाना शुरू कर दें, अरली क्राप के लिए पम्पिंग सेट का प्रबन्ध करें और ग्रामीण उद्योग, जैसे चमड़े का उद्योग है, जूट का उद्योग है, वहां बहुत सा मोलैसिज होता है संभवतः जिससे किसी प्रकार का रबड़ बनता है, इस तरह की चीजों को अगर हम उस क्षेत्र में चालू करें तो वहां की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। वरना ज्यों की त्यों रहेगी। इस वर्ष नहीं रहेगी, दूसरे वर्ष नहीं रहेगी बल्कि जब हम दोबारा आवेंगे तब भी वहां के लोग वैसे ही रहेंगे। जिस स्थिति से माननीय गेंदा सिंह ने अनशन किया उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वह क्या स्थिति है, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे प्रान्त में एक फूड इंक्वायरी कमेटी आने वाली है संभवतः १३ तारीख को। उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया है। यदि इसी समिति को थोड़ा सा परिवर्द्धन करके ऐसी चीज दे दी जाय कि वह इस संबंध में भी अपने विचार व्यक्त करे तो माननीय गेंदा सिंह जी को भी यह चीज ठीक मालूम होगी। मैं इस बात को समझता हूं कि सरकार की भी सीमायें होती हैं और सरकार उनसे बाहर नहीं जा सकती है। आज हम इस बात को नहीं उठाना चाहते हैं कि पिछले सौ वर्षों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। आज हमारे यहां नारायणी एक नहर बनी जो चार वर्षों में बनी है, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया, बल्कि वह कई जगह टूट कर गांवों को डुबो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय झारखंडेराय जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मनुष्य अपने कष्टों को दिखाने के लिये अनुनय करता है, विनय करता है, निवेदन करता है और जब किसी प्रकार उसके कष्ट निवारण की सूरत दिखाई नहीं पड़ती तब मजबूर होकर उसको अनशन करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र माननीय गेंदा सिंह जी ने व्यक्तिगत रूप से नहीं तो हमारे पूर्वी प्रदेश पर आज जो कष्ट पड़ा हुआ है, उसको सम्मुख रखने की दृष्टि से यह अनशन किया है।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस समय खाद्य समस्या पर वाद-विवाद हो रहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं भी जानता हूं कि वहां कष्ट हैं, मैं यह भी जानता हूं कि लोग विपत्ति में हैं, वहां दारिद्रय है और दुर्भिक्ष है लेकिन मैं उनकी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता हूं। उस दिन मुझे उनके वह वाक्य कुछ समझ में आये थे? परन्तु आज जबकि लगातार इसी प्रकार से वहां की स्थिति चिन्ताजनक और भीषणतर होती चली जा रही है तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमन्, कि आप हिम्मत नहीं तोड़ना चाहते हैं लेकिन जितना ध्यान देने योग्य था और जिस प्रकार से सम्पूर्ण साधनों के लगाने की आवश्यकता थी, वह न लगा कर आज आप उनका दम तोड़ते चले जा रहे हैं। श्रीमन्, हिम्मत रखाना अच्छा है, लेकिन उसकी ओट में यह चीज ठीक नहीं है। कभी भी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि जान बूझ

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कर दुर्लक्ष्य हुआ लेकिन जो अनकांशस दुर्लक्ष्य हो जाता है, उसके लिये जीवन से खिलवाड़ के लिये हिम्मत रखने की बात न कहें और स्पष्ट स्थिति की ओर देखें।

श्रीमन्, हमारे पूर्वी प्रदेश में प्रकृति के जो भीषण प्रकोप ने लोगों को खाने के लिये बाध्य किया है, मैं आपकी आज्ञा से उसका नमूना इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन्, अगर आप इसको देखें तो यह देवरिया जिले में ही नहीं और भी स्थानों पर 'मडुवा' नामक घास को बीन-बीन कर लोग खा रहे हैं। क्या किसी को घास खाना अच्छा लगता है? मनुष्य जब मजबूर हो जाता है, जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता है, अन्न नहीं रह जाता है तब भूखा मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जैसे 'विभुक्षितः किं न करोति पापम्।'

श्रीमन्, मैं दूसरा उदाहरण दूं कि इस क्षेत्र में चावल ज्यादा होता है, लेकिन जो चीज आज उनको मिल रही है वह चावल नहीं है बल्कि केवल चिड़ियों के खाने की चीज है, जिसको चावल के नाम से एक रुपये की दो सेर दो छटांक खरीद कर वहां के लोग खा रहे हैं। मैं अन्न तो नहीं कहूंगा लेकिन निकृष्ट खाद्य पदार्थों के खाने से उनकी वाइटेलिटी नष्ट हो रही है और आप देखते हैं कि महामारी का प्रकोप भी वहीं ज्यादा होता है।

श्रीमन्, हमारे गृह मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व जिस समय माल मंत्री जी का विचित्र प्रकार का वक्तव्य देवरिया या गोरखपुर से निकला था, श्रीमन्, मैं स्थान भूल रहा हूं उसी समय, हो सकता है कुछ घंटों का ही फर्क रहा हो, परन्तु समाचार-पत्रों में एक ही दो दिन के अन्तर में था, माननीय गृह मंत्री जी ने वाराणसी में बोलते हुये कहा था कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण खाद्य समस्या खड़ी हो जायगी। श्रीमन् खाद्य समस्या खड़ी है। आज उसका निराकरण चाहिये और उसके दो ही रास्ते हो सकते हैं, एक शार्ट रेन्ज प्लानिंग और दूसरा लांग रेन्ज प्लानिंग। यह सवाल बार-बार उठा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गरीबी बहुत ज्यादा है। यह सत्य है। वह न तो सस्ते गल्ले की दूकानें ही खोल कर दूर की जा सकती है और न टेस्ट वर्क खोल कर दूर की जा सकती है। उसके लिये प्रयास करना पड़ेगा और वह प्रयास इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह न आप लगा लें कि मैं यह कह रहा हूं कि आप बड़ी-बड़ी फैक्टरियां खोलें जिसमें ५, १० वर्ष लगें। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग-धंधे दिये जाते हैं। आज इसके न होने का ही यह परिणाम है कि सहस्रों की संख्या में आप बम्बई और कलकत्ता में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देख लें। वे वहां नौकरी क्या करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई भैया बना फिरता है, कोई भैंस का व्यापार करता है। क्या कोई अपना घर छोड़ना चाहता है? मनुष्य बाध्य होता है अपना घर छोड़ने को जब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है कि घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहता।

हमारी सरकार बड़े जोर से कहती है कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, परन्तु बार-बार इसी सदन में भूख से मरे हुये लोगों के नाम आये हैं। सरकार ने अपने ढंग से और अपने ढांचे के जरिये से भले ही इन्क्वायरी कराई हो और उस ढांचे के आधार पर जो लिख दिया गया उसी को मानो ऐसा लगता है कि सरकार ब्रह्म वाक्य मान लेती है। सरकार जरा अपने ढांचे को छोड़ कर चले। फाइलों का खेल तो विचित्र है? उनमें कुछ का कुछ बनाया जा सकता है। सरकार के पास पार्टी आर्गेनाइजेशन है? क्यों नहीं पार्टी आर्गेनाइजेशन से वह इन्क्वायरी कराती कि वहां की स्थिति क्या है? यह एक पुनरावृत्ति होगी, परन्तु मैं बाध्य हूं उसे करने के लिये। अगर आज आप अपने दल से व्हिप को हटा दें और अपने हृदय को स्पष्ट खोल करके कहने का उनको मौका दें तो निश्चित है कि हम से भी ज्यादा कटु और नग्न सत्य वे कहेंगे। श्रीमन्, जहां इस प्रकार से जीवन के साथ खेल हो रहा हो, वहां अन्न की बिक्री पर

सेल्स टैक्स भी लिया जाता है। मैंने प्रश्नोत्तर के समय में माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जब भुखमरी से बचाने के लिये लोगों को गल्ला देते हैं तो उस पर क्यों सेल्स-टैक्स लेते हैं। उसका उत्तर उन्होंने बहुत चतुराई के साथ दिया कि यह सदन जो चाहेगा सो करेगा। तो आज क्यों नहीं सदन के अन्दर यह प्रस्ताव रखते कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर किसी प्रकार का सेल्स टैक्स न लिया जाए? इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने की पद्धति भी विचित्र है। कहा जाता है कि हम दो-दो पंचायत अदालतों पर एक दुकान खोलेंगे। इसका परिणाम यह होता है कि किनारे के गांव के लोगों को तीन-तीन और चार-चार मील चल कर गल्ला लेने के लिये आना पड़ता है और फिर भी उनको कभी-कभी गल्ला नहीं मिलता। आज जिन लोगों के अन्दर इतनी वाइटैलिटी नहीं है कि एपिडेमिक्स का सहन कर सकें, आप उनसे आशा करते हैं कि वे इतनी दूर से गल्ला लेने के लिये आयेंगे। अगर इस सम्बन्ध में कोई बन्धन है, कोई सीमा है तो उस सीमा का उल्लंघन करके आप भारत सरकार से कहिये कि आज की स्थिति हमारी भीषण है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दुकानें खोलने की आवश्यकता है जिससे कि हम प्रत्येक गांव सभा के ऊपर दुकान खोल सकें, ताकि सरलता से वहां के लोगों को सस्ता गल्ला मिल सके।

जहां तक लगान की बात है, इसी बजट सेशन के अन्दर आंकड़े इतने नहीं आये हैं—श्रीमन्, माननीय माल मंत्री जी मेरी ओर इस प्रकार देख रहे हैं मानो रेडी टु पाउंस हों।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी नहीं, स्पेल बाउंड हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो डू ऐज आई से।

श्री उपाध्यक्ष—इस सदन में आपको किसी से डरना नहीं चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यदि कोई प्रौढ़ किसी युवा को देखकर स्पेल बाउंड हो जाय तो इसमें आश्चर्य क्या है।

तो मैं दूकानों के सम्बन्ध में कह रहा था कि आप वह ज्यादा संख्या में खोलें। उनके अन्दर वितरण की संख्या को भी ज्यादा बढ़ावें। अभी तक जो दुकानें जौनपुर जिले में हैं उनमें १० मन के बजायं २० मन गल्ला प्रतिदिन दिया जाता है। लेकिन आज की आवश्यकतायें ज्यादा हैं। आप उनको ५० मन दीजिये, ६० मन दीजिये। मैं नहीं जानता कि कहां तक यह सही है मगर मुझे बड़ा आनन्द होगा अगर कोई मंत्री महोदय इसे गलत साबित कर दें कि क्या इस विभाग ने भारत सरकार को यह लिखकर के नहीं दिया कि हम यहां सरप्लस में हैं और इसलिये ज्यादा गल्ले की यहां आवश्यकता नहीं है? मैं नहीं जानता कि इस बात में कहांतक सत्यता है और यदि यह सत्य है तो यह बड़ा दुखद है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि खाद्य मन्त्री ने जौनपुर में स्वयं वादा किया था कि बाढ़ एरिया के पूर्वी जिलों के वे आंकड़े भिजवा देंगे, लेकिन कितनी रातें बीत गयीं, कितने महीने बीत गये परन्तु उन आंकड़ों को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सम्मुख पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं भी उसी जिले से आता हूं जहां से हमारे माननीय गेंदा सिंह जी, जो आज अनशन कर रहे हैं, आये हैं। एक क्षेत्र मेरा भी है और वहां की स्थिति के बारे में मैं भलीभांति कह सकता हूं। प्रश्न इस वक्त मौलिक यह है कि क्या पूर्वी जिलों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जिसमें सरकार ने उपेक्षा की है या पूर्वी जिले पश्चिमी जिलों की अपेक्षा उपेक्षित हैं। मैं तो समझता हूं कि पूर्व के जिले सैकड़ों वर्षों से ऐसे उपेक्षित रहे हैं कि इतनी स्थिति उनकी खराब है, उद्योग-धंधे इतने टूटे हुये हैं लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया; इसमें २ मत नहीं हो सकते। लेकिन १० वर्ष के अन्दर कांग्रेस की सरकार ने, इधर के

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

लोगों ने, जो कुछ किया है क्या उसमें कुछ कमी है इस प्रश्न पर विचार करना है। इस वक्त सदन के सामने यह प्रश्न है कि इस वक्त पूर्व के लोग गरीब है या नहीं या लोगों का प्रचार मात्र है, यह स्पष्ट स्थिति है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि इस प्रशासन ने बहुत कुछ अपनी सीमित स्थिति में किया है। इसमें भी दो रायें नहीं हैं कि हमारे देवरिया जिले में एक बिस्वा जमीन एक आदमी पर आती है। परन्तु प्रश्न यह है कि इस वक्त जो स्थिति पैदा हुई है और तीन वर्ष पहले जो थी उसमें क्या अन्तर है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्रीमन्, हम लोगों ने यहां के उन सभी विधायकों ने जो पूर्वी जिलों से आते हैं, दो महीने पहले एक योजना बनाई और उसको सरकार के सामने, माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने और खाद्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने परामर्श किया और जिले के स्तर पर बातें करके सरकार के सीमित साधनों को देखते हुये यह निश्चय हुआ कि २ पंचायतों पर एक दूकान खोली जाय। सरकार ने कहा कि हम सब को राशन नहीं दे सकते हमारी क्षमता सीमित है। माफी के सिलसिले में भी उन्होंने जो कुछ करना था किया। मैंने माननीय गेंदा सिंह जी के और मुख्य मंत्री जी के पत्र को भी देखा। उनके पढ़ने से यह स्पष्ट लगता है कि गोरखपुर और बनारस कमिश्नरियों से २ करोड़ १६ लाख रुपये की मालगुजारी आती है। इसमें से १ करोड़ ४६ लाख के करीब स्थगित हो चुकी है और ७० लाख के करीब है वह भी स्थगित हो चुकी है। मैं खास तौर से सदन के सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि अगर हम सभी लोग सर्वसम्मति से यह तय कर दें कि जितनी मालगुजारी है सब माफ हो जाय तो क्या इससे गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों की समस्यायें हल हो जायेंगी? मालगुजारी कौन देता है? मैं देखता हूं कि देवरिया में १ मिल में २० लाख मन गन्ना आया और १०, १२ मिलें उस क्षेत्र में है। इस प्रकार करीब ३ करोड़ रुपये के गन्ना बिका। यह पैसा सब खेतिहरों के पास गया। इन खेतिहरों में करीब एक तिहाई मजदूर हैं। इस वर्ष गोरखपुर में भी यही स्थिति है। तो मजदूरों के लिये कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। गल्ले की दूकानें सब जगह खुल जाने पर भी लोगों के पास यदि पैसा न होगा तो बड़ी कठिनाई होगी। वे उस गल्ले को खरीद नहीं सकेंगे। इसलिये यह समस्या है और वर्ष के कुछ महीने जैसे भादों है, उसमें खेतिहरों को बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है। मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिलती और कोई काम नहीं हो सकता। टेस्ट वर्क भी नहीं चल सकता। टेस्ट वर्क की ६ आना मजदूरी है। उसका काम मैंने भी तीन, चार जगह जाकर देखा, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी उसको देखने गये। उसमें हजारों आदमी काम करते हैं, लेकिन वे ६ आने की जगह मिट्टी का काम २ या ३ आने का ही करते हैं। मजदूरी करने के लिये लोग नहीं मिलते लेकिन टेस्ट वर्क के लिये आपको ५,००० आदमी भी मिल जायंगे, तो इस लिये मैं समझता हूं कि इससे अनैतिकता को वृद्धि मिलती है। बरसात में यह काम नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त आप सड़क पर कंकड़ बिछाने का काम करा सकते हैं, सड़कें बनवा सकते हैं। यह ठीक है कि हमको मजदूरों की ओर ध्यान देना है और उनकी व्यवस्था किसी प्रकार करनी है। इसके लिये वहां उद्योग चलाये जा सकते हैं। चरखे अगर वहां ज्यादा चलाये जायं तो काफी काम हो सकता है, लेकिन उनके सूतों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। छोटे बड़े उद्योग जरूर वहां पर कायम किये जाने चाहिये। मैंने इसके लिये मुख्य मंत्री जी को लिख कर दिया, बारबार कहा भी गया, अपना विचार इस सदन में भी मैंने प्रकट किया। जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेंटर्स खोलने का विचार है? वह मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों में खुलने चाहिये। उससे जो लाखों मजदूर वहां के बाहर जाते हैं और बीमारियां लाते हैं, उनकी रक्षा हो सकेगी और उनको घर में ही काम मिल सकेगा। हम केवल टेस्ट वर्क खोल कर ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि पार्टीबाजी के चक्कर में यह सब चीजें चल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद के संबंध में मेरी कठिनाई यह है कि अभी तक सरकारी पक्ष से मंत्रिमंडल के किसी माननीय सदस्य की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिये मुझे जानने का अवसर नहीं मिला कि इस प्रश्न के संबंध में सरकारी पक्ष क्या है। इस कठिनाई का सामना मैं केवल एक ही बात का सहारा लेकर कर सकता हूं और वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो दो लम्बे वक्तव्य साथी गेन्दा सिंह जी के अनशन और बयान के संबंध में और पत्रों के जवाब में दिये हैं उनको ही आधार मान कर, उनको ही सरकारी पक्ष की बात मान कर, उसके संबंध में कुछ निवेदन करूं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लम्बे बयान में ४, ५ मुख्य बातें थीं। एक तो उन्होंने यह कहा कि हमने इस स्थिति की जांच करा ली है अपने अधिकारियों से, अच्छी तरह से करा ली है और हमें शिकायत है यह कि विरोधी पक्ष हमारे अधिकारियों की जांच को रिकग्नाइज नहीं करता है, हमारे आंकड़ों को रिकग्नाइज नहीं करता है। दूसरी शिकायत उनकी यह है कि विरोधी पक्ष अनशन की धमकी देकर, उसे अपनी व्यक्तिगत प्रेस्टीज की बात बना कर हमसे काम कराना चाहता है। तीसरे उनका कहना यह है कि प्रजातंत्र में अनशन के लिये कोई जगह नहीं है। तो इन बातों की मैं जांच करना चाहता हूं कि यह बातें कहां तक सही हैं।

पहली बात, जहां तक सरकारी आंकड़े मानने की बात है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में आपके द्वारा यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि असल में उन आंकड़ों की असलियत क्या है? क्या यह सही नहीं है कि उन आंकड़ों का उद्गम स्थान लेखपाल हैं? वह आंकड़े लेखपाल से आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से होम्योपैथिक दवाई में यह बात होती है कि जितनी ज्यादा वह डाइल्यूट होती चली जाती है उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है, इसी तरह से लेखपाल के आंकड़े तहसीलदार को, तहसीलदार से परगना हाकिम को, परगना हाकिम से जिलाधीश को, जिलाधीश से कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब से डिपार्टमेंट के हैड को और फिर सेक्रेटरी से मिनिस्टर साहब को भेजे जाते हैं; वह माननीय मुख्य मंत्री के अपने आंकड़े हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं इसको यों कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय के आंकड़ों की कीमत लेखपाल के आंकड़ों की कीमत से ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं मिनिस्टर साहब खुद जाकर वहां जांच करते? जो आंकड़े लेखपाल भेज देता है उन्हीं आंकड़ों को हाई पावर देकर हमारे सिर पर मढ़ दिया जाता है कि हम उनको सत्य मान लें, उनको वेदवाक्य मान लें। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस हद तक लेखपाल के आंकड़े या अपने अधिकारियों के आंकड़े वह ब्रह्म वाक्य न मानें।

दूसरी बात कही गयी कि जनतंत्र में अनशन और सत्याग्रह के लिये जगह नहीं है। मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। सत्याग्रह के लिये तथा अनशन के लिये जनतंत्र में जगह है या नहीं इस संबंध में साधिकार कहने वाला इस समय हमारे देश में एक ही व्यक्ति है जो जीवित है। वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अनशन की व्याख्या करने वाला महात्मा जी का एकमात्र आध्यात्मिक अधिकारी है। मेरा मतलब सन्त विनोबा भावे से है। उन्होंने बारबार यह कहा है कि अगर जनतंत्र में सत्याग्रह और अनशन को जगह नहीं रही तो जनतंत्र में खूनी क्रांति हुये बिना नहीं रह सकती। अगर खूनी क्रांति से देश को बचाना चाहते हैं तो अनशन और सत्याग्रह के लिये जगह है। उनका यह भी कहना है कि जब तक सरकार का काम सर्वसम्मति से न हो तब तक सत्याग्रह और अनशन के लिये हर जनतन्त्र में स्थान रहेगा। इस लिये मुझेयह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि उनके मुकाबले में सत्याग्रह और अनशन क संबंध में कुछ भी कहन के लिये मैं माननीय

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मुख्य मंत्री जी को या उनके पन्त जी और जवाहरलाल जी को भी अधिकारी मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि अनशन की धमकी से हमसे काम कराना चाहते हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि वह कृपा कर हमें यह बता दें कि वह अनशन और सत्याग्रह की भाषा के अलावा दूसरी भाषा को समझते हैं? उन्होंने कभी इस बात का परिचय दिया है कि जनतंत्र की भाषा को वह समझें? उन्होंने कभी इस बात का परिचय दिया है कि अनुनय, विनय, मिन्नत और प्रार्थना की भाषा को वह समझें और विवाद की भाषा को समझें। एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से कहने के लिये क्षमा किया जाऊं कि मैं ६ वर्ष से कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहा हूं। मैंने कभी अनशन नहीं किया, मैंने कभी सत्याग्रह नहीं किया और उग्र जनान्दोलन भी नहीं किया। मुझसे आप यह शिकायत नहीं कर सकते कि अनशन की धमकी देकर काम कराना चाहते हो। क्या आपने कभी मेरी छोटी सी छोटी प्रार्थना भी स्वीकार की? बाहर भी और सदन के अन्दर भी अनुनय और विनय की, आपसे प्रार्थना की, लेकिन क्या कभी आपने दिखाया कि अनुनय की भाषा या जनतंत्र की भाषा को आप समझते हैं? मुझे क्षमा किया जाय इस सरकार का रवइया यह रहा है कि सरकार हिंसा की भाषा को समझती है। सत्याग्रह या अनशन की भाषा को भी नहीं समझती है। क्या यह नहीं हुआ है कि विद्यार्थियों के आन्दोलन में एक विद्यार्थी की बलि लेने के बाद सरकार ने विद्यार्थियों की मांगों को माना? इसलिये मैं कहता हूं कि वह इस बात की शिकायत करने के पहले कि विरोधी पक्ष हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करता और सत्याग्रह अनशन की धमकी क्यों देता है, यह सोचें कि इसका कारण क्या है। वह तो मूल तक जानेवाले हैं, वैज्ञानिक कारणों में विश्वास करने वाले हैं, उन्होंने कभी यह सोचा कि इसका कारण क्या है? विरोधीपक्ष और सरकारी पक्ष में आपस में इतनी लम्बी चौड़ी खाई हो गयी है कि हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते और एक दूसरे के भाव को नहीं समझते। आप हमसे शिकायत करते हैं कि अनशन और सत्याग्रह की धमकी देते हैं और हम आपसे शिकायत करते हैं कि आप हमारी छोटी से छोटी और उचित बात को भी नहीं मानते हैं। मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में सिद्धांततः और अधिकार होते हुये भी यह ऐसा हथियार है कि बिना और रास्तों की परीक्षा के इसे काम में नहीं लाना चाहिये, लेकिन सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आप सोचें कि क्या विरोधी पक्ष में यह प्रक्रिया होना स्वाभाविक नहीं है कि आप हमारी भाषा को नहीं समझते?

मैं आपसे कहता हूं कि यहीं देख लीजिये। मुझे इसमें कोई शक नहीं है आप अगर पार्टी मीटिंग में या प्राइवेटली पूर्वी जिलों के कांग्रेस के लोगों से ही पूछेंगे तो वह गेंदासिंह जी की बातों का समर्थन करेंगे। जब हममें और आपमें मतभेद है कि वहां पर्याप्त उपाय नहीं हो रहे हैं और वहां की गम्भीरता को आपने समझा नहीं है, तो एक ही रास्ता है जो माननीय गेंदासिंह जी ने बतलाया है। जब दो पक्षों में मतभेद होता है तो हमेशा उसका निर्णय तीसरे मनुष्य से कराया जाता है। आज की परिस्थिति से गेंदासिंह जी की इस मांग का समर्थन हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी समझ के मुताबिक पूरी सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझे हैं, इसलिये जितनी सहायता करनी चाहिये उतनी नहीं हो पा रही है। मैं कोई आक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन जैसी आपकी शासन की मशीनरी है उसके कारण जो सहायता आप वहां के लोगों को देते भी हैं, वह उतनी पहुंच भी नहीं पाती है।

मैं फिर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर गेंदासिंह जी ने गलती की है कि उन्होंने अपने निजी प्रेस्टिज का सवाल इसे बनाया है, तो आप बड़े हैं, आप उसके बदले में दूसरी गलती मत कीजिये और राज-हठ को छोड़ दीजिये। जनतंत्र में अनशन और सत्याग्रह तभी अनुपयुक्त हैं जबकि बहुमत दल विरोधी दल की बातों का आदर करे और उन्हें मानें।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वी जिलों की हालत बहुत खराब है, इसमें शक नहीं है। इसी से हमारे एक माननीय सदस्य को अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन पूर्वी जिलों की समस्यायें बयान करते समय हमें जो कुछ सरकार वहां कर रही है उसे बिलकुल भुला नहीं देना चाहिये। अभी हमारे माननीय सदस्य झारखंडेराय जी ने, जिन्होंने कामरोको प्रस्ताव पेश किया है, कहा है कि पूर्वी जिलों में नलकूप, नहर और बांध बनने से और अधिक खराबी हो गई। वहां ६ साल से सूखा और बाढ़ प्रतिवर्ष आते रहे हैं। हमने मांग की थी कि वहां नहरें, नलकूप बांध होने चाहिये। हमारे सिंचाई मंत्री जो वहां गये थे। हमने गांव-गांव प्रचार किया था कि नहरें बनेंगी, नलकूप बनेंगे और बांध बनेंगे, वे बने लेकिन इनके लिये हमारे खेत लिये जाने से हमको फायदा नहीं हो रहा है। छोटे-छोटे लोगों का जो काफी खेत ले लिया गया है, उन्हें मुश्तरका यानी शराकत सोलह आने से निकाल कर खेत देना चाहिये। इस तरह उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिये। लगान माफ होना चाहिये। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि नहरों, नलकूपों और बाँधों से समस्या अधिक खराब हो गई है।

सन् १९४२–४३ का बंगाल का अकाल हमारे सामने है। उसमें लाखों व्यक्ति भूख से मरे थे। हमारे यहां सन् ५२ से लगातार आपदायें बढ़ती रही हैं। हो सकता है कि कुछ आदमी मर गये हों। जैसा पालीवालजी ने कहा, लेखपाल की रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी छः वर्ष के अन्दर लाखों आदमी नहीं मरे। मैं यह भी नहीं कहता कि सरकार ने वहां कोई बड़ा कार्य नहीं किया।

एक बात और है। जब हम पूर्वी जिलों की सहायता का जिक्र करते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम आपसे अनाज और दियासलाई मांगते हैं। हमको चने और गुड़ के लिये दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आप हमारी समस्या का ऐसा समाधान निकालें जिससे हमें यह न करना पड़े। बड़े-बड़े उद्योग धंधों की स्कीमें तो बहुत समय लेती हैं लेकिन आप हमारे यहां जो ५,७ या १० रुपये तकावी देते हैं वह न देकर अगर हमारे गांव-गांव चरखे चलने लगें जैसा पूज्य बापू ने कहा था तो हमारी समस्याओं का बहुत कुछ हल हो जायगा। अगर हो सके तो कानून बनाकर गांव-गांव चरखा चलवा दें, सूत के बिक्री का प्रबन्ध करा दें और इस में सारी सरकारी मशीनरी लगा दें तो हमारी कठिनाइयां बहुत दूर हो जावेंगी। युद्धस्तर पर इस कार्य को कीजिये। आप लोगों को चरखे दीजिये। यह चीज तो ५,६ महीने में होगी इसलिये मेरा एक निवेदन यह है कि आप सस्ते गल्ले की दूकानें हर अदालती क्षेत्र में फ़िलहाल खुलवा दें, टेस्ट वर्क्स हर जगह खोल दिये जायें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा पंचायतों के टैक्स और दूसरे टैक्स तत्काल माफ होने चाहिये और छूट हमको मिलनी चाहिये।

एक बात और भी है। कि बहुत सी विधवायें, अपाहिज और लंगड़े-लूले हैं, उनको आपकी मदद ठीक नहीं मिल पाती है। मेरा निवेदन है कि आप गांव सभाओं के जरिये उन लोगों को मदद पहुंचावें। हमारे पूर्वी जिलों में बहुत से उद्योग धंधे हो सकते हैं, जैसे मेरे जिले में ऊन का उद्योग है, गड़रिये लोग वहां बहुत हैं जो ऊन के कम्बल बनाकर ५, ७ रुपये में बेंचते हैं। अगर सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन दे तो बड़ा काम हो सकता है। हमारे जिलें में काफी बुनकर हैं, उनकी सोसाइटियां बनी हुई हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता है। इससे बुनकरों को परेशानी होती है। अगर सरकार उनको रिबेट दे और बने माल की बिक्री का प्रबन्ध कर दे और अच्छे-अच्छे औजार उन्हें दे तो समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्क्ष महोदय, मैं माननीय झारखंडेराय जी के काम रोको प्रताव के समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैंने अभी बहुत से माननीय सदस्यों की बातें पूर्वी जिलों के बारे में सुनीं। हमारे माननीय

[श्री उग्रसेन]

झारखंडेराय जी ने जिस तरह से आज की गम्भीर परिस्थिति पर आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया, श्रीमन्, मैं उसके बारे में एक ही बात बहुत ही दुखित होकर कहना चाहता हूं। संभवतः कुछ ऐसी भावनाओं का प्रदर्शन हो रहा है जिससे यह आभासित हो रहा है कि हम पूर्वी जिलों के लोग भीख मांग रहे हैं। एक मुट्ठी चना और दियासलाई या कपड़े के लिये हम भीख मांग रहे हैं। लेकिन बाढ़ के समय ऐसी भीख दे भी दी जाय तो उससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। श्रीमन्, दो करोड़ की जनता जो पूर्वी जिलों की है वह संकटापन्न स्थिति में है, वह भीख नहीं मांगती है। वह किसी दूसरे के दरवाजे को नहीं खटखटाती है। वह अपना हक मांगती है। किसी भी प्रजातंत्र देश में, जहां प्रजातांत्रिक परम्परायें अमल में लायी जाती हों और जहां की हुकूमत उसकी हुकूमत हो, वहां की जनता भीख न मांग कर अपने हक को मांगती है और श्रीमन्, हक दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। इट इज नाट गिविन, इट इज टेकेन।

आज हमारी जो हालत है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और बलिया इन जिलों में भुखमरी से मौतें हुईं। इन मौतों के बारे में ज्यादा जिक्र करना मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूं। इसी आदरणीय सदन में माननीय अन्न मंत्री के उस वक्तव्य की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने पूर्वी जिलों के बारे में दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी मौत हो, उस मौत को पूर्वी जिले के लोग भुखमरी से जोड़ देते हैं। श्रीमन्, मुझको तरस आता है आज अपनी सरकार पर। विदेशी सरकार के जमाने में भी हम भूखों मरते थे। हिन्दोस्तान में उन दिनों बहुत से अकाल पड़े लेकिन उसके लिये उन्होंने फेमिन कमीशन बैठाया। और उस फेमिन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। फेमिन कोड बनाया गया। लेकिन आज जब हम पूर्वी जिलों के लाखों लोग भुखमरी की अवस्था में हैं, जब हमारे यहां लाखों लोग भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं, आज जब कि बंगाल के अकाल से बदतर हालत पूर्वी जिलों की हो रही है, उस समय हमारे अन्न मंत्री जी कहते हैं कि हर मौत को भुखमरी से जोड़ दिया जाता है। यह मेरी बदकिस्मती है कि माननीय अन्न मंत्री का दौरा हमारे यहां नहीं हो पाता है। दूसरी बदकिस्मती हमारी यह है कि जब माननीय माल मंत्री जी हमारे जिले में गये थे तो सोशलिस्ट पार्टी के लोग जेल में थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे चल कर हमारे घरों को देख लें, तलाशी ले लें लेकिन साथ में लेखपाल न रहे, वह कानूनगो न रहे जो हमारी लाश के साथ खिलवाड़ करता है, झूंठे आंकड़े देने वाला चाहे वह जिलाधीश ही क्यों न हो, वह भी साथ न हो। ऐसे चल कर वे हमारे घरों की तलाशी लें। मैं आदरणीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि गत चार वर्ष पहिले लैंड रिफार्म्स कमिश्नर मिस्टर निगम देवरिया के रूद्रपुर क्षेत्र में गये थे और संभवतः उस क्षेत्र के विधायक वहां मौजूद थे। उन्होंने एक घर को जाकर देखा और वहां पर आम की गुठिलियों को छोड़ कर और कुछ नहीं मिला हालांकि वहां तहसीलदार और कानूनगो ने दूसरी जगहों से कुछ चीजें लाने की कोशिश की। उन्होंने वहां एक स्कीम का समर्थन किया और उस पर थोड़ा सा काम भी हुआ। आज हमें इस बात की सबसे ज्यादा शर्म है कि हम लोग भूखों मर रहे हैं और मजबूर हैं यहां इस बात पर बहस करने के लिये कि भूखों भी मर रहे हैं या नहीं। मैं भगवान के नाम पर भीख मांगता हूं, अन्न की नहीं, काम की नहीं, कपड़े की नहीं, जहनियत की और इंसानियत की भीख मांगता हूं। कम से कम आप इतना तो मानिये कि हम भूखों मर रहे हैं। आप यह कहिये कि हम यह कर रहे हैं। आज दो करोड़ जनता भूखों के मारे बिलबिला रही है, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हम रोटी मांग रहे हैं और आप पत्थर देते हैं। पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों में "Asked for bread but got stone."

मैं श्रीमन् बतलाऊं कि हमने राज्य सरकार से रोटी मांगी, लेकिन हमें उस पत्थर पर पटक दिया गया जहां से उठने पर डंडे मार-मार कर हमलोगों को जेलों

में भेज दिया गया। हमारा नेता माननीय राजनारायण आज १९ महीने की सजा भुगत रहा है। सरकार उनको एक जेल में न रख कर अब दूसरे जेल में नैनी भेज रही है। उसने हमको उस कुयें में ढकेल दिया है जहां से उठने की इजाजत नहीं है, अगर उठते हैं तो सरकार के दारोगा डंडे मार-मार कर उस कुएं में गिरा देते हैं। सरकार की हालत आज बड़ी अबतर है। हम तो कहते हैं कि पूर्वी जिलों के माननीय विधायक अगर सही माने में अपनी राय दें तो आज एक स्वर से इसको इस बात का टेस्ट केस बना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह वाक्य जो अभी आपने कहा, नहीं कहना चाहिये क्योंकि यह समझा जाता है कि इस सदन में हर कोई अपनी सही राय ही देता है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी अंचल की जो हालत है उस पर काफी गौर करना होगा। वहां की दो करोड़ की आबादी में सब से ज्यादा संख्या भूमिहीनों की है। पूर्वी जिलों में ७०-८० लाख लोग बेकार हैं। आजमगढ़, देवरिया, बलिया, गोरखपुर में प्रति वर्ग मील पीछे १,००० की आबादी है लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी वहां के लिये कोई उद्योग धंधा नहीं है। बेकारी इतनी ज्यादा है कि वहां के लोगों को अपना घर बार छोड़ कर उस अंचल के बाहर भागना पड़ता है। केंद्रीय सरकार ने अभी कुछ Industrial Estate के स्थापना की घोषणा की है और आदेश दिया है कि उसके लोकेशन का निर्णय राज्य सरकार करे। मुझे अखबारों में यह पढ़ कर बहुत दुख हुआ कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का लोकेशन पूर्वी जिलों में कहीं भी नहीं किया गया है, उसकी जांच भी नहीं करायी गयी। मुझे तो ऐसा आभास होता है कि ये "मिनिस्ट्रियल एस्टेट्स" कायम किये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के लोकेशन का निर्णय करते हुये कम से कम पूर्वी जिलों के औद्योगीकरण की सम्भावनाओं पर भी गौर कर लिया जाय। अभी एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि हमारे यहां रबर, जूट और दूसरे प्रकार के उद्योगों की ज्यादा सम्भावना है। हमारे यहां चीनी मिलों में बहुत सा वगास बेकार जाता है। उसे चीनी के कारखाने में जला दिया जाता है। अगर चीनी बनाने में उसकी जगह लकड़ी का इन्तजाम हो जाय तो उनके जरिये कागज बन सकता है और हमारे यहां कागज की मिलें भी खुल सकती हैं।

हमारे यहां बाढ़ और कटाव से बहुत दुख होता है। जब बाढ़ और कटाव की बात हमारे सामने आती है तो उसके संबंध में हमें कोई भी स्कीम नहीं मिलती। करोड़ों रुपये की स्कीमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयीं मगर पूर्वी जिलों के घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक, छोटी गंडक के लिये कोई स्कीम नहीं मिली। हमारा सुझाव है और जैसा माननीय शिब्बन लाल सक्सेना ने केंद्र में भी सुझाव दे रखा है कि घाघरा, राप्ती और गंडक के लिये २०० करोड़ रुपया की नदी घाटी योजना गवर्नमेंट बनाये जिसके अन्दर वहां काम हो और उस अंचल के लोगों को काम में लगाया जा सके।

श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और इससे ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। हमारे यहां जितनी स्कीमें चालू हों, हमारा यह सुझाव है कि हमारे यहां की जलकुंडी योजना पर भी माननीय सिंचाई मंत्री जी गौर करें और हमारे यहां की कृषि के उत्पादन को बढ़ावें और कुछ ऐसा प्रबन्ध कर दें जिससे पूर्वी जिलों की हालत सुधर जाय। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करें जिनके ऊपर विद्यार्थी रिसर्च कर सकें जिससे वहां के लोगों को काफी मदद मिल सके और वहां की समस्या हल हो सके।

[श्री उग्रसेन]

मालगुजारी की माफी की बात की जाती है, जो मालगुजारी मुर्गा बना कर वसूल की जाती है, डंडे के बल पर वसूल की जाती है। अब लोगों के पास जमीन भी नहीं बची "Every thing pawnable has been pawned", घर के सारे सामान नीलाम कर दिये गये हैं और उनको हफ्ते-हफ्ते तक खाना भी नहीं मिलता, उनकी मालगुजारी जरूर वापस होनी चाहिये। अगर इस तरह की एक करोड़ दो, करोड़ या जितनी भी मालगुजारी वसूल हुई हो उसे वापस कीजिये। खाद्य कमीशन के साथ-साथ मैं "प्राइस कमीशन" की बात भी उपभोक्ताओं की लूट कहना चाहता हूं। आखिर यह २०० करोड़ रुपये की जो कीमतों में लूट केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा हुई है, वह किसकी लूट हुई है, जो लोगों को मुर्गा बना बना कर, जो लोगों को पटक-पटक कर रुपया वसूल किया गया है, वह किसकी लूट हुई है? हमारी लूट हुई है। हमारी वहां लूट हुई है, उसका समाधान आप खाद्य कमीशन बना कर वहां एक प्राइस कमीशन बना कर कीजिये। आप वहां के लिये कोई ठोस कदम उठायें, यह टेस्ट वर्क्स का टुकड़ा न फेंकिये।

मुझे अन्त में आपके द्वारा एक बार फिर वही अर्ज करना है कि आप पूर्वी जिलों में इंडस्ट्रीज खोलिये, खाद्य कमीशन स्थापित कीजिये, प्राइस कमीशन बनाइये। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऐसे विषयों के अनुसंधान की शाखा खोलिये कि जिससे वहां के लोगों की समस्यायें हल हो सकें, २०० करोड़ की नदी घाटी योजना वहां चलाइये, जलकुंडी योजना को चलाइये, नारायणी नदी का बांध बनाइये, नेपाल में ८ मील और बढ़ाइये, अगर वह बांध यहां बंध जाय तो गोरखपुर-देवरिया में जो हानि पानी से होती है वह न होगी बस इतना ही मुझे इस थोड़े समय में कहना था।

आचार्य दीपांकर--आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पूर्वी यू०पी० के सवाल पर और वहां की अन्न की समस्या को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरीके से पूर्व और पश्चिम का सवाल लेकर इस प्रस्ताव के समर्थकों ने अपनी बात उपस्थित की है और जिस प्रकार इस सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी के पत्रों की बात कही गई है मैं समझता हूं कि यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। यदि इस तरह से हम पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के सवाल को लेकर मसलों को हल करने की बात सोचते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप में उन मसलों का विरोध ही करते हैं कि जो मसले वाकई में हैं। किस तरह से सामन्तवादी व्यवस्था ने पूर्व के किसानों की रीढ़ को तोड़ा था इसे हमें देखना है और अब अपनी सामन्तवादी व्यवस्था के चले जाने पर भी उसके गंभीर प्रभाव बाकी हैं यह हमें देखना होगा। पूर्व का यह मसला दो चार वर्ष का उलझा हुआ नहीं है, वहां यह तबाही सैकड़ों वर्षों से कभी बाढ़ के रूप में कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी अनावृष्टि के रूप में, कभी अन्न संकट के रूप में और कभी सूखे के रूप में आती रही है। वहां की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है और वह अब ठोस शक्ल अख्तयार करके पिछले कुछ सालों से भयंकर रूप में हमारे सामने आती जा रही है और कभी स्थायी तौर पर यह चीज नहीं सुलझाई गई है और जो पेचीदा हालत हो गई है अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वह लगातार और भी भयंकर रूप में हमारे सामने आती रहेगी। यह समस्या हमारे यहां केवल पूर्व की ही नहीं है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की हालत भी कम गम्भीर नहीं है। देखें तो वहां भी परिस्थिति दिन पर दिन भयंकर होती जाती है। कुमायूं के जिलों की हालत बहुत रोमांचकारी है, वहां भी गरीबी और भूख से लोग परेशान हैं। वहां के लिये भी हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। आज हमारी तरफ से अगर यह सवाल उठाया जाय कि सरकारी आंकड़े गलत हैं और सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जाय कि हम राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ऐसे सवाल उठाते हैं तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं समझता हूं कि ऐसी बात

नहीं है कि राजनीतिक उद्देश्य से इस तरह की गम्भीर बातें कही जाती हैं। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज को स्वीकार कर ले और इन बातों की जांच करा ले कि इन क्षेत्रों की वास्तविक हालत क्या है? और माननीय गेंदासिंह जी ने जो आवाज उठायी है उसे स्वीकार कर के देखा जाय कि किस तरह से नये सिरे से वहां की अर्थ व्यवस्था में तब्दीली की जाय। वहां की स्थिति की जांच कर के वहां के लोगों का कष्ट निवारण सरकार करे। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जब तक सरकार वहां कोई जांच कराये और उसकी रिपोर्ट के अनुसार कोई ठोस कदम उठाये उस वक्त तक के लिये कोई इन्टेरिम रिलीफ सरकार वहां के लोगों को दे ताकि उनकी गम्भीर स्थिति और भी न बिगड़ने पावे। मैं फिर आग्रह करूंगा कि इस मसले को अब अधिक टालना या इसके साथ खिलवाड़ करना उचितन होगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री नारायणदत्त जी, आप बोल लें क्योंकि आप ने भी कामरोको प्रस्ताव इस विषय पर दिया था, इसलिये मैं विशेष तौर पर आपको ५ मिनट का समय देता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज हम सबकी दृष्टि और प्रदेश के कोटि-कोटि व्यक्तियों की दृष्टि रायल होटल में अनशन कर रहे एक दृढ़प्रतिज्ञ वज्र पुरुष की ओर लगी हुई हैं। यह अनशन क्यों और कैसे? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यह प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर अभी बहुत से माननीय मित्रों ने और समाचार पत्रों में प्रकाशित पत्र-व्यवहार ने भी दे दिया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि की ओर अवश्य ही ध्यान देना होगा। मेरा तो विचार है कि पिछले पांच और छः वर्षों में इस माननीय सदन म निरन्तर वादविवाद का इतिहास इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि जो अनशन का आधार है वह खोखला नहीं है, वह तथ्यहीन नहीं है बल्कि उसके पीछे इस प्रदेश के लक्ष-लक्ष, कोटि-कोटि प्राणों की मनोभावनायें विद्यमान हैं और उनका वास्तविक नरकंकाल विद्यमान है। आज हम मांग क्या कर रहे हैं? साथी गेंदासिंह जी मांग क्या कर रहे हैं? क्या वह मांगें असम्भव हैं? नहीं, वह कहते हैं कि एक कमीशन की नियुक्ति हो। माननीय मुख्य मन्त्री जी समझते हैं कि एक कमीशन ऐसा हो जो कि पूर्वी जिलों की और पर्वतीय क्षेत्रों की जांच करे कि वहां पर भुखमरी है या नहीं। नहीं, यह मांग नहीं है। मांग तो यह है कि जो राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, चाहे वह पूर्वी क्षेत्र हों, चाहे वह और अन्य कोई क्षेत्र हों, वह अभाव जहां है उन अभावों का स्थायी रूप से हल निकालने के लिये कौन से तरीके काम में लाये जायं, किस तरह की योजनायें बनायी जायं, इसके लिये वह कमीशन एक लांग टर्म स्कीम की सिफारिश करे। इसलिये कमीशन बनाया जाय। यह सरकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जांच के लिये एक मूथम इन्क्वायरी कमेटी बना सकती है। यह सरकार लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की इन्क्वायरी करने के लिये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना सकती है। यह सरकार एक बिजलीघर की जांच के लिये, पीलीभीत बिजलीघर की जांच के लिए एक इन्क्वायरी कमेटी बना सकती है तो क्या कारण है कि इस प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों की जांच के लिये वह कमटी नियुक्त नहीं कर सकती?

फिर दूसरी मांग क्या है कि एक सब दलों क विधायकों की समिति बनायी जाय जो तात्कालिक रिलीफ के सम्बन्ध में सिफारिश करे। यह क्या कोई असम्भव बात है? क्या इसमें कोई वित्तीय परिस्थितियां हैं, क्या कोई फाइनेंशल आब्लिगेशंस हैं? केवल एक कमेटी बनाने की बात है जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी सभी सदस्य हों और दूसरी पार्टियों के भी सदस्य हों, वह तात्कालिक रिलीफ की सिफारिश करें। तो यह सर्वदलीय विधायक कमेटी बनाने में क्या एतराज है? प्रत्येक अदालती पंचायत क्षेत्र में एक गेहूं की दूकान, फूडग्रेन्स की दूकान खोलने का प्रश्न है। माननीय अन्न मन्त्री ने जो आश्वासन दिया है उसी को वास्तविक रूप देने का प्रयत्न है। क्या यह असम्भव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया?

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसी तरह से लगान का प्रश्न है। ७३ लाख रुपया बचा है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि १ करोड़ ४६ लाख हम माफ कर चुके। केवल ७३ लाख रुपये का सवाल है। उसमें से भी नियमों और रेगुलेशंस के अनुसार निश्चय किया जा सकता है कि कितना और अधिक माफ किया जाय। तो इस प्रकार की साधारण मांगें हैं जो कि असम्भव नहीं मानी जा सकतीं। उन मांगों का भी लगातार छः महीनों से ठुकराया जाना किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता।

अनशन की बाबत माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यह अनुचित है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने, पूज्य बापू ने केन्द्रीय सरकार के एक अन्यायपूर्ण आदेश के विरोध में एक अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल की थी जबकि केन्द्रीय सरकार ने ५५ करोड़ रुपया अपने वादे को तोड़ते हुये पकिस्तान को नहीं दिया था और महात्मा जी के अनशन के ऊपर मजबूर हो कर तब केन्द्रीय सरकार ने ५५ करोड़ रुपया दिया। यह पिछला इतिहास सन् ४८ का है। तो आज यह प्रश्न कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं है। यह अनैतिकता का भी नहीं है कि इसमें कोई अनैतिकता की बात हो। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की तरह के ही एक मुख्य मन्त्री बम्बई के अभी थे। उन्हीं की तरह के नैतिक विचारों वाले मुख्य मन्त्री मोरार जी देसाई थे। वह भी बड़े भारी नैतिक व्यक्ति थे। उन्हें भी एक भूख हड़ताल साल भर पहले करनी पड़ी। तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के प्रश्न से परे रह कर इस प्रश्न को देखा जाय, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाय और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और यह सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेगी, मुझे भय लगता है कि कहीं सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसे बना कर प्रदेश के कोटि-कोटि मानवों के जीवन के प्रश्न को ठुकरा न दे। इसलिये मैं नम्र स्वर में लेकिन दृढ़ संकल्प होकर प्रार्थना करना चाहता हूं कि गेंदा सिंह जी को इस प्रकार बुभुक्षित न होने दिया जाय---वैसे तो सरकारों ने कई बार सुकरात को विष प्याला पीने के लिए मजबूर किया। सच्ची प्रेरणा ने मीराबाई को जहर का प्याला पीने के लिये मजबूर किया---इसी तरह सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न इस न मान कर गेंदा सिंह जी को आत्मोत्सर्ग करने को विवश न करेगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्लोजर मुझे मूव करना है। इस-लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद इतना समय बचना चाहिये जिससे राय ली जा सके।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला चुका हूं। क्लोजर आप बाद में मूव कीजियेगा।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---आज यह सदन जिस प्रश्न पर विचार कर रहा है वह बहुत महत्व का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज का प्रश्न भी इसी प्रकार का है। ऐसे प्रश्नों का सुलझाव भावना के आधार पर नहीं हो सकता। 'मुझको ऐसा लगता है', 'मेरी ऐसी राय है', 'मुझको ऐसा प्रतीत होता है' यह शब्द बड़े सुन्दर होंगे, कोई भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अपनी-अपनी भावना प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है और एक व्यक्ति की भावना दूसरे व्यक्ति की नहीं होती। भावनाओं के आधार पर ऐसे सवाल सुलझाये नहीं जा सकते। उनका सुलझाव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "फैक्ट्स एंड फीगर्स" के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन यहां मुसीबत यह है कि हम फीगर्स का नाम नहीं ले सकते, आंकड़ों का नाम हम ले नहीं सकते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आंकड़ों को संग्रह करने का एक ही साधन इस वक्त तमाम देश के सामने है। प्रायः एक ही साधन है और वह साधन है सरकारी यन्त्र, सरकारी मशीनरी। संभव है कहीं कुछ थोड़े से कामों के लिये कुछ और लोग भी आंकड़ों का संग्रह करते हों और अपनी जगह पर उन आंकड़ों से काम लिया जा सकता है, लेकिन साधारणतया आंकड़ों का संग्रह सरकार की ओर से होता है। बड़े-बड़े काम शासन के उन्हीं आंकड़ों के आधार पर होते हैं और जब यह कह दिया जाय कि हम सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते तो फिर बड़ी दिक्कत का सामना हो जाता है। दूसरे आंकड़े हैं नहीं और जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे अविश्वसनीय हैं। मुझे जरा आश्चर्य हुआ अपने मित्र श्री पालीवाल जी को सुन कर। उन्होंने कहा कि आंकड़े बहुत अविश्वसनीय हैं क्योंकि उनका संग्रह करता है लेखपाल और लेखपाल जरूर झूठ बोलता होगा, गलत संग्रह करता होगा, लापरवाही से काम करता होगा। इसलिये आंकड़े अविश्वसनीय हैं। यहां दूसरा कोई यह बात कहता तो यह कहा जा सकता था कि जानकारी के बिना ऐसी बात कही गई, लेकिन पालीवाल जी को वैधानिक कामों का बहुत पुराना अनुभव है और वे हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनको जरूर मालूम होगा कि आंकड़ों का संग्रह कैसे होता है? संभव है वह भूल गये हों, लेकिन मैं उनको याद दिलाता हूं कि जहां कुछ आंकड़ों का संग्रह लेखपाल के जरिये से होता है, वहां उनके जमाने से ही गवर्नमेंट के पास एक विभाग चला आता है जिसको इकानामिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स विभाग कहते हैं। वह विभाग लेखपालों से बिलकुल काम नहीं लेता। उस विभाग की तरफ से अपने आदमी हैं जिनको इकानामिक इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर्स कहा करते हैं और जो ग्रेजुएट होते हैं। तनख्वाह तो लेखपाल के मुकाबले में बहुत अच्छी पाते हैं। बिलकुल उनके आंकड़ों का लेखपाल के आंकड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर हमारी तरफ से जो बुलेटिन निकलता है उसको वे देखें तो जरूर कुछ आंकड़े ऐसे होते होंगे जो लेखपाल के भेजे हुए होते होंगे, लेकिन बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जो इन विभाग के अधिकारियों के जमा किये हुए होते हैं। तो जब तक वे यह न कह दें कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई आंकड़ों का संग्रह हो उसे झूठा मान लेंगे अन्यथा जिस मशीनरी से पालीवाल जी ने स्वयं वित्त मंत्री की हैसियत से काम लिया है कृपा कर उसे झूठा न कहें तो अच्छा होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मन्त्री महोदय, थोड़ी से आज्ञा द तो एक सवाल पूछ लूं। सवाल इतना ही है कि इस बात पर विवाद हो रहा है कि कितना अन्न का अभाव था, कितना नुक्सान हुआ, इसके आंकड़े अर्थ और संख्या विभाग इकट्ठे करता है या लेखपाल करता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल यही सवाल नहीं है। अनेक सवाल हैं। किसी एक विभाग की बात हो, किसी एक आंकड़े की बात हो तो कही जाय। मुश्किल तो बड़ी भारी यह है कि किसी आंकड़े को तो मानें और किसी को न मानें। मिसाल के लिए, माननीय गेंदासिंह जी ने जो दूसरा पत्र मेरे नाम लिखा, जिसका कि लम्बा जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, उसमें लिखा हुआ है कि यह मैं नहीं कहता कि सरकारी आंकड़े सभी गलत होते हैं, मसलन केन सेस के मामले में मैंने मान लिया कि वह ठीक है। यह बड़ी मुश्किल की बात है कि जो आप के पक्ष का समर्थन करें उनका आप विश्वास कर लें और जो न करें उनको आप गलत कह दें। एक मिसाल याद आती है। किसी ने कहा था, मिसाल दी थी और स्टैटिस्टिक्स की तुलना एक लैम्प पोस्ट से की थी। लैम्प पोस्ट से दो तरह के काम लिये जाते हैं। एक तो साधारण मनुष्य उनसे इल्युमिनेशन का काम लेता है और एक शराबी जब नशे में लड़खड़ाता है तो उनसे सपोर्ट का काम लेता है, उससे टेक लेने के लिए खड़ा हो जाता है। अब उससे टेकने का वह काम लेना चाहें कि जहां सहारा मिल जाय वहां तो विश्वास करेंगे और जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं करेंगे, तो उनको नहीं मानेंगे, यह किसी को भी शोभा नहीं देता।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह शिकायत हमारी बाबत की जाती है कि हमने, जो वस्तुस्थिति है, उसको छुपाने की कोशिश की, जनता से और केन्द्रीय सरकार से। आखिर क्यों? इसमें क्या हमारा फायदा होता है? एक तो बात यह है कि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों, उनमें काफी आदमी ऐसे हैं जो पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं। मैं स्वयं एक पूर्वी जिले का रहने वाला हूं। मेरा दावा है कि चाहे गेंदा सिंह जी हों या अन्य कोई पूर्वी जिले के रहने वाले हों उनसे कम ज्ञान हमको पूर्वी जिलों का नहीं है। जहां तक ज्ञान और सहानुभूति की बात है तो मैं एक मिनट के लिये भी नहीं मानता कि किसी पूर्वी जिले के रहने वालों को मुझसे ज्यादा वस्तुस्थिति का ज्ञान और वहां के रहने वालों से अधिक सहानुभूति हो सकती है। लेकिन ज्ञान और सहानुभूति के माने यह नहीं हैं कि वस्तुस्थिति से आंखें बन्द कर लें और ऐसी बातकहें जो अन्याय की हो। फिर जनता और सरकार से छुपाने की बात और केन्द्रिय सरकार से छुपाने की बात क्या होगी? अगर कहीं दैवी दुर्विपाक से कोई मुसीबत पड़ गयी, अगर हजारों आदमी मरेंगे, लाखों बे घरबार होंगे तो हम उसको छुपा नहीं सकते और सिवाय इसके कि हमारी बदनामी हो, अपकीर्ति हो, और कुछ नहीं हो सकता। तो सेल्फ इंटरेस्ट में भी हमारे लिए आवश्यक होता है कि जनता के सामने सारी स्थिति रखें और केन्द्रीय सरकार के सामने रखें ताकि ऐसी नौबत न आवे जिससे दुष्कीर्ति का सामना करना पड़े।

अब एक दोष हम पर लगाया गया माननीय गेंदा सिंह जी के पत्र में—मैं उसका जिक्र न करता, लेकिन आज चूंकि वह दोहराया गया, इसलिए कर रहा हूं। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि यह सरकार प्रो-कैपिटलिस्ट है, पूंजीशाही की पक्षपाती है। यह बड़ी उम्दा गालीहै, बड़ी अच्छी गाली है। जिसको देनी हो किसी की बाबात तो यह कह दिया जाय कि यह कैपिटलिस्ट है, यह कैपिटलिस्ट्स का साथ देता है। बात ऐसी है कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर हैं। हमारे देश में ऐसे व्यापारी हैं, व्यापारी कम्पनियां हैं जो रोजगार करती हैं और गवर्नमेंट उनकी रक्षा करती है। अगर इसके माने कैपिटलिस्ट्स के हैं तो कैपिटिलिस्ट्स हैं। इस गाली से यह बात कही ही गयी कि ये थोड़े से ६० या ६५ कारखाने वाले हैं, इनको गवर्नमेंट ने ५ करोड़ रुपया माफ कर दिया या उनसे वसूल नहीं किया। गलत बात है, गलत शिकायत है। जो लोग इस किस्म की शिकायत करते हैं पब्लिकली, उनको वस्तुस्थिति जानने चाहिये। इन कारखानें वालों के ऊपर ५,४५ लाख रुपया केन सेस का बकाया था। हमने वसूल करने की कोशिश की। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस कानून के मातहत हम से रुपया वसूल गवर्नमेंट करना चाहती है वह अल्ट्रा वाइरिस आफ दि कांस्टीट्यूशन है। जो इस देश का संविधान हैं, उसके अनुसार यह कानून कुछ गलत है इस लिये सरकार वसूल नहीं कर सकती है। ऐसी हालत में मुकद्दमा चाहे साल भर चले, दो साल चले या दस साल चले, हमारा कोई दोष नहीं है और वसूल करने का हमें कोई अख्तियार नहीं है। २९ अक्तूबर, १९५६ को हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार वसूल कर सकती है।

अब हमारे सामने एक सवाल था कि मिल वालों ने कहा कि रुपया तो हम देना होगा। लेकिन एक साथ न मांगें बल्कि किस्तों में मांगें। उस समय क्रशिंग सीजन चल रहा था, इसलिये अगले हम उनसे एक साथ रुपया वसूल करते तो जिन काश्तकारों से गन्ना लिया जा रहा था, उनको कीमतें मिलने में दिक्कत होती और जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको मजदूरी मिलने में दिक्कत होती। इस लिये गन्ने वालों के दाम मिलते रहें, मजदूरों की मजदूरी मिलती रहे और शक्कर का रोजगार भी चलता रहे, हमने उनकी किस्तों की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और ३१ जुलाई तक ५ करोड़ ४५ लाख रुपये में से ४ करोड़ १९ लाख रुपया वसूल हो चुका है और बाकी रुपया भी जल्दी ही वसूल होने वाला है। इसलिये यह आक्षेप करना कि पांच करोड़ रुपया सरकार ने पूंजीपतियों के ऊपर माफ कर दिया है, गलत शिकायत है।

अब काश्तकारों के लगान की छूट की बात रही। श्री गेंदासिंह जी ने लिखा है कि मैंने नैनीताल में आप से रबी की मालगुजारी की बसूली को स्थगित करने के लिये कहा था, आपने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। आगे आप ने लिखा है कि मालगुजारी वसूल करने का मैं सरकार का अधिकार नहीं मानता। फिर भी सरकार के ऊपर दया कर के उन्होंने कहा था कि मालगुजारी को स्थगित कर दें। लेकिन अब मांग हो गई है कि सारी की सारी मालगुजारी की छूट दे दी जाय और जिनसे वसूल हो गई है वह उनको वापस कर दी जाय। जून के महीने से अगस्त तक यह तरक्की हुई मांगों में। अब आप देखिये कि गवर्नमेंट किस तरह से रिआयत करती है। गोरखपुर और वाराणसी, इन दो कमिश्नरियों में करीब ३६ हजार गांव हैं। उनमें जहां तक खरीफ की मालगुजारी की बात है २१,२०० गावों में रिआयत दी गयी। इसके बाद रबी की नौबत आई। २६,५०० गांवों में रिआयत दी गई। इसका अच्छा खासा नम्बर हुआ जो ८० प्रतिशत आता है और कितने आदमियों को रिआयत दी गई इसका अन्दाजा करें जो आंकड़े मैंने दिये थे। मैंने लिखा था कि मालगुजारी की वसूली २ करोड़ १९ लाख रुपये होनी चाहिये थी। इसमें ८३ लाख रुपया हमने छोड़ दिया ६० लाख रुपया निलम्बित कर दिया। वह भी छोड़ने के बराबर ही है, न जाने कब वसूल हो। इस प्रकार से १ करोड़ ८६ लाख रुपया चला गया और ३३ लाख रुपया बाकी रहा। इसका मतलब यह है कि ६७ प्रतिशत रुपया छोड़ा जा चुका है। अब यह कहना कि जो कुछ बचा है उसमें से एक-एक पैसा भी वसूल न करें, उसके सम्बन्ध में मैं हर शख्स से कहता हूं कि इसके न्याय और अन्याय पर विचार किया जाय।

हम पूर्वी जिले के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि हम खामख्वाह अपने हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं। आखिर पूर्वी जिलों में ऐसे लोग भी तो रहते हैं जो चार सौ रुपये पाते हैं। पूर्वी जिलों में एम० एल० ए० रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, डिप्टी मिनिस्टर रहते हैं और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज आदि भी तो रहते हैं जो दूसरों के बराबर तनख्वाह पाते हैं। दूसरे जिलों के आदमी कहें, मध्य जिलों के आदमी कहें कि जो अलाउन्स हम पाते हैं वही पूर्वी जिले वाले भी पाते हैं और जो तनख्वाह हम पाते हैं वही वह पाते हैं, तो फिर क्या वजह है कि हम से तो वसूल किया जाय और उनसे वसूल न किया जाय? पूर्वी जिलों में बड़े-बड़े सरकारी नौकर हैं जिनका देहातों से ताल्लुक है, उनको क्यों छोड़ दिया जाय? कोई बात होती है।

अभी देवरिया की मिसाल आप लें जो माननीय गेंदासिंह जी का जिला है। वहाँ पर इस साल ३ करोड़ ८७ लाख रुपये का गन्ना मिलों ने खरीदा है। ३ करोड़ ८७ लाख रुपया काश्तकारों के पास गन्ने की कीमत के रूप में आया है। आखिर किसी के पास तो गया, किसी की परचेजिंग कैपसिटी तो बढ़ी। इसके अलावा मजदूरी में ३४,१३,३४७ बटे हैं। आखिर वे किसी की जेब में तो गये। आखिर दूसरे जिलों में भी तो मिलें हैं, मेरठ में हैं, मुजफ्फर नगर में है, सीतापुर में है, वहां का काश्तकार कह सकता है है कि हमने भी गन्ना बोया और इन्होंने भी गन्ना बोया, कीमत दोनों ने एक सी पायी, जितना पैसा मुझ को मिला उनको मिला, लेकिन मुझसे लगान वसूल करते हैं और इनको आप छोड़ देते हैं, आखिर कोई वजह? मजदूर चाहे पश्चिम में काम करता हो चाहे पूर्व में काम करता हो, दोनों ने पैसा पाया। तो क्यों छोड़ दिया जाय? पूर्व, पश्चिम की कोई बहस नहीं। उत्तर प्रदेश के आदमी जो भी हों, भले आदमी हैं। अगर किसी को मुसीबत में देखेंगे तो जरूर उसकी मदद करेंगे। लेकिन खामख्वाह एक झूठी मुसीबत पैदा करना, यह क्या बात है? जहां मुसीबत नहीं है, जो आदमी देने लायक है उसको जलील करना, दुनिया के सामने उसको भिखमंगा बनाना, इससे बढ़ कर और क्या बात हो सकती है?

अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र श्री यादवेन्द्रदत्त ने कहा कि माल मंत्री जी ने कहा था कि हम वहां के लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं। उनका यह कहना था कि हिम्मत बढ़ाना तो अच्छा है लेकिन लोगों की जान की रक्षा भी करनी चाहिये। उन्हीं के जिले से एक दूसरे राजा

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

साहब आये हैं उनको अगर खैरात के तौर पर कहें कि आप को एक पैसा भी देना नहीं होगा तो क्या अच्छी बात होगी? इसलिये मैं बार-बार कहता हूं कि यह कह देना कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है कि सब को माफ़ कर दिया जाय। हमने १०० में से ६७ को माफ़ कर दिया है। जो भी गरीब हो हम उसको मदद दे सकते हैं, उस को तकावी दे सकते हैं। लेकिन महज इस वास्ते कि कोई आदमी यदि सौभाग्य से बनारस, गोरखपुर कमिश्नरियों में पैदा हुआ है, उसको हर तरह की सुविधा दी जाय, पैसा लिया नहीं जाय, उसको तकलीफ हो तो रुपये पैसे से मदद की जाय; और वह अभागा आदमी जो पश्चिमी जिलों या किसी बीच के जिले में पैदा हुआ हो वह रुपया भी दे और इनको बैठा कर खिलाये भी, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी मांग है जिसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता।

न जाने कहां से माननीय गेंदासिंह जी को कुछ आंकड़े मिल गये जिनके आधार पर वे बार-बार कहते रहे हैं और यहां भी बात कही गयी कि गवर्नमेंट ने न जाने क्यों केंद्रीय सरकार से कह दिया कि हमको गल्ले की जरूरत ही नहीं है और एक बार कह दिया कि हमको तो कुल जमा १५ हजार टन चाहिये। कब कहा, इसका क्या प्रमाण है? बहरहाल जो सूरत है वह यह कि मई के महीने में १० हजार टन आया, जून में १५ हजार टन आया, शायद जून के आंकड़े किसी वजह से लोगों के दिमाग में बैठ गये। जुलाई के महीने में २७ हजार टन गल्ला आया, अगस्त के महीने में ३० हजार टन गल्ला आया और सितम्बर के लिये हमको आशा है कि ४० हजार टन आयेगा। इसलिये यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमने कह दिया कि पूर्वी जिलों के लिये अन्न की जरूरत नहीं है। हम बराबर अन्न मांगते रहे हैं और हमको इस बात की खुशी है कि केंद्रीय सरकार का हमको इस मामले में सहयोग है? यह तो बाहर से आता है। इसके अलावा ६० हजार टन मोटा अनाज यू०पी० गवर्नमेंट ने अपने यहां से इकट्ठा कर रखा है। वह इस वक्त इन पूर्वी जिलों में काम में आ रहा है।

१९५२ का बहुत जिक्र हुआ कि उस समय बड़ी उदारता से काम हुआ था, तब बड़ी मुसीबत थी, उससे कमि मुसीबत इस वक्त नहीं है लेकिन इस वक्त कुछ कम खर्चा नहीं हो रहा है। सन् ५२ में जो मुसीबत थी और इस वक्त जो मुसीबत है उसको देखें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि आप इस अन्दाज से भाषण करें कि ५ मिनट पहले समाप्त हो जाय जिससे झारखंडेराय जी को भी जवाब देने का मौका मिले और उसके बाद अगर वे स्वयं फिर बोलना चाहें तो आपको भी बोलने का मौका मिले।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् ५२ में गेहूं का भाव १९ रुपये साढ़े ५ आने मन था और आज १५ रुपये १० आने मन है। चने का भाव ५२ में १५ रुपये १५ आने मन था और आज १२ रुपये ७ आने मन है। जौ का भाव ५२ में १३ रुपये ३ आने मन था और आज १० रुपये ७ आने ६ पाई मन है। इससे अन्दाज हो सकता है कि ५२ में क्या भाव थे और आज क्या है। फिर भी इन बातों को ध्यान में रखते हुये जहां ५२ में ३५ लाख रुपये की छूट दी गई थी वहां इस वर्ष ८३ लाख रुपये की छूट हो चुकी और निलम्बित हुई सो अलग। जहां ५२ में १३ लाख १० मन गल्ला बांटा गया था वहां अब तक ४० लाख मन गल्ला बांटा जा चुका है। उस वक्त से आज इतना फर्क है। यह जरूर है कि उस वक्त दूकानों के नम्बर ज्यादा थे, उस वक्त १७ सौ दूकानें थीं लेकिन आज १३ सौ दूकानें हैं लेकिन यह बात भी सही है कि उन १७ सौ दूकानों से जहां उस वक्त १३ लाख १० हजार मन गल्ला बांटा गया था वहीं आज इन १३ सौ दूकानों से ही इस वक्त तक ४० लाख मन गल्ला बट चुका है।

स्टारवेशन डेथ्स का जिक्र बारबार आता है। बड़ी मुश्किल इसमें है आंकड़ों से काम चलता नहीं। अब अगर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि अपनी आंखों से उन्होंने मरते हुये और भूख से मरते हुये देखा है तो कैसे गलत है। यद्यपि उनके जो वर्णन कभी कभी आते हैं उनको पढ़कर यह लगता है कि इस सदन के सदस्य नहीं बल्कि वे लोग जो खबर देते हैं वे शायद इस बात की ताक में बैठे रहते हैं कि अगर कोई आदमी मरता है तो वे सोचते हैं कि यह जल्दी से मर जाय ताकि यह दिखा सकें कि गवर्नमेंट की वजह से भुखमरी से वह मर गया। बहरहाल, हम ईश्वर नहीं हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, सवा ६ करोड़ लोग इसमें रहते हैं। सब जगह पूर्वी जिले हों या पश्चिमी जिले, जहां खूब खूराक पैदा होती है कोई आदमी वहां भूख से न मरा हो यह हम नहीं कह सकते लेकिन इतना दावा हमारा अवश्य है कि जहांतक मनुष्य के लिये संभव है हम लोगों को भूख से मरने नहीं देंगे। और इतना सही है कि जितनी भी रिपोर्टें अब तक आयी हैं वे बिलकुल गलत हैं।

बीमारी जो हैजा वगैरह फैलती हैं वह भी इसी की वजह से हुई है। अब कोई डाक्टरी की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन डाक्टर न होते हुये भी एक साधारण गृहस्थ होने के नाते कह सकता हूं कि खाना आदमी को अच्छा न मिले या कम मिले तो उसमें ताकत कम होती जायगी और रेजिस्टेंस की ताकत कम होती जायगी लेकिन यह हम सब लोगों के लिये संतोष की बात होगी कि पूर्वी जिलों में खास तौर से हैजा कम हुआ। मैं हैजे की फिगर्स पढ़कर बताता हूं कि इस साल कालरा और गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस की क्या संख्या है:—गोरखपुर में ११५ आदमी मरे, यह आंकड़े सरकारी हैं जैसे भी हैं गलत या सही लेकिन लेखपाल के नहीं हैं, देवरिया में ९५ आदमी मरे, बस्ती में ६०, आजमगढ़ में ५१०, वाराणसी में ४२६, मिर्जापुर में ३९३, जौनपुर में १,१०३, गाजीपुर में ७०८, बलिया में १७९, ये ९ जिले हुये लेकिन अब देखिये कि इलाहाबाद जो पूर्वी जिले में नहीं है वहां ५१२, बदायूं जो हरगिज पूर्वी जिलों में नहीं है वहां ६६३ आदमी मरे। लखनऊ को छोड़ दीजिये, उन्नाव में ३७१ आदमी मरे, फर्रुखाबाद में १३८ आदमी मरे, प्रतापगढ़ में ४९९ आदमी मरे, सुल्तानपुर में ४६४ आदमी मरे। तो जो सबसे गये गुजरे जिले गोरखपुर और देवरिया के हैं उनसे कहीं ज्यादा मृत्यु और जगह हुई। तो इस दृष्टि से भी नहीं कहा जा सकता कि पूर्वी जिले हैं जहां आदमी भूख से मरे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई डेलीबरेटली या जानबूझकर बदनाम करता है, लेकिन यह जो आदमी मरे हैं उनके लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह खयाल गलत है कि यह सब आदमी इस वास्ते मरे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सब मौतें हुई हैं। अब केवल मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं जिनके संबंध में श्री गेंदासिंह जी ने २–३ सुझाव दिये थे।

एक बात उन्होंने यह कही थी कि मालगुजारी सब की माफ कर दी जाय और जिनसे वसूल हो चुकी है उसको वापस कर दी जाय। मैं समझता हूं इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता और यह संभव भी नहीं है।

दूसरी बात यह थी कि जितने दल हैं उन दलों के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय जो तात्कालिक सहायता का स्वरूप और आवश्यकताओं का निर्णय करे, यह बात हो सकती है और इसको मानने में दिक्कत नहीं थी। अभी कुछ सदस्यों ने इसका जिक्र किया कि सरकार की तरफ से जो सहायता की जाती है वह पूरी तरह से सबको नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पहुंचती। ऐसा होना संभव हो सकता है कि इस तरह से सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय। इसमें किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि किसी दल से इसका संबंध नहीं होना चाहिये और न किसी राजनीतिक दल को इसे राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिये। जो ऐसा करते हैं वह पाप करते हैं और उन लोगों की हत्या करते हैं। हम इस बात को कहते हैं कि इसके बारे में हम विचार करने और सुझाव भी सुनने के लिये तैयार हैं लेकिन एक इसमें दिक्कत है। इसमें केवल इतना नहीं है कि उसकी आवश्यकता का स्वरूप क्या हो। उसके लिये सोचा जाय। उसमें शब्द 'निर्णय करे' आया है। निर्णय का मतलब यह है कि जो फैसला वह कमेटी करे उसको गवर्नमेंट स्वीकार करे। गवर्नमेंट के लिये यह मुश्किल है कि वह अपनी जिम्मेदारी को किसी दूसरे के ऊपर डाले। सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हमारा काम चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम खुद चलाने के लिये तैयार हैं।

तीसरी चीज कमीशन के बारे में कही गयी। उसका जरूर मैंने विरोध किया। मैं आज भी समझता हूं कि कमीशन अनावश्यक है। जो मुख्य बातें हैं उनको हम जानते हैं और सभी सदस्य जानते हैं। इसी जगह पर कई सुझाव पेश हुये गोलकुन्डा या और जिसका भी जिक्र आया उन सब कामों को सारे सदस्य जानते हैं और उनको मालूम है। नारायणदत्त जी ने अभाव ग्रस्त एरिया में पहाड़ों को भी शामिल कर दिया है लेकिन गेंदासिंह जी ने उनके संबंध में नहीं कहा है। इसके अन्त में यह दिया हुआ है कि जो 'गोरखपुर और देवरिया की स्थिति के बारे में जानकारी करके ऐसी योजना प्रस्तुत करे जिससे लोग राहत पा सकें' इसलिये जो भी हमारे यहां काम चल रहे हैं या करने हैं वह सब मालूम हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि कमीशन की जरूरत नहीं है। उससे सिवाय इसके कि एक फाल्स होप पैदा हो जाय और हम उन कामों को जो करने हैं टालते जायं और कोई परिणाम नहीं हो सकता है। बहुत से मसलों पर हम गौर कर रहे हैं। शार्ट टर्म या लांग टर्म की बात हम सोच रहे हैं और उसके लिये हम खर्च कर सकते हैं या नहीं इस पर हम मिलकर बैठकर हमेशा विचार कर सकते हैं और हमेशा इसको करने के लिये तैयार हैं। इसलिये यह अनशन, किसी फिलासिफी की बात में नहीं जा रहा हूं, किन्तु मैं समझता हूं गलत है और उसके लिये कोई जगह नहीं है। उसके बाद सारे रास्ते बातचीत करने के बन्द हो जाते हैं।

श्री झारखंडेराय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हम लोगों को कहना था हम लोगों ने आपकी सेवा में और इस सदन की सेवा में निवेदन कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री ने भी जो कुछ कहना था वह कह दिया। मैं यह आशा करता था कि पोलिटिकल ट्रूस की बात जो कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही था उसको कार्यान्वित किया जायगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके लिये यह एक अच्छा यह मौका था। मैं चाहता हूं इसपर मत ले लिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, कई सवालों को एक साथ मिलाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पोलीटिकल ट्रूस की बात कही थी और आज भी पोलीटिकल ट्रूस की बात कहता हूं। लेकिन एक तरफ तो इस प्रस्ताव के संबंध में किन्हीं बातों के मानने की बात होती है दूसरी तरफ, आज हमने अखबारों में पढ़ा, सत्याग्रह की बात की जाती है। कोई ग्रेनशाप्स के ऊपर धावा बोलने की बात सोच रहे हैं, कोई लखनऊ में सत्याग्रह करने की बात सोच रहे हैं। अनेक-अनेक प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। क्या यह वातावरण पोलीटिकल ट्रूस का वातावरण है? और हमसे आशा की जाती है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारी को छोड़दें, महज इस वजह से कि हममें से कुछ पूर्वी जिलों के रहने वाले हैं और इस मोह में पड़कर हमारा जो कर्तव्य है उससे विमुख हो जायं और साथ ही दूसरे लोग इससे फायदा उठायें। किसी भले आदमी की गलती से, उसके अनशन

से फायदा उठायें और प्रदेश में तरह-तरह का गलत वातावरण पैदा करें। क्या इन बातों का संबंध पोलीटिकल ट्रूस से है? जो कुछ हमको उचित समझ में आया, हमने उसको सदन के सामने रख दिया। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात के लिये गवर्नमेंट का साथ देगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रदेश के प्रमुख समाजवादी नेता तथा विधान सभा के सदस्य माननीय गेंदासिंह के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भुखमरी की स्थिति पर अनिश्चित काल के लिये अनशन तथा इस विषय में मुख्य मंत्री द्वारा श्री गेंदासिंह को लिखे पत्र के विषय से उत्पन्न प्रदेश व्यापी क्षोभ, असंतोष एवं चिन्ता पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी। घंटी अभी बन्द नहीं हुई थी कि ६ बज गये।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं सदन का ध्यान नियमावली के नियम ७३ की ओर दिलाना चाहता हूं—

> "चर्चा के समय की परिसीमा---(१) सार्वजनिक आपातिमहत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा, यदि पहले समाप्त न हो जाय, आरम्भ होने से दो घंटे पूरा होने पर आप से आप समाप्त हो जायगी और उसके पश्चात् कोई प्रश्न सभा के सामने नहीं रक्खा जा सकेगा।"

इसलिये अब कोई भी प्रश्न सभा के सामने नहीं रक्खा जा सकेगा क्योंकि अब दो घंटे हो चुके हैं। अब विभाजन का प्रस्ताव भी खत्म हो गया।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२७ अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७४ पर)

Copy of G. O. no. 593-F/XI-A—510-55, dated March 24, 1956, from Deputy Secretary to Government, Uttar Pradesh, Municipal (A) Department, addressed to the Collector-in-charge, Jhansi Division, Jhansi.

Subject : **Proposed Supersession of Municipal Board, Jhansi**

With reference to your letter no. 2702/XXIII—261 (1954-55), dated January 23, 1956, I am directed to request you to call upon the Jhansi Municipal Board, to show cause within two weeks of the receipt of the enclosed charge-sheet by it, as to why it should not be superseded under section 30 of the Municipalities Act, 1916, for having persisted in making default in the performance of its duties imposed upon it by or under the aforesaid Act, as disclosed in the charges set forth in the charge-sheet. The explanation of the said Board when received may be forwarded to Government, with your own comments thereon. If no explanation is received by the due date, the fact should be reported to Government.

CHARGES AGAINST THE MUNICIPAL BOARD OF JHANSI

Charge no. 1—The Board has grossly mismanaged its finances and failed to carry out its financial and other statutory obligations ; some instances of which are given below :

(*a*) The liabilities of the Board over its assets, according to the audited accounts of the Board for the year 1953-54, amount to a huge sum of Rs.5,02,955. The latest position as found in the audit for 1954-55, indicates that the liabilities stand at Rs.5,93,011 but the actual cash balance as per cash-book on March 31, 1955, was Rs.1,48,874 only. This state of affairs indicates that the Board is heading towards insolvency.

(*b*) In order to conceal real and heavy deficits from year to year the incomes in budget are often assessed at highly inflated rates, as appears from the fact that as against the actual average annual income of Rs.5,44,232 for three years, viz. 1952-53, 1953-54 and 1954-55, the estimated income of Rs.7,50,000 has been shown by the Board in the budget for 1955-56.

(*c*) A huge sum of Rs.1,77,335 on account of octroi refunds remained unpaid at the close of the year 1953-54. The latest position is that the amount of arrears of octroi refunds stands at Rs.1,66,887. As detected during the aunit of the Board's accounts for 1953-54, refunds of octroi claims are not disposed of promptly and the payments are delayed for more than a year resulting in unnecessary harassment to the public and leaving the accounts in a confused state. No provision for such refunds appears to have been made in the budget.

(*d*) The Board has defied the order, dated December 7, 1955, passed by the A.D.M., Jhansi, under section 36(1) of the U.P. Municipalities Act, 1916, requiring the Board to pay, before December 12,

1955, an amount of Rs.50,000 to the Jhansi Electric Supply Co., which formed a part of the total dues, alleged to be over Rs.1,25,000 payable to the said Company, by the Board. Following this defiance of orders by the Board, the D. M. issued another order dated December 15, 1955, under section 36(2) of the said Act directing the Agent, State Bank of India, having the custody of the Municipal funds, to pay the said sum to the Company, but the Board again obstructed the payment by passing a resolution on account of which the Bank could not pay the amount in question to the Company. By deliberately flouting the orders issued under section 36(1) of the said Act, the Board has failed to fulfil an obligation imposed upon it under the Act and the city of Jhansi is now faced with the real danger of its water-supply and streetlighting being discontinued.

(*e*) The Board has failed in spite of orders of Government, contained in G. O. no. 5478/XI-A--428-1948, dated August 25 1955, rejecting the Board's request for exemption from payment and asking it to deposit the amount of penal interest forthwith in Government Treasury, to pay the said penal interest imposed upon it on overdue instalment of the interest-free loan of Rs.30,000 sanctioned to it in 1949 for the purchase of trucks.

(*f*) The Board has failed to repay instalments for the loan of Rs.7,58,000 for the reorganization of waterworks, in 1953-54 and 1954-55 and interest has been paid only up to December 29, 1952. Penal interest has now been imposed on this loan.

(*g*) The Board has failed to take any action in utter disregard of the provisions contained in para. 13(2) of Municipal Account Code on the entire audit notes for the years 1951-52, 1952-53 and 1953-54, with the result that no action has been taken by the Board on the several irregularities and cases of embezzlement pointed out in these audit notes.

(*h*) The Board has persisted in delaying the submission of its budget to the prescribed authority for sanction. After several directions issued by the prescribed authority demanding budget estimates the Board submitted its budget for 1954-55 to the Prescribed authority on May 15, 1954 and that for 1955-56 in October, 1955, when it should have, being an indebted Board, submitted these budgets by the 15th of February at the latest. The Board also irregularly incurred expenditure without having submitted the budget for sanction by the prescribed authority, in spite of the latter's instructions conveyed through his letter no. 3766/XXIII—93, dated June 17, 1955, to the effect that all such expenditure would be irregular and liable to surcharge.

Charge no. 2—The Board has persistently failed in its obligatory duty to construct and maintain public streets. The condition of roads in the city is appalling. Road patries have at almost all places disappeared and the metalled portion has deep ruts and depression on either sides, but the Board has undertaken almost no major constructions or repairs out of its own funds and even the Government grants sanctioned for the purpose have not been utilized properly. The closing balances of the Board do not appear totally with the unspent balances of the grants. As audit report for the

year 1953-54 reveals the total liabilities in respect of unspent Government grants and unpaid instalment of loans as on March 31, 1954, were Rs.1,81,952 (Rs.1,16,203 being the amount of grant, Rs.65,759 of loan instalments), whereas the actual cash balance of the said date amounted only to Rs.1,17,508. It will therefore be quite apparent that the Board has misutilized these Government grants and loans by applying them to other unauthorized purposes like payments of the salaries of its staff.

Charge no. 3—The Board has persistently failed to make proper sanitary arrangements in the city with the result that these arrangements in the city are extremely primitive; there is acute shortage of animals for night-soil and refuse carts; dustbins and refuse depots have been placed in the middle of *abadies* without proper bins and receptacles or enclosure.

Charge no. 4—There is a complete lack of interest on the part of the members of the Board in its affairs, as a result of which consideration of and decision on important matters is put off from time to time, some instances are as under:

(1) The Board's budget for the years 1953-54 and 1954-55 were delayed as detailed in charge no. 1 (*g*) aforesaid, for want of a decision by the Board.

(2) The Board has failed to consider and take any decision on the complaint against the E. O., as required by Government, *vide* their orders issued in G. O. no. 5955/XI-A—NE, dated May 8, 1954, although a year and eight months have since elapsed.

(3) Government wished the Board to make an application for loan for building houses for low income group employees. The Board has failed to consider the matter and apply for the loan for over nine months.

(Sd.) B. K. MISRA, I.A.S.,
Deputy Secretary.

Copy of G. O. no. 802-F/XI-A—510-55, dated May 9, 1957, from the Joint Secretary to Government, U. P., Municipal (A) Department, addressed to the Collector-in-charge, Jhansi Division, Jhansi, and copies endorsed to A. D.M., Jhansi and President, Municipal Board, Jhansi.

Subject : **Proposed supersession of Municipal Board, Jhansi**

With reference to your D.O. letter no. 543 XXIII—261 (54-55), dated April 10/11, 1957, I am directed to refer to G. O. no. 593-F/XI-A—510-55, dated March 24, 1956 and to say that the explanation submitted by the Municipal Board, Jhansi, *vide* its special resolution no. 18, dated April 18, 1956, in respect of the charges set out in the enclosure to G. O. referred to above, was considered by Government and found to be unsatisfactory. The observations of Government with reference to that explanation were communicated to you in G. O. no. 3000-F/XI-A—510-55, dated August 13/14, 1956. For the reasons stated in para. 5 of the above G. O., Government, as a very special case, gave an opportunity to the Board to rehabilitate and stabilize its position and decided to review its state of affairs after a period of six months in order to assess the progress made during the period and whether it was likely to be maintained in future. From the report received with your letter

under reference, Government regret to note that, in spite of the opportunity given by Government to the Board, the Board has not improved its condition and has not set the matters right. On the other hand there has been further deterioration in the administration of the Municipality. In the opinion of Government, the charges levelled against the Board, as communicated in G. O., dated March 24, 1956, referred to above, still hold good. Since the Board has failed to avail of the opportunity to improve its affairs, I am to request you to ask the Board to show cause, within two weeks of the receipt of this letter, as to why it should not be superseded under section 30 of the U. P. Municipalities Act, 1916, for having persisted in making defaults in the performance of its duties imposed upon it by or under this Act.

2. The explanation of the Board, when received, may please be forwarded to Government with your own comments thereon. If no explanation is received from the Board by that date, the fact should be reported to Government.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

तालिका १

गोरखपुर जिले में जनवरी से जून, १९५७ तक का मासिक तथा तहसीलवार सीमेन्ट के बटवारे का विवरण

मात्रा बोरों में

तहसील का नाम	महीना					
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
१—सदर				७००	१,६५६	९५८
२—बांसगांव				६२७	३६०	..
३—फरेंदा				..	३८५	..
४—महाराजगंज				४०२	५१०	११०
				१,७२९	२,९११	१,०६
५—जिला सप्लाई आफिसर द्वारा ..	६,५६०	१२,४३०	३,०३८	..	..	..
६—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर द्वारा ..	..	..	..	..	११०	६३०
योग ..	६,५६०	१२,४३०	३,०३८	१,७२९	३,०२१	१,६९८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

तालिका २

गोरखपुर जिले में जनवरी से जून, १९५७ तक के मासिक सीमेन्ट की प्राप्ति के आंकड़े

(मात्रा बोरों में)

जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
८,२६०	१४,१८०	६,९००	१०,९८०	५,९८०	२,७६०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८५ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक 'नौतनवां', जिला गोरखपुर में चल रही सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा मई, जून एवं जुलाई, १९५७ ई० में सरकारी गोदामों से उठायें गये गल्ले की मात्रा की तालिका

(आंकड़े मनों में)

क्रम-संख्या	गल्ले की दूकान का विवरण	सरकारी गोदामों से उठाये गये गल्ले की मात्रा			योग
		मई	जून	जुलाई	
१	नौतनवां	..	२५०	२८०	५३०
२	देवघाटी	..	..	२८०	२८०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८८ पर)

Charges against Municipal Board, Ballia

1. That it could not produce a balanced budget for the year 1956-57 with the result that its budget for that year could not be sanctioned by the Commissioner. For the same reason its budget for the current financial year (1957-58) has not been sanctioned by the Commissioner so far.

2. That it has failed to repay even a single instalment of the loan of more than Rs.9 lakhs sanctioned to it for construction of Water Works and Drainage. It also failed to repay the loan taken by it for the construction of Harijan Colony with the result that penal interest was imposed on it.

3. That the collection of C. P. Tax has been extremely poor with the result that the arrears on this account now exceed Rupees One Lakh. It has not yet prepared the list of C. P. Tax for the current financial year. Its system of collecting toll tax is extremely defective. The barriers are closed at night and are automatically exempt.

4. (*a*) That the Board has neglected the sanitation of the town. Sanitary conditions are awful. There is only one night soil cart for a population of 40,000 and the night soil is dumped freely inside the lanes and drains which has led to an unusual spate of flies. The Board was unable to combat this fly nuisance and the State Government had to undertake the work.

(*b*) The strength of Sweepers is only 90 while, according to the standard laid down by Public Health Department, it should be at least 150. The Board was ordered, under section 36 of the U. P. Municipalities Act, 1916 to raise the strength of Sweepers but it has taken no action.

(*c*) The drains constructed by the L. S. G. E. D., have not been cleaned even once since their construction and filth has collected in them.

(*d*) The Board has failed to provide dust bins.

(*e*) There is only one public latrine and that too is so dirty that it cannot be used.

(*f*) The meat market is extremely unhygienic and has not been made to conform to specifications.

5. While important roads inside the town remain neglected, the Board has decided to take up construction of a road in Rampur village outside the municipal limits merely because the Chairman, Public Works Committee of the Board happens to live in that village.

6. (*a*) That the Board is extremely reluctant to remove encroachments which are visible everywhere. No action is generally taken against the persons making encroachments. The bye-law of the Board for leaving four feet clear space between the road *patri* and the buildings is a dead letter. No action was taken by the Board in this regard in spite of D. M.'s directives. Only one prosecution against Smt. Primeveda Devi has been launched and this was because one of the members of the Board, Sri Gopi Nath Singh, was involved in civil litigation with her.

(*b*) A goldsmith named recently enclosed a lane to convert it into a courtyard. On D. M.'s insistence the President, Municipal Board personally went to the spot to get the enclosure demolished but soon afterwards the goldsmith reconstructed it and it has remained so ever since.

7. That the Board failed to maintain the Ring Bund with the result that in August, 1956 the whole Town was threatened by floods and the situation could be saved only by taking over the management of the Bund from the Board.

8. That the Board's bye-laws in respect of overloading are being flouted but not a single prosecution of overloaded or bullock cart was launched, though such vehicles are always overloaded.

9. More than four years ago the Board put up a scheme for the expansion of the town by clearing some land and obtained advances from several persons for the purchase of plots. The scheme was later on abandoned but the money has not yet been repaid to the depositors. A sum of Rs.28,000 is still outstanding against the Board.

नोटिफाइड एरिया रसरा (बलिया) पर लगाये गये आरोप

१---नोटीफाइड एरिया कमेटी ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, सफाई तथा रोशनी सम्बन्धी प्रबन्ध करने में उदासीनता दिखाई है। अस्पतालों तथा दवाखानों को भी कमेटी ने कोई सहायता नहीं दी और न जनता के लिये चिकित्सा सम्बन्धी कोई सहायता की है। इस ओर कमेटी की उदासीनता निम्न बातों से स्पष्ट है:

(क) सन् १९५४-५५ में सड़कों पर लगी हुई लैम्पों की संख्या ६८ से घटकर ६४ रह गई। सफाई तथा रोशनी पर गत वर्षों की अपेक्षा कम व्यय किया गया।

(ख) नोटीफाइड एरिया क्षेत्र के निवासियों को शुद्ध जल देने में कमेटी पूर्णतया असमर्थ रही तथा कुंओं की सफाई में कुछ भी व्यय नहीं किया। कमेटी ने नालियों की सफाई में उदासीनता दिखाई जो जन-स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ।

(ग) कमेटी जिला बोर्ड बलिया को सन् १९५२ से लेकर ५५ तक कोई देय धन नहीं दे सकी। जिलाधीश द्वारा इन्सटालमेंट तय कर देने पर भी अभी तक कमेटी ने ३५५ रुपये ८ आने का आखिरी इन्सटालमेंट नहीं दिया है। सन् १९५५-५६ का समस्त देय धन अभी शेष पड़ा है।

२---सन् १९४३-४४ से लेकर १९४९-५० तक की लेखा आपत्तियों का परिपालन कमेटी अभी तक नहीं कर पाई। सन् १९५०-५१ से लेकर १९५२-५३ तक की लेखा आपत्तियों का भी निराकरण बावजूद अनुबन्धनों के कमेटी अभी तक नहीं कर पाई और न अपने मंत्री के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकी।

३---कमेटी ने एक तालाब का ठेका सन् १९५१-५२ से बराबर श्री चन्द्र शेखर उपाध्याय को दिया है। यद्यपि इससे कमेटी की आय ८१५ रुपये से घट कर ३३२ रुपये रह गई है।

४---कमेटी की आय में सन् १९५४-५५ में लगभग ५,००० रुपय की कमी हुई जो कि सालाना लगान पर जमीन बेजा तरीके पर देने के कारण हुई।

५---खाद की बिक्री से कमेटी की आय १६० रुपया से घटकर ८० रुपया रह गई है। और इससे भी ६१० रुपया के लगभग अभी तक वसूलने को अवशेष हैं।

६---करों के अवशेष धन को वसूलने में भी कमेटी ने उदासीनता दिखाई है और २६,३४५ रुपया अवशेष करों का अभी तक वसूलना शेष है।

७---कमेटी शासकीय पत्रों का उत्तर देने में अत्यधिक विलम्ब करती है और कई अनुबोधन देने पर भी उत्तर नहीं प्राप्त होता है।

सिकन्दरा टाउन एरिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

१—टाउन एरिया कमेटी की माली हालत बड़ी असंतोषजनक है। स्टाफ के वेतन १४ महीनों से नहीं मिले।

२—रोशनी का कोई प्रम्बन्ध नहीं किया गया।

३—सड़कों तथा पुलियों की दशा अच्छी नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं की गई।

४—करों की वसूलयाबी भी असंतोषजनक है और काफी धन वसूलने को अब शेष पड़ा है।

५—नालियों की भी मरम्मत नहीं की गई है जिससे सफाई भी असंतोषजनक है।

चिटबड़ा गांव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

१—१९५४-५५ तथा १९५६-५७ के करों की सूची अत्यधिक विलम्ब से तैयार की गई और इन करों की सूची में अत्यधिक लोगों को करों से छूट दी गई जिससे टाउन एरियाओं की आय को हानि नहीं हुई है।

२—सन् १९५३ से जब से कमेटी ने कार्य करना शुरू किया है उसकी आय में निरन्तर कमी होती जा रही है।

३—दिसम्बर, १९५५ में जिलाधीश ने बक्शी की सहायता से अवशेष करों की वसूली कराई। लेकिन इसमें चेयरमैन ने कोई सहायता नहीं दी।

४—टाउन एरिया कमेटी की सड़कों पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है लकिन कमेटी इस ओर पूर्णरूपेण उदासीन है।

५—एक सड़क को ऊंचा करने में कमेटी के एक सदस्य ने चेयरमैन की सहायता से ठकेदार के काम में रुकावट डाली और सड़क अभी तक ऊंची नहीं हो पाई है।

६—कमेटी के तीन कोठरियों के किरायेदारों ने कमेटी की सड़क पर टीन शेड डालकर सड़क पर कब्जा कर लिया और जिलाधीश द्वारा टीन शेड हटाये जाने के बावजूद भी चेयरमैन ने फिर ये टीन शेड लगवा दिये।

७—सड़कों पर अनधिकृत पान वालों की दूकानें हैं जिन्हें हटा देने पर भी चेयरमैन पुनः लगवा देते हैं।

८—कमटी द्वारा बाजार में तीन नालियां बनवाई गई हैं। चेयरमैन की आज्ञा से नालियों के ऊपर की सड़क की पटरी पर कब्जा कर लिया है जिससे नालियों के गन्दे पानी के बहाव की दिशायें बदल गई हैं।

९—कमेटी की मीटिंगें नोटिस दे कर नहीं बुलाई जातीं।

१०—बक्शी श्री गंगा दयाल को कमेटी द्वारा इस लिये निकाल दिया गया है कि वह शासन को कमेटी की उदासीनता के बारे में बतलाया करता था। उस को परेशान भी किया जा रहा है और उसे कोई निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है।

११—तहबाजारी का ठेका बिना किसी ठेके के धन जमा कराये हुये ठेकेदार द्वारा वसूल करायी जा रही है और जिलाधीश के उन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है जिसके द्वारा डीड तुरन्त करने के आदेश दिये गये थे।

१२—वर्तमान वित्तीय वर्ष में कमेटी को १,२०० रु० की हानि इसलिये हुई कि कमेटी ने ठेके को नीलाम करने में उदासीनता दिखाई।

१३—कमेटी पर दायर हुये मुकदमे में चेयरमैन के गवाही न देने के कारण निर्णय कमेटी के विरुद्ध हुआ।

१४—चेयरमैन ने कमेटी की कुछ कोठरियां अपने आदमियों को कम किराये पर दीं यद्यपि लोग अधिक किराया देने को तैयार हैं।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १२८ एल० ए०—१९५७—७९६।